

C O N T E N T S

**Sixteenth Series, Vol. XXXII, Fifteenth Session, 2018/1940 (Saka)
No. 2, Thursday, July 19, 2018/Ashadha 28, 1940 (Saka)**

<u>S U B J E C T</u>	<u>P A G E S</u>
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
* Starred Question Nos. 21 to 25	14-65
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 26 to 40	66-97
Unstarred Question Nos. 231 to 460	98-610

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

RESIGNATION BY MEMBER	612
VACATION OF SEAT BY MEMBER	612
PAPERS LAID ON THE TABLE	613-617
ASSENT TO BILLS	618
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE 103 rd to 106 th Reports	619
STANDING COMMITTEE ON CHEMICALS AND FERTILIZERS 46 th to 48 th Reports	620
STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT (i) 49 th to 51 st Reports (ii) Statements	621 622-624
STANDING COMMITTEE ON HOME AFFAIRS 212 th and 213 th Reports	624

**STANDING COMMITTEE ON PERSONNEL, PUBLIC
GRIEVANCES, LAW AND JUSTICE****97th Report**

625

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE**54th Report**

625

SUBMISSION BY MEMBERRe : Mob lynching incidents in different
parts of the country

626-633

MATTERS UNDER RULE 377

668-699

- (i) Need to enhance the honorarium to elected representatives under Panchayati Raj system in Jharkhand

Shri Ravindra Kumar Pandey

669

- (ii) Need to construct stretch of National Highway No. 27 (Jhansi-Kanpur) at Kalpi in Jalaun Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

Shri Bhanu Pratap Singh Verma

670

- (iii) Need to confer citizenship to Hindu migrants from Pakistan living in Barmer and Jaisalmer districts of Rajasthan

Col. Sona Ram Choudhary. (Retd.)

671-672

- (iv) Need to formulate regulatory guidelines for effective use of Carbetocin
- Shrimati Poonam Mahajan 673
- (v) Need to facilitate and expedite payment of outstanding amount to investors of Pearls Agrotech Corporation Limited
- Shri Subhash Chandra Baheria 674
- (vi) Need to enhance the honorarium of Accredited Social Health Activists in Uttar Pradesh
- Shri Jagdambika Pal 675
- (vii) Need to set up steel plant in Singhbhum Parliamentary Constituency, Jharkhand
- Shri Laxman Giluwa 676
- (viii) Need to check the increasing pollution in Indira Gandhi Canal
- Shri Nihal Chand 677
- (ix) Need for administrative reforms in the country
- Shri Harish Meena 678-679

- (x) Need to provide compensation to farmers of border areas of Jammu & Kashmir who lost their land due to fencing on the international border
- Shri Jugal Kishore 680
- (xi) Need to provide stoppage of Bundelkhand Express and Rewa Express at Badausa & Markundi Railway stations respectively in Uttar Pradesh
- Shri Bhairon Prasad Mishra 681
- (xii) Need to include link roads/bypass roads in the category of link roads/bypass roads and make provision for land conversion charges
- Shri Hariom Singh Rathore 682
- (xiii) Regarding outcome of structural audit conducted by Railways in Mumbai region
- Dr. Kirit Somaiya 683
- (xiv) Need to address the service-related issues of Central Armed Police Force
- Shri Rajendra Agrawal 684
- (xv) Regarding production of Fifth Generation Fighter Aircraft Project at Hindustan Aeronautics Limited unit at Ojhar, Maharashtra
- Shri Harishchandra Chavan 685

- (xvi) Need to implement reservation for economically backward among upper Castes
- Shri Kodikunnil Suresh 686
- (xvii) Need to address railway related problems faced by people of Kerala
- Dr. Shashi Tharoor 687
- (xviii) Need to review the decision to conduct NEET twice a year
- Shri V. Elumalai 688
- (xix) Need to set up a separate Ministry for Fisheries and Fishermen Welfare
- Shri K. Ashok Kumar 689-690
- (xx) Need to set up a unit of Paramilitary Force at Bhawanipatna in Odisha
- Shri Arka Keshari Deo 691
- (xxi) Regarding action against central government employees who have secured jobs on caste certificates rendered invalid
- Shri Gajanan Kirtikar 692-693

- (xxii) Need to accord special category status to Andhra Pradesh

Shri M. Murli Mohan

694-695

- (xxiii) Need to set up a Passport Seva Kendra in Mainpuri district, Uttar Pradesh

Shri Tej Pratap Singh Yadav

696

- (xxiv) Need to extend the rail route from Jaijon-Jalandhar to Amritsar via Nawashaheer, Jalandhar

Shri Prem Singh Chandumajra

697

- (xxv) Need to name Central University of Haryana situated at Jant Pali Village, district Mahendragarh, Haryana after Sant Kabir Dasji

Shri Dushyant Chautala

698

- (xxvi) Need to amend section 5 of Environment Protection Act, 1986 for the benefit of people residing in Ecologically Sensitive Areas in Kerala

Adv. Joice George

699

**STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF
FUGITIVE ECONOMIC OFFENDERS ORDINANCE, 2018
AND
FUGITIVE ECONOMIC OFFENDERS BILL, 2018**

	700-853
Shri N.K. Premachandran	700-710 838-840
Shri Nishikant Dubey	712-728
Dr. Shashi Tharoor	729-743
Shri T.G. Venkatesh Babu	744-749
Shri Kalyan Banerjee	750-760
Shri Tathagata Satpathy	761-768
Dr. Shrikant Eknath Shinde	769-773
Shri Konda Vishweshwar Reddy	774-778
Shri M.B. Rajesh	779-783
Shrimati Supriya Sadanand Sule	784-794
Dr. Kirit Somaiya	795-801
Shri Adhir Ranjan Chowdhury	802-806
Shri Jai Prakash Narayan Yadav	807-809
Shri Sharad Tripathi	810-812
Shri Bhagwant Mann	813-817
Shri Dushyant Chautala	818-820
Shri Kaushalendra Kumar	821
Shri Rajesh Ranjan	822-829
Shri Ram Kumar Sharma	825-826
Shri Piyush Goyal	827-837

Motion to Consider	841
Clauses 2 to 25 and 1	841-853
Motion to Pass	853

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions	855
Member-wise Index to Unstarred Questions	856-859

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions	860
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	861

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

Shri Kalraj Mishra

SECRETARY GENERAL

Shrimati Snehlata Shrivastava

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Thursday, July 19, 2018/Ashadha 28, 1940 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न सं. 21, श्री अनुराग सिंह ठाकुर ।

...(व्यवधान)

11. 01 hrs

(At this stage Shri Rajesh Ranjan came and stood on the floor near the Table.)

HON. SPEAKER: You go to your seat. It is not like this.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: It is after the Question Hour. Please take your seat. Do not do like that.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Please go to your seat. Otherwise, I will not allow you. No, this is not fair.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: That is not now. It is after the Question Hour.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Ranjan Ji, now I will name you. मैं आपको बाहर कर दूँगी। Please, do not behave like that. Otherwise, I will have to name you. I am sorry.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: I will have to suspend you. No, I am sorry.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : आप सभी लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सभी बैठ जाइए। इनके ...* से कुछ नहीं होता। You go to your seat.

... (*Interruptions*)

11 04 hrs

(At this stage, Shri Rajesh Ranjan went back to his seat.)

माननीय अध्यक्ष : हर एक का बढ़ता ही जा रहा है। आप सभी यहाँ मेम्बर चुनकर आते हैं। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझनी चाहिए।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I am sorry. I have done it, please.

This is all after the Question Hour, please.

* Not recorded.

11 04 ½ hrs

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या -21 ,श्री अनुराग सिंह ठाकुर ।

(Q. 21)

माननीय अध्यक्ष : हाँ, श्री अनुराग जी।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: माननीय अध्यक्ष जी, खेलों के प्रति सरकार और समाज दोनों का ही रवैया उदासीन रहता है। कहीं न कहीं हमने सदा सदन में देखा है कि जब किसी खिलाड़ी ने कोई उपलब्धि हासिल की है तो आपने सदा उसका नाम यहाँ से लिया है। जो भी खिलाड़ी भारत के लिए मेडल जीतकर आया हैं, आपने सदा यहाँ से उनकी पूरी प्रशंसा की है। क्या राज्यों और केंद्र की सरकार की तरफ से जितनी फंडिंग खेलों के लिए चाहिए, क्या हम उतनी कर पा रहे हैं?

क्या हमने कोई ऐसा टारगेट रखा है कि वर्ष 2020 और 2024 के ओलंपिक में कितने मैडल्स भारत जीत कर लाए? उसके लिए हमने स्टेट लेवल पर क्या फंडिंग करनी शुरू की है? राष्ट्रीय स्पोर्ट्स फेडरेशन को कितनी फंडिंग और बढ़ानी है? क्या इसके बारे में सरकार ने, मंत्रालय ने कोई स्ट्रैटिजी तय की है? आज हमारे पास एक ऐसे खेल मंत्री हैं, जो खुद ओलम्पियन रह चुके हैं, खेलों को जानते हैं और जो कमियां हैं, उनको भी जानते हैं। स्टेटवाइज किस खेल का टैलेंट कहां पर उपलब्ध है, क्या इन्होंने उसे चिह्नित किया है? किस क्षेत्र में कितने मैडल्स जीतने वाले हैं, उसके लिए फंडिंग का क्या प्रोसेस है? यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा।

कर्मल राज्यवर्धन राठौर (सेवानिवृत्त): स्पीकर मैडम, यह एक अच्छा सवाल है। खेलों में अगर हमारे देश को अच्छा करना है, तो उसमें सभी को अपनी भागीदारी देनी पड़ेगी। संविधान के अंदर शेड्यूल 7 में खेलों की जो डेवलपमेंट है, इन्फ्रस्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है और उसमें केन्द्र सरकार अपनी तरफ से उस जिम्मेदारी में सप्लीमेंट करती है, अपनी

तरफ से समर्थन करती है। खेलों का जो रेग्युलेशन है, सिलेक्शन है, प्लानिंग है, वह जिम्मेदारी खेल संघों की है।

मैं माननीय सांसद अनुराग जी को बताना चाहूंगा कि जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं, उनके लिए खास तौर से केन्द्र सरकार फंड करती है। उसके अंदर इनके जितने भी ट्रेनिंग कैंप्स लगते हैं, बाहर विदेश में ये जो ट्रैवल करते हैं, उसकी सारी फंडिंग उसी से होती है। कोचेज जितने भी आते हैं, उसकी फंडिंग वहीं से होती है। इसके अलावा स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया का एक अलग ब्लॉक ग्रांट है, जिससे स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया का इन्फ्रास्ट्रक्चर मेंटेन भी होता है और डेवलप भी होता है।

मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि इस बार प्रधान मंत्री जी ने प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट फंड के तहत 200 करोड़ रुपये अलग से दिए थे, जो जम्मू-कश्मीर में स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगाए गए। इसके अलावा एक खास बात है, जो पूरे देश को पता होनी चाहिए कि वर्ष 1990 से एक नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड बनाया गया है, जिसके अंदर आम नागरिक, कोरपोरेट हाउस, आदि डोनेशन दे सकते हैं। वर्ष 1990 से जितने भी ओलम्पिक पदक भारत के लिए आए हैं, सबकी ट्रेनिंग इसी फंड के पैसे से हुई थी। नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड के अंदर जो भी पैसा, कोई भी संस्था या इंडिविजुअल देता है, भारत सरकार को मैचिंग ग्रांट देने का एक मैनडेटरी प्रावधान है, यानी पैसे उसमें डबल हो जाते हैं। इसके साथ ही, जो भी पैसा इस फंड में देता है, वह पैसा किस खेल में इस्तेमाल हो, किस खिलाड़ी पर वह पैसा इस्तेमाल हो, किस जियोग्राफिक लोकेशन में वह पैसा इस्तेमाल हो, वह उसमें बता सकता है। इसमें इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी है। इन सभी फंड्स को शामिल करके, खास तौर से नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड, जिसके अंदर पूरा भारत उसे मजबूत करने के लिए अपना समर्थन दे सकता है, यह एक प्रावधान है। इसके तहत हम खेलों को आगे ले जा सकते हैं।

जो सिलेक्शन प्रॉसेस है, स्पीकर मैडम, आपने देखा कि जनवरी में हमने 'खेलो इंडिया' स्कूल गेम्स कराए, जिसमें 16-17 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, उनको एक बहुत अच्छा शानदार इंटरनेशनल लेवल का प्लेटफार्म हमने दिया। यह पहली बार हुआ। इसमें बहुत सारी टैलेन्ट्स दिखाई

देंगी। इनफैक्ट इनमें से 1,000 बच्चों को हम प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तैयारी के लिए देंगे और 8 सालों तक लगातार देते रहेंगे। यह पहली बार हुआ है। अब हम इससे भी आगे बढ़ने वाले हैं। इस साल हम देश में 8 साल से 12 साल तक के जितने बच्चे हैं, उनकी मैपिंग करेंगे, उनकी फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देंगे। हम स्कूलों को पार्टनर बनाएंगे, राज्य सरकारों को पार्टनर बनाएंगे और जो भी एनजीओज पार्टनर बनना चाहती हैं, उनको हम इसमें पार्टनर बनाएंगे, ताकि आने वाले समय में स्कूल्स सिर्फ यह न कहें कि उनके कितने प्रतिशत मार्क्स आए, बल्कि यह भी कहें कि हमारे स्कूल में कितने फिट बच्चे हैं। यह एक बदलाव हम लाना चाहते हैं। यह जो 8 साल से 12 साल के बच्चों के बीच का टैलेंट सर्च होगा, उसे हम 8 साल की उम्र में टारगेट करेंगे और वहां पर 5 लाख रुपये 8 साल तक देना शुरू करेंगे, ताकि 16 साल का जब बच्चा हो, तो उस समय तक वह अपने आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आ जाए। यह बदलाव हम वर्ष 2024 और 2028 ओलम्पिक खेलों के लिए कर रहे हैं।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: अध्यक्ष जी, नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड की बात कही गई। इसमें 50 करोड़ रुपये एक बार बीसीसीआई ने दिए थे, जिसके बदले में उसकी इनकम टैक्स एग्जंप्शन चली गई। वह पैसा उसके बदले 6 करोड़ रुपये जम्मू-कश्मीर को, 4 करोड़ रुपये पी.टी. ऊषा की एकैडमी के लिए दे दिया गया, जो उसके लिए बना नहीं था।

आज तक यूपीए सरकार से कोई जवाब नहीं आया कि उस पैसे को कैसे खर्च किया गया। मेरा मूल प्रश्न है। मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में सांसद स्टार खेल महाकुंभ शुरू किया, जिसमें लगभग एक लाख बच्चे खेल रहे हैं। हम उसमें से प्रतिभा का चयन करेंगे कि कौन क्या है? राज्य सरकारों के पास भी इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी है। आज भी भारत के टॉप खिलाड़ी अपनी ट्रेनिंग करने के लिए विदेश जाते हैं। उनके ऊपर करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं। यह कहा जाता है कि यहां का वातावरण ठीक नहीं है, गर्मी है। वहां जाना पड़ता है, क्योंकि वहां के ट्रेनर बेहतर हैं। क्या भारत सरकार ने उन स्पोर्ट्स फेडरेशन के साथ बात की है? ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम, यहां भी चलाया जाए। भारत में पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और उत्तराखंड में इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाए, ताकि विदेशों में

खिलाड़ियों को भेजने की बजाए दूसरे देशों के लोग भारत में आकर ट्रेनिंग ले सकें, हम अपने ट्रेनर को उस लेवल पर ले जाएं, क्या हम इस दिशा में सोच रहे हैं?

कर्मल राज्यवर्धन राठौर (सेवानिवृत्त): स्पीकर मैडम, यह ट्रेनिंग अपने आप में बहुत डायनेमिक होती है, किस जगह ट्रेनिंग हो, किसके साथ ट्रेनिंग हो, किस माहौल में ट्रेनिंग हो, उसे ध्यान में रख कर किया जाता है। हमें किस तरह की तैयारी करनी है, सांसद ने जो प्रश्न किया है, उसमें कोई खामी नहीं है। हमें इसको ध्यान में रख रहे हैं कि देश में हाई एलटीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएं। गर्मी के वातावरण से निकल कर पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूशन्स तैयार करे, उसकी तरफ सोच-विचार हो रहा है और इसके लिए फंडिंग भी हो रही है।

मैं माननीय सांसद को बताना चाहता हूँ कि "खेलो इंडिया" के तहत आज की तारीख में 70 प्रोजेक्ट्स पर 380 करोड़ रुपये की लागत से काम चल रहा है। यह सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हो रहा है। उसके बावजूद यदि वर्ष 2020 ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को कम्पिटिटिव माहौल में खेलने के लिए विदेश जाना पड़े तो हम उनको वहां तैयारी के लिए भेजेंगे। पूरे माहौल को ध्यान में रखते हुए जिस तरह की ट्रेनिंग चाहिए, उसमें हम फंडिंग करेंगे।

माननीय अध्यक्ष : आपसे लोगों की अपेक्षाएं ज्यादा हैं।

श्री गौरव गोगोई: अध्यक्ष महोदया, आज पूरा देश हिमा दास पर गर्व का अनुभव कर रहा है। हमारी अपेक्षा होती है कि हर गांव में एक हिमा दास जैसी लड़की आए और दूसरी लड़कियों को भी खेल के प्रति प्रेरणा दे। हिमा दास को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत चुना गया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के अंतर्गत स्पोर्ट्स खिलाड़ियों की तरफ कोई क्रिटिसिजम आई है। मीडिया में रिपोर्ट आई है कि बहुत सारा क्रिटिसिजम आया है। ऐसे क्या क्रिटिसिजम हुए हैं, उन पर भारत सरकार की तरफ से क्या रिकोमेंडेशन हुई है? कोचिंग के लिए क्या बात हुई है? मंत्री जी अपने फिटनेस विडियो के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जब एथलेटिक्स फेडरेशन ने हिमा दास की अंग्रेजी पर गलत टिप्पणी दी, उस पर मंत्री जी ने क्या कोई कमेंट दिया? हम यह भी जानना चाहते हैं।

कर्नल राज्यवर्धन राठौर (सेवानिवृत्त): स्पीकर मैडम, मैं सदन और माननीय सांसद गौरव जी को बताना चाहता हूँ कि हिमा दास का अभी जो इवेंट हुआ था उससे कई महीने पहले आइडेंटिफाई करके टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में ले लिया गया था ताकि उनको फंडिंग सही तरीके से मिले। यह बात सही है कि कई चीजों में खामियां नजर आती हैं और खामियां नजर आनी चाहिए ताकि उनको दुरुस्त किया जा सके।

हाल में हमने गवर्निंग बॉडी की मीटिंग ली थी। मैं स्पोर्ट्स ऑथरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन भी हूँ, उसके अंदर कई निर्णय लिए गए, जिससे खेलों में काफी सुधार होगा। अभी तक जो भारतीय कोचेज होते थे, उनकी सैलरी को एक लाख रुपये तक कैप किया हुआ था, लेकिन विदेशी कोच प्रति माह पन्द्रह हजार डॉलर तक लेते हैं। भारत के अंदर जो कोचेज के टैलेंट हैं, उनके ऊपर इतना नीचे कैप क्यों लगाया गया है? इसे हमने एक हफ्ते पहले सौ प्रतिशत बढ़ा दिया है। जो स्पोर्ट साइंस का स्टाफ होता है, मैशयूरर्स होते हैं, फिजियोथेरिपिस्ट होते हैं। मैशयूरर्स की तनख्वाह बीस हजार रुपये पर कैप की हुई थी। इंटरनेशनल लेवल के मैशयूरर्स बीस हजार रुपये में नहीं मिलते, हमने उसे भी सौ प्रतिशत बढ़ा दिया। ओलंपिक और कॉमनवैल्थ में अभी तक जितने पदक जीतते थे, उसमें कोचेज को इन्सेन्टिव पैसा मिलता था। उसमें सौ प्रतिशत पैसा एक ही कोच को मिलता था, जो उस समय पदक दिलवाता था। उसका क्या होगा, जिसने टैलेंट को आइडेंटिफाई किया, उसका क्या जिसने टैलेंट को नर्चर करके आगे तक पहुंचाया। हमने इसमें बहुत बड़ा बदलाव किया, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। आज का माहौल ऐसा हो गया था कि जब कोई खिलाड़ी को आइडेंटिफाई करता था तो वह उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता था। वह इसे खजाने के रूप में देखता था कि यह कोई न कोई पदक जीतेगा, इसलिए मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। जबकि हर लेवल के लिए अलग-अलग कोच होते हैं। प्राइमरी टीचर्स प्राइमरी के लिए होते हैं। वे हाई स्कूल्स और कॉलेजेज में नहीं पढ़ा सकते हैं। हमने कहा कि चालीस परसेंट पैसा अपेक्स कोच को जाएगा और तीस प्रतिशत पैसा ग्रास रूट कोच को जाएगा और तीस प्रतिशत इन्टर्मीडीएरीज को जाएगा।

माननीय अध्यक्ष : आप मूल बात समझ रहे हैं।

... (Interruptions)

कर्नल राज्यवर्धन राठौर (सेवानिवृत्त): इस पर लगातार काम चल रहा है और बहुत काम करने की जरूरत है। हम सारा काम करके रहेंगे।

श्री गौरव गोगोई : एथलेटिक्स फेडरेशन ने स्वर्ण पदक एथलीट के बारे में जो कहा है, उसके बारे में बोलिए। ... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Mr. Minister, do not respond to this.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : बस अब हो गया, वे बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं।

श्री चन्द्रकांत खैरे।

...(व्यवधान)

कर्नल राज्यवर्धन राठौर (सेवानिवृत्त): मैं माननीय सांसद को बताना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं, हर कोई जो बात कहता है, मैं उस पर कमेंट्स नहीं करता। ... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Mr. Minister, do not respond to this.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : ठीक बात है। आप अच्छा काम कर रहे हैं, उनके बोलने की तरफ ध्यान मत दो।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हर चीज का जवाब नहीं देना है।

...(व्यवधान)

श्री चन्द्रकांत खैरे : माननीय अध्यक्ष जी, मेरी कांस्टीट्यूएन्सी में साई का बहुत बड़ा केंद्र है। औरंगाबाद में साई केंद्र 108 एकड़ में है। ... (व्यवधान) यहां कई गेम्स भवन का निर्माण किया गया है। यहां एन्क्रोचमेंट हो रहा था और हमने इसे रोका। हमने सिंथेटिक ट्रैक्स, एस्ट्रो टर्फ्स, फुटबाल होस्टल बिल्डिंग, इनडोर शूटिंग रेंज और फुटबाल मैदान की मांग की है। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने मान्यता दे दी है, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ है।

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि साई का केंद्र बहुत बड़ा है, 108 एकड़ में है, इसे बढ़ावा देने के लिए मदद करनी चाहिए। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्रिकेट के मैदान का काम भी करना है।

यह काम साई का नहीं था, लेकिन साई ने कई जगह क्रिकेट मैदान के लिए पैसा दिया है
...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खैरे जी, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए। अब आप क्षेत्र की बात कह रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री चन्द्रकांत खैरे: मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जिन कामों को मंजूर किया है, वहां अभी वहां आदेश का पालन नहीं हुआ है। देश के बच्चे यहां ट्रेनिंग के लिए आते हैं, कोचेस आते हैं। उनके रहने के लिए जगह होनी चाहिए इसलिए यहां बिल्डिंग का इंतजाम करना होगा। पटियाला के बाद यही बड़ा केंद्र है।

मेरा निवेदन है कि ये सब चीजें आपके माध्यम से मंजूर हो जाएं।

कर्मल राज्यवर्धन राठौर (सेवानिवृत्त): इस पार्टिकुलर केस में, जो औरंगाबाद की बात है

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप इसे देख लेना।

कर्मल राज्यवर्धन राठौर (सेवानिवृत्त): हम इंडीविजुअली देख लेंगे। हो सकता है कि उसके अंदर कोई पुराना सर्टिफिकेशन ही क्यों न हो, हम उसे देख लेंगे।

(Q. 22)

SHRI T.G. VENKATESH BABU : Madam, our hon. leader *Puratchi Thalaivi Amma* was ambitious to establish a greenfield airport near Chennai to handle 40 million passengers and one lakh tonne cargo capacity. Also she was ready to provide the required lands for this purpose.

Even after four years the Government is silent on establishing a greenfield airport near Chennai.

Hence, I want to know from the hon. Minister, through you, whether the Government is keen and has any plans to establish a greenfield airport near Chennai. If so, please provide the details of the proposal, the estimated cost and the timeframe within which it will be completed.

SHRI JAYANT SINHA: I would like to assure the House that we are proposing to increase the capacity of our airports to handle from 20 crore passenger trips per year that we have now to 100 crore per year.

We will increase this capacity as and when the demand arises. ...
(*Interruptions*) As of now, the Government has provided in-principle approval for 20 greenfield Airports. ... (*Interruptions*)

We have massively expanded the capacity in Chennai as well. ...
(*Interruptions*) The modernization of Chennai Airport Phase-I has been completed where there is a construction of new Domestic and International Terminal buildings with an annual capacity of 17 million passengers, which has been undertaken. ... (*Interruptions*) To augment the airside capacity, extension to the secondary runway by 1,032 meters has also been completed. ...
(*Interruptions*)

11 20 hrs

(At this stage, Shri M.I. Shanavas, Shri Mohammad Salim and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)

Under the Phase-II modernization programme of Chennai, a total capacity of 35 Million Passengers Per Year has been planned. ... *(Interruptions)* Work has been awarded for reconstruction of old Domestic and International Terminal Buildings, namely T2 and T3 in May 2018. ... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER: No, this is not the way.

... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER: Please go to your seat.

... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER: He is a Minister here.

... *(Interruptions)*

SHRI T.G. VENKATESH BABU : Madam, Chennai is one of the busiest Airports in the country recording a daily average of 20,000 international passengers and 30,000 domestic passengers. ... *(Interruptions)*

As far as Chennai Airport is concerned, there were infamous incidents of false-ceiling panels falling on passengers, glasses cracking, etc., and the passengers have also learned to adjust to it. ... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER: Please go to your seats.

... *(Interruptions)*

SHRI T.G. VENKATESH BABU : I would like to know this from the hon. Minister. ... (*Interruptions*) Does the Government have any plans to provide state-of-the-art facilities and services matching those available in the Asian countries in the newly proposed Terminal building? ... (*Interruptions*) If so, please provide the details of the total estimated cost as well as the time by which it will be completed. ... (*Interruptions*) Thank you, Madam. ... (*Interruptions*)

SHRI JAYANT SINHA : The Chennai Airport did face a number of problems with the construction of the previous buildings. ... (*Interruptions*) Those have largely been addressed and we are monitoring the situation very carefully. ... (*Interruptions*) We have an *Air Sewa* grievance portal where any complaints about the Terminal or about the Airport are instantly handled. ... (*Interruptions*) We are really responsive, through social media, to be able to address any issue. ... (*Interruptions*)

As you know, ground breaking has just been done on the new Terminal for the Terminal building. ... (*Interruptions*) This Terminal building demonstrates aesthetically the best of Tamil art and culture, which is now available online. ... (*Interruptions*) You can see all of that through a 3D walkthrough. ... (*Interruptions*)

I will give you the exact details about how much money is going to be spent on that Brownfield Airport as well. ... (*Interruptions*) I will provide you that information right now. ... (*Interruptions*) The modernization of the Chennai Airport Phase-II had been given a budget of Rs. 2,467 crore. ... (*Interruptions*) The work was awarded in May 2018, and the expected completion date is January 2022. ... (*Interruptions*)

SHRI R. GOPALAKRISHNAN: Thank you, Madam. ... (*Interruptions*) First of all, our heartiest thanks to the hon. Prime Minister of India, Shri Modi, for announcing AIIMS Hospital at Madurai in Tamil Nadu. ... (*Interruptions*)

What are the steps taken by the Ministry of Civil Aviation for development, upgradation and modernization of the Madurai Airport? ... (*Interruptions*) I am asking this because Madurai is one of the important cities in South Tamil Nadu area. Madurai is known as the 'temple city', and there is a lot of connectivity from there to Rameshwaram, Kodaikanal and Kanyakumari also. ... (*Interruptions*) What steps the Ministry of Civil Aviation intend taking in the future for development of Madurai Airport? ... (*Interruptions*) Thank you, Madam. ... (*Interruptions*)

SHRI JAYANT SINHA : Madam, the upgradation of an airport is a continuous process taking into account the facilities available there; the demand that is there; and the needs of the various airlines that are operating there. ... (*Interruptions*)

There is an Advisory Committee for each of these different Airports. ... (*Interruptions*) They are regularly providing us with recommendations as to what needs to be done, and we are following up on those recommendations. ... (*Interruptions*)

Of course, Madurai, is a big Airport for Tamil Nadu, and many airlines are adding more flights and services to Madurai on the basis of demand. ... (*Interruptions*) This is entirely a commercial decision that the airlines make based on their commercial judgement. ... (*Interruptions*)

11 25 hrs

(At this stage, M.I. Shanavas, Shri Mohammad Salim and some other hon. Members went back to their seats.)

(Q. 23)

श्री प्रहलाद सिंह पटेल: अध्यक्ष महोदया, सारा देश और आसपास के देश भी जानते हैं कि देश के प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में नितिन जी ने योजनाबद्ध तरीके से सड़कों का निर्माण किया है। मैं उसके लिए उनका अभिनंदन करता हूँ। मुझे यह लगता है कि पूरे देश में इस बात पर कोई मतभेद नहीं है कि रोड के मामले में जो काम देश में हुआ है, उसके बारे में देश में सराहना होती है। देश के बाहर भी हमारी इज्जत बढ़ी है और इसकी सराहना होती है। मैं मंत्री जी के जवाब से भी संतुष्ट हूँ। उन्होंने कहा है कि नर्व पेभमेंट की कॉस्ट कम होती है, लेकिन जहां पर पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां इनका रख-रखाव काफी सस्ता है। हमारी सरकारी उपक्रम संबंधी कमेटी की जो 19वीं रिपोर्ट थी, उसमें भी इस बात का उल्लेख किया गया था कि वास्तव में सीमेंट की सड़कें काफी मजबूत होती हैं और रख-रखाव की दृष्टि से सस्ती होती हैं।

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक और बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि जब अटल जी की सरकार थी तो 'प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना' के माध्यम से आबादी वाले क्षेत्र में सीमेंट की सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा गया था और बाकी जगहों पर डामर रोड बनाने का लक्ष्य रखा गया था। यह बात सच है और देश के सामने भी यह बात आई है। वास्तव में रख-रखाव की दृष्टि से उसकी लागत कम है। नॉर्थ-ईस्ट में बहुत सारे ऐसे स्थान थे, जहां पर वर्षों तक सरकारें पैसा देती थीं, लेकिन वहां कभी स्थायी रोड नहीं बनती थीं। खंडूरी जी ने उस समय ऐतिहासिक काम किया था।

मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसे क्षेत्र या प्रतिशत तय हैं, जहां पर सरकारें यह मानती हैं कि जलवायु की दृष्टि से स्थायी सीमेंट की सड़कें बन सकती हैं? क्या ऐसा कोई रोड मैप उन्होंने बनाने की कोशिश की है? प्लास्टिक का उपयोग हमारे लिए एक समस्या बन गई है, क्या उसके बारे में भी कोई विचार सरकार के सामने है?

श्री नितिन गडकरी: माननीय स्पीकर महोदया, हमारे देश में प्लास्टिक पर्यावरण के हिसाब से समस्या पैदा कर रहा है। माननीय प्रधान मंत्री जी का जो स्वच्छ भारत मिशन है, उसको ध्यान में रखते हुए आईआरसी:एसपी.98-2013 गाइडलाइन में हम ने यह कहा है कि हॉट बिटूमिन मिक्सचर

में, ड्रॉई प्रॉसेस में 10 प्रतिशत प्लास्टिक डाली जा सकती है। इसके बारे में सभी राज्य सरकारों को सूचना भी दी गई थी, लेकिन पर्यावरण के हिसाब से इसका जितना इंप्लिमेंटेशन होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ है। मैंने अर्बन मिनिस्टर से भी इसके बारे में चर्चा की है और ग्रामीण विकास मंत्री जी के साथ चर्चा होना बाकी है। अब हम ने यह तय किया है कि दस प्रतिशत प्लास्टिक और उसके साथ रबर टायर के टुकड़े बिटुमिन में डालना मैनडेटरी होगा। अगर यह मैनडेटरी होगा तो शहरों के रास्ते नगर परिषद, महानगर परिषद के रास्ते, राज्य के रास्ते डिस्ट्रिक्ट रोड्स और महामार्ग पर बिटुमिन और वेस्ट प्लास्टिक यूज होगा तो रास्ते अच्छे बनेंगे और पर्यावरण की समस्या भी सॉल्व होगी। हम ने इसकी फाइल मूव की है। उसके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्वीकृति लेनी है और अर्बन मिनिस्ट्री ने उसके लिए स्वीकृति दी है। यह मैनडेटरी होगा तो स्वच्छ भारत मिशन में प्लास्टिक बड़े पैमाने पर यूज हो कर हमारी समस्या को सुलझाने में मदद करेगा। बिटुमिन का भाव 40-45 रुपये किलोग्राम है और प्लास्टिक 10-15 रुपये किलोग्राम है। मैंने कुछ महानगर पालिका को यह सुझाव दिया है कि जो महिलाएं बचत करती हैं, वे अपने घर में वेस्ट प्लास्टिक से वैल्यू क्रिएट करें। अगर उनके द्वारा इक्वटा की गई प्लास्टिक को म्युनिसिपल कारपोरेशन खरीदती है तो गरीब महिलाओं को काम मिल सकता है। मैंने ऐसा इनिशिएटिव अपने संसदीय क्षेत्र नागपुर में लिया है। मुझे लगता है कि पर्यावरण की दृष्टि से यह बहुत अच्छा है और इससे रास्ते की क्वालिटी भी सुधरेगी। जहां तक सीमेंट-कन्क्रीट रोड की बात है, जहां ज्यादा वर्षा होती है, वहां बिटुमिन रोड्स नहीं टिकते हैं। वैसे हम ने तय किया था कि हम 100 प्रतिशत कन्क्रीट रोड बनाएंगे। उस समय हमारे स्टील और सीमेंट इंडस्ट्रीज की हालत ठीक नहीं थी। मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि आज सीमेंट इंडस्ट्री में जितना सीमेंट बनता है, उसका 40 प्रतिशत हम रोड्स बनाने में यूज कर रहे हैं। मैंने सीमेंट इंडस्ट्री के लिए एक मीटिंग बुलाई थी। डीजल का भाव बढ़ता है, रॉयल्टी बढ़ती है, पावर का भाव बढ़ता है, यह अलग बात है। बहुत दिनों से इस इंडस्ट्री को कार्टेल बनाने की गलत आदत लगी है। कॉम्पिटेटिव कमिशनर ने भी इनको बड़े-बड़े फाइन किए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। सीमेंट इंडस्ट्री का एक प्रकार से ब्लैकमेलिंग है। जब इसके संबंध में हमने गोवा में मीटिंग की थी

तब हम ने कहा कि जहां सीमेंटेड रोड्स हैं, अगर सीमेंट का भाव बढ़ा है तो उसमें 30 प्रतिशत कॉस्ट कम करके बिट्यूमिन में कंवर्ट कर सकते हैं।

यह मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन इंडस्ट्री के कार्टल करने की वजह से ऐसा करना पड़ा। मैं सीमेंट इंडस्ट्री के लोगों को बुलाने वाला हूं और प्राइस मैकेनिज्म देने वाला हूं। अगर डीजल, रॉयल्टी, कोल, पॉवर आदि के भाव बढ़ते हैं और सीमेंट के भाव बढ़ें, तो ठीक है। आपको पता होगा कि कुछ राज्यों में सीमेंट का बैग 380 रुपये का है और कुछ राज्यों में 210 रुपये का है। हमने इनाम पोर्टल बनाया है, उसमें भी इनसे रेट कांट्रैक्ट किया है। इस इंडस्ट्री में सीमेंट के रेट के बारे में एक फिक्स पालिसी होनी चाहिए। अगर यह नहीं मानेंगे तो मैंने श्री रामविलास पासवान जी जो फूड एंड सिविल सप्लाय के मंत्री हैं, उनसे भी चर्चा की है कि यदि सीमेंट इंडस्ट्री का यही रोल रहा, तो सीमेंट को भी एसेंशियल कोमोडिटी में डालना होगा। प्रधान मंत्री आवास योजना और बड़े-बड़े रोड बनाने के लिए यह इंडस्ट्री जिस प्रकार से कर रही है, तो उसे भी एसेंशियल कोमोडिटी में डालने का काम करना होगा।

मैं आपके मार्फत बताना चाहता हूं कि सीमेंट रोड की लाइफ सौ साल की होती है। आप मुम्बई-पूना एक्सप्रेस हाईवे देख सकते हैं। वहां जितना भी पानी खड़ा हो जाए, एक भी गड्ढा आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन जहां बिट्यूमिन रोड है वहां गड्ढे पड़ जाते हैं क्योंकि बिट्यूमिन और पानी का अलग किस्म का कॉम्बिनेशन होता है, जिससे रोड खराब हो जाती है। हमारा प्रयास है कि कंक्रीट रोड बने और उसके ऊपर बिट्यूमिन की लेयर लगाकर ड्राइविंग के लिए जो स्मूथ सरफेस चाहिए, वह भी मिले, इस प्रकार की आइडियल योजना बनाने का विचार है। वर्तमान में बिट्यूमिन रोड के साथ-साथ सीमेंट रोड भी बनाई जा रही है। देश में 50 परसेंट सीमेंट कंक्रीट की रोड देश में बन रही है और अगर सीमेंट इंडस्ट्री की तरफ से दिक्कत आएगी, तो फिर से बिट्यूमिन की रोड बनाने की तरफ जाना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई पर्याय नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : मुझे लगता है कि दूसरा पूरक प्रश्न पूछने की गुंजाइश नहीं है।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : महोदया, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि मैंने जो प्रश्न पूछा था, उसका विस्तृत जवाब मंत्री जी की तरफ से दिया गया है। इसके लिए मैं मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।

महोदया, सीमेंट, बालू और मिट्टी, ये तीन चीजें हैं जो सड़क की गुणवत्ता को मजबूत करती हैं। यह सच है कि सीमेंट इंडस्ट्रीज की जो मोनोपोली है, उस वजह से दिक्कत आ रही है। मैं मध्य प्रदेश से आता हूं और हमारे यहां जब भी टेंडर निकलता है तो नर्मदा सैंड और काली गिट्टी का यूज सड़क बनाने में किया जाता है। मैं एक बार जबलपुर से कटनी जा रहा था। हमारे यहां बड़े पैमाने पर संगमरमर है। संगमरमर की जो कटिंग होती है, वहां उसके पहाड़ लगे हुए हैं और उन्हें रोड बनाने के बेस में डाला जा रहा था। मैं जिओलॉजी का स्टूडेंट हूं, मेरी जानकारी में वह काफी सॉफ्ट पत्थर होता है और वह एनएच पर यूज किया जा रहा था। एक बड़ी कम्पनी उस रोड को बना रही है। मुझे लगता है कि हमें इस बात को स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि नर्मदा सैंड हमारे यहां प्रतिबंधित हो गई है और कागजों में नर्मदा सैंड दिखायी जा रही है। मुझे लगता है कि ऐसे काम राज्यों में हो रहे हैं, इसलिए नियमों को यूनीवर्सल बनाने की जरूरत है। सभी जगह तो काली गिट्टी उपलब्ध नहीं हो सकती है, मुझे लगता है कि क्लासिफिकेशन होना चाहिए। उसमें संगमरमर की कटिंग आती है या नहीं, यह मुझे नहीं पता है।

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार के सामने ऐसी कोई समस्या आई है? यदि इसकी गुणवत्ता को मेनटेन करना है तो वह ऐसे होगा कि सीमेंट अच्छा होना चाहिए, पत्थर अच्छा होना चाहिए, रेत अच्छी होनी चाहिए और मिट्टी काली न हो आदि। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कोई यूनीवर्सल पैमाना है, जो सबके लिए ठीक हो? ऐसा पैमाना बनाना चाहिए। राज्यों में रेत की जो कालाबाजारी हो रही है, उस पर भी इस वजह से अंकुश लग सकेगी।

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी पहले ही बहुत ज्यादा सोचते हैं, आप उन्हें और ज्यादा सोचने के लिए चैलेंज दे रहे हैं।

श्री नितिन गडकरी : माननीय सदस्य ने जो बात कही है, वह सच है। एक तरफ रोड बनाने की बात कही जाती है और दूसरी तरफ सैंड को बैन कर देते हैं। महाराष्ट्र के सांसद सदन में उपस्थित हैं। महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री और हमारे सहयोग से बहुत अच्छा मॉडल तैयार हुआ है। वाशिम से सांसद यहां हैं। अकोला में एक पूरी नदी खत्म हो गई थी, अब उसका पुनर्जीवन हुआ है। नदी और नालों के

वेस्ट को निकाल कर रोड में उसका यूज करने की अनुमति महाराष्ट्र सरकार ने दी है। अकोला और बुलढाना जिले में 88 लाख टन मैटीरियल निकला है, जो मुफ्त में रोड बनाने के काम में आया है। इससे रोड बनाने की कीमत कम हुई और इस वजह से वाटर स्टोरेज भी बढ़ा है। संजय धोत्रे जी अकोला से हैं। यहां पूरी नदी पुनर्जीवित हुई, नाले पुनर्जीवित हुए, वाटर कंजर्वेशन हुआ और कुओं का पानी बढ़ गया।

मैं देश के सभी प्रदेशों से आह्वान करना चाहता हूँ कि इस प्रकार के वेस्ट मैटीरियल के लिए अपने-अपने जिलों में आग्रह करें। इस प्रकार से बिना एक पैसा खर्च हुए, यह काम होगा। इसमें एनएचएआई का पैसा खर्च होगा।

इन्होंने जो बातें कहीं, इस पर अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ है। मैं माफी माँगूंगा क्योंकि मैं नागपुर से हूँ और वेस्टर्न कोल फील्ड नागपुर में ही है। कोल इंडस्ट्री में एक डम्प निकलता है और इससे सैंड निकलती है। उसका कांट्रैक्ट एनएचएआई ने लिया। प्रधान मंत्री आवास योजना के लिए उसका कांट्रैक्ट हुआ। बाजार में इसका 1600 रुपये का भाव है और यह सैंड 140 रुपये के भाव से मिली और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम हुआ। यह काम पूरे कोल माइंस में हो सकता है।

माननीय सदस्य जियोलॉजी के विद्यार्थी हैं, इसमें क्रिस्टलॉग्रफी और मिनरॉलजी है, उसमें मोह स्केल ऑफ हार्डनेस है, जो रॉक का हार्डनेस बताती है। इसमें टाल्क, जिप्सम, कैल्साइट, ऐपेटाइट, अर्थोक्लोस, क्वार्ट्स, कोरंडम, डायमण्ड आदि हैं। (...व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: यह बात उनको मालूम है या नहीं, आप पूछिए।

श्री नितिन गडकरी: इसमें समस्या यह है कि रोड में कोई भी पत्थर यूज नहीं किया जा सकता है क्योंकि मैटीरियल का लेबोरेट्री टेस्टिंग होने के बाद उसकी कितनी हार्डनेस है, यह उस पर निर्भर करता है। इसलिए जो मार्बल का वेस्ट होता है, उसके हार्डनेस की चेकिंग हुई है या नहीं, यह मुझे पता नहीं है। लेकिन, मैंने एक इंस्ट्रक्शन दी है कि जिन-जिन राज्यों में जो भी वेस्ट मैटीरियल मिलता है, मैंने तो गाजीपुर की टीकरी का पूरा कचरा दिल्ली-मेरठ हाइवे में डालने की कोशिश की। सीआरआरआई से उसके लिए अप्रूवल मिला। अब टीकरी का पूरा कचरा रोड निर्माण में जाता है। लेकिन बाद में इस बात पर विवाद हुआ कि मशीन लगाकर प्लास्टिक और मेटल वेस्ट को सेग्रीगेट

करना है, तो उसे कौन करेगा? इसमें समय नष्ट हुआ। मैं थक गया। आखिर में मेरठ हाइवे बन गया और कचरा वहीं का वहीं रहा।

आप सभी से मेरी प्रार्थना है, आपके शहरों में जो कचरा है, उसमें प्लास्टिक, मेटल और ग्लास को अलग कर उसे एग्रीगेट करके रोड में डाला जा सकता है। इन्वायरन्मेंट के हिसाब से आप जितने भी प्रयोग करेंगे, उतनी सुविधा आप लोगों को दीजिए। हम लेबोरेट्री टेस्ट करके उसे सेन्ट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट से वेरिफाई करवाएंगे। हमारी प्रायरिटी होगी कि वेस्ट प्लास्टिक, वेस्ट रबर, नदी-नालों की खोलीकरण से प्राप्त एग्रीगेट, माइनिंग में निकले डम्प से सैंड निकालकर उसे यूज करना, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इम्पूव करना, टाइम पीरियड कम करना आदि किए जाएँ ताकि अच्छी सड़कें जनता को दी जा सकें। To save money is to earn money. आपकी बातों का पूरी तरह से उपयोग किया जाएगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ (...व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब इनको डॉक्टरेट की उपाधि देनी पड़ेगी।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे प्रश्न पूछने की अनुमति दी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैंने अपने संसदीय क्षेत्र बाँका में फोर-लेन सड़क के निर्माण के लिए माननीय मंत्री श्री गडकरी जी से निवेदन किया था। इन्होंने पत्र का जवाब भी पॉजिटिव दिया। इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने राज्य सरकार को पत्र लिखा तथा निर्देश भी दिया। आज से छह महीने पहले राज्य सरकार ने तीन पत्र लिखे और इन्होंने सभी पत्रों का जवाब अनुकूल दिया। बिहार के लखीसराय, विद्यापीठ, जमुई, बरहट, लखीमपुर, बेलहर, कटोरिया, बाँका से देवघर, जो झारखण्ड में है, तक फोर लेन सड़क की आवश्यकता जनहित में है। आवागमन में बहुत परेशानी होती है। इसलिए फोर लेन रोड की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या माननीय मंत्री जी विचार रखते हैं और क्या वे इस पर कार्रवाई करेंगे?

श्री नितिन गडकरी: सम्माननीय स्पीकर महोदया, मेरे स्टेटमेंट को राजनीतिक रूप से न लिया जाए। यूपी में इतना अच्छा काम हुआ कि वहाँ के सेक्रेट्री को मैंने गोवा में बधाई दी। बिहार में काम

करते-करते मैं बहुत थक गया हूँ। समस्या यह है कि लैंड एक्विजिशन नहीं होता है, उसके रेट इतने ऊपर कर दिए गये हैं, इतनी कमेटीज बना दी गई हैं कि एग्रीकल्चरल एरिया में अर्बन एरिया के रेट लगाये गये हैं। यदि जिलाधिकारी लैंड एक्वायर करके नहीं देंगे, इन्वायर्न्मेंट क्लीयरेंस नहीं होगा, यूटिलिटी शिफ्टिंग नहीं होगी, तो काम कैसे होगा? इसलिए हमने पुराने अनुभव के आधार पर एक नियम बनाया है क्योंकि यूपीए के समय में तीन लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट बंद हो गये थे। जब तक 80 प्रतिशत लैंड एक्विजिशन नहीं होता है, तब तक हम काम शुरू नहीं करते हैं, हम उसके लिए अप्वाइंटमेंट डेट नहीं देते हैं।

मैं सम्माननीय सांसद महोदय से प्रार्थना करूँगा, विशेषरूप से अनेक राज्यों में इस दिशा में काफी अच्छे काम हुए हैं। लैंड एक्विजिशन, यूटिलिटी शिफ्टिंग, फॉरेस्ट क्लीयरेंस आदि राज्य सरकारों के काम हैं। उसमें 2.5 पर्सेंट रेट भी सभी जगहों के लिए समान कर दिया गया है।

कल कर्नाटक के मुख्यमंत्री मेरे पास आए और उन्होंने मुझे एक लैटर दिया और कहा कि जैसा आपने कहा था, हमने वैसा ही किया है। इस पर सब ने खुशी जताई। आप के राज्य में मैं तीनों काम मंजूर कर चुका हूँ। मैं उन कामों को शुरू करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी कंडीशन यह है कि 80 पर्सेंट लैंड एक्विजिशन हाथ में आए बिना मैं काम नहीं शुरू करूँगा। आप अपने स्टेट में कलैक्टर्स से इतना क्लियर करवा दीजिए। इसके क्लियर होने के बाद आप मेरे पास आइए। मैं 24 घंटों के अंदर फाइनेंशियल अप्वाइंटमेंट डेट देकर काम शुरू करवा दूँगा।

श्री शेर सिंह गुबाया: धन्यवाद स्पीकर मैडम।

मैडम, मैं आपके माध्यम से मंत्री साहब से कुछ पूछना चाहता हूँ और निवेदन भी करना चाहता हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे देश में फोर लेन, सिक्स लेन सड़कें बनी हैं, लेकिन इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स की एक बहुत बड़ी गलती है। जिस जगह पुल बनता है, उसके बिलकुल साथ में एक गढ़वा बन जाता है। इस कारण आम तौर पर जब कोई वहाँ ट्रेवल करता है, तो उसे रेस पैडल से अपना पैर उठाना ही पड़ता है। अगर वह पैर नहीं उठाता है, तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इससे कई लोग खतरे में पड़ते हैं और कई लोगों की मौतें भी हुई हैं।

क्या मंत्री जी यह श्योर करेंगे कि जिस कॉन्ट्रैक्टर ने रोड, पुल और ब्रिज बनाए हैं, उन पर जो गढ़े बन जाते हैं, उनकी तीन या पांच साल की मेंटिनेंस के लिए वे कोई श्योरिटी लेंगे? क्या वे कॉन्ट्रैक्टर्स हर महीने ऐसे गढ़ों पर नजर डालकर उन्हें सही करने का काम करेंगे? ये गढ़े एक्सीडेंट होने का एक बहुत बड़ा कारण हैं। क्या इसको सही किया जाएगा? धन्यवाद।

श्री नितिन गडकरी : सम्माननीय स्पीकर महोदया, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, वह सच है। केवल इन गढ़ों के संबंध में ही नहीं, बल्कि डी.पी.आर. बनाने वालों को भी काम पूरा होने के बाद हमसे 25 टके पैसा लेना पड़ता है। बहुत से लोग ये 25 टके माँगने आते ही नहीं हैं, क्योंकि वे डिफेक्टिव काम करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर भी बहुत बार ऐसा करते हैं। इसमें डिफैक्ट लाइबिलिटी का क्लॉज है। हमारे डिपार्टमेंट का यदि सब से नेगेटिव प्वाइंट कोई है, तो वह यह है कि रोड एक्सीडेंट्स को कम करने की हमने जो 50 टके की बात की थी, उसे हम केवल चार-पांच परसेंट ही कम कर सके हैं। पांच लाख एक्सीडेंट्स होते हैं, जिनमें डेढ़ लाख लोग मरते हैं। हमने इसे आइडेंटिफाई कर के कई जगह अंडरपास और ब्रिजेज बनाए हैं, लेकिन यह दुख का विषय है कि हम इस संख्या को कम नहीं कर पा रहे हैं। एक्सीडेंट्स में मरने वाले जो लोग हैं, उनमें 18 से 35 वर्ष की आयु के लोग 65 परसेंट हैं। मेरा खुद का रोड एक्सीडेंट हुआ है। आज हमने 786 ब्लैक स्पॉट्स निकाले हैं। हमने इसके बारे में राज्य सरकारों को भी कहा है। मैं आप सभी सांसदों को भी आह्वान करता हूँ। आपके जिलों में आपकी अध्यक्षता में मैंने एक कमेटी बनाई है। उसका ऑर्डर भी निकला है...(व्यवधान) आपके कलेक्टर के यहाँ आपकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी। उस कमेटी में आपके जिले में जितने ऐसे स्पॉट्स हैं, आप उन स्पॉट्स पर विजिट करेंगे। उस कमेटी में एस.पी. और कलेक्टर होंगे...(व्यवधान) यदि आपके यहाँ कमेटी नहीं है, तो आप उसे तुरंत फॉर्म कर लीजिए। ...(व्यवधान) इसके ऑर्डर इश्यू हुए हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग प्लीज उनकी बात सुनो।

...(व्यवधान)

श्री नितिन गडकरी : सम्माननीय स्पीकर महोदया, मैं सभी एम.पी.जे. को निकाले गए आदेश की कॉपी फिर से भेजता हूँ। आप सब इसके आधार पर अपनी अध्यक्षता में कमेटी फॉर्म कीजिए और

निश्चित रूप से आपके जिले में ऐसे जितने क्षेत्र हैं, उन्हें आप आइडेंटिफाई कीजिए। ... (व्यवधान)
आप इन क्षेत्रों के बारे में स्टेट और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को सुझाए और जो एन.एच. का हो, उसे मुझे दीजिए। हम उसे काम को पूरी तरह करेंगे। हम जो काम करेंगे, उसकी डिफेक्ट लाइबिलिटी के लिए पांच साल का प्रोविजन करेंगे। धन्यवाद।

HON. SPEAKER: Question No. 24, Shri Tej Pratap Singh Yadav – Not present.

Shrimati Anju Bala.

(Q. 24)

श्रीमती अंजू बाला: धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं सब से पहले माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने युवाओं को प्रेरणा देने के लिए हम फिट, तो इंडिया फिट का चैलेंज एक्सैप्ट किया। मैं स्वयं सांसद हूँ और मैंने भी उसे एक्सैप्ट किया है। यह देश के युवाओं के लिए एक बहुत अच्छी पहल है।

मैं माननीय मंत्री जी और सरकार को इस बात के लिए भी बधाई देती हूँ कि “खेलो इंडिया” के माध्यम से युवाओं के अंदर एक नई प्रेरणा और रुचि पैदा हुई कि वे कौन से खेल में आगे आ सकते हैं। हमारी सरकार ने जो इस प्रकार के कार्य क्रम चलाए हैं, मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार ने देश में एक राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करने हेतु कोई अध्यादेश जारी किया है? अगर किया है तो वह किस राज्य में है और उसके लिए कौन सा स्थान निर्धारित किया है? ...(व्यवधान)

कर्मल राज्यवर्धन राठौर (सेवानिवृत्त): अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले माननीय सांसद को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने “हम फिट तो इंडिया फिट” के तहत खुद का फिटनेस विडियो भी डाला और पूरे भारतवर्ष ने उस फिटनेस विडियो का समर्थन किया। हमने इम्फाल में एक नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी तैयार की है। इसके अंदर चार स्कूल होंगे और 13 डिपार्टमेंट होंगे। गत जनवरी माह से इसमें बेचलर ऑफ कोचिंग और बेचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन और जल्द ही चार कोर्सेस और शुरू होंगे।

श्रीमती अंजू बाला: महोदया, बहुत ही अच्छा उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया है...(व्यवधान) मैं यह कहना चाहती हूँ कि आप लोग हर बात का इश्यू बनाते हैं, लेकिन जो अच्छी बात होती है उसको भी एक्सैप्ट करना चाहिए ...(व्यवधान) जो इतना अच्छा काम किया है, उसे भी देखना चाहिए...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अंजू बाला जी, आप प्रश्न पूछिए। इधर-उधर की बात मत कीजिए।

...(व्यवधान)

श्रीमती अंजू बाला : महोदया, मैं यह जानना चाहती हूँ कि फर्जी डिग्री के कई केस सामने आते हैं और उनके आधार पर उनको नौकरी भी मिल जाती है। रेलवे अधिकतर खिलाड़ियों को नौकरी देती है, लेकिन कई बार उनकी डिग्री फर्जी पायी जाती है। क्या आपके संज्ञान में ऐसा कोई केस आया है?

कर्मल राज्यवर्धन राठौर (सेवानिवृत्त) : महोदया, इस तरह के केस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के होते हैं और आम तौर पर ये सर्टिफिकेट स्पोर्ट्स फेडरेशनस इश्यू करती हैं। अगर उसमें कोई गलती पायी जाती है तो उनसे तहकीकात करके चेकबैक किया जा सकता है...(व्यवधान)

श्रीमती रंजीत रंजन: अध्यक्ष जी, मेरा सवाल स्पोर्ट्स से संबंधित है। उससे पहले जो सवाल किया गया, उसको जोड़कर मैं कहना चाहूंगी कि क्वैश्चन-ई का आंसर नहीं दिया गया है कि क्या भाई-भतीजावाद के कारण भी खिलाड़ियों और खेल पर असर पड़ता है? हम लोग भी स्पोर्ट्सपर्सन हैं और इसका असर बिलकुल पड़ता है। मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहूंगी और आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि फ्रांस ने 20 साल बाद वर्ल्ड कप जीता है। उनका जो कोच है, वह 20 साल पहले की टीम का कैप्टन था। और उस समय भी फ्रांस ने गोल्ड मेडल जीता था। आज एक चैनल में आया था, मुझे भी उस हॉकी प्लेयर का नाम याद नहीं है क्योंकि हमने उसे हाईलाइट नहीं किया, वह इंडिया की गोल्ड मेडल टीम का एक प्लेयर था। वह पिछले दो साल से बीमार था, लेकिन हम में से किसी को भी पता नहीं है। मैं केवल कम्पेयर कर रही हूँ कि फ्रांस की गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम का कैप्टन आज उस टीम का कोच बन गया है, जब कि हमारी हॉकी टीम का एक प्लेयर जब मरा तो इंडिया में किसी को पता नहीं है। ऐसी सिचुएशन हमारे देश में क्यों है? एक तरफ आप स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ हमने फण्ड के साथ छलावा किया हुआ है। हम ऊंट के मुंह में जीरा देते हैं, ऊपर से आपने प्राइवेट अकेडमी पर जीएसटी लगा दिया है।

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए।

श्रीमती रंजीत रंजन: स्पोर्ट्स सामान पर जीएसटी लग गया है। सरकारी अकेडमी उस क्वालिटी को मेंटेन नहीं करती है। बेडमिंटन, बॉक्सिंग, लॉन टेनिस के लिए प्राइवेट अकेडमी हैं। मैं स्वयं खेलती थी। लेकिन पैसे की कमी के कारण मुझे लॉन टेनिस छोड़ना पड़ा था। आज भी सिचुएशन बदली नहीं है। अनुराग सिंह ठाकुर साहब कह रहे थे कि पी.टी. उषा अकेडमी को छः करोड़ रुपये क्यों दिए?

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए।

श्रीमती रंजीत रंजन: छः करोड़ रुपये देना गलत नहीं है। हम इतना कम फण्ड खिलाड़ियों के लिए क्यों रखते हैं? नेशनल खिलाड़ियों की नौकरी की गारण्टी क्या हमारा देश लेता है?

माननीय अध्यक्ष : इतना लम्बा प्रश्न नहीं होता है। आप संक्षिप्त प्रश्न पूछिए।

श्रीमती रंजीत रंजन : जब तक हम खिलाड़ी की रोजी-रोटी का इंतजाम नहीं करते हैं, तब तक मुझे नहीं लगता है कि हम खेलों में कुछ कर पाएंगे। हमारे पास बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, बेस्ट हेल्थ गाइड नहीं है ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप भाषण मत दीजिए। आप बैठ जाइए।

कर्मल राज्यवर्धन राठौर (सेवानिवृत्त) : महोदया, माननीय सांसद ने जो बात रखी है, उस में से अगर प्रश्न ढूँढने की कोशिश की जाए तो प्रश्न बहुत बड़ा हो जाएगा। इस प्रश्न का शायद यही जवाब है कि आज जरूरत इस बात की है कि खेलों के अंदर जो राजनीति है, उस राजनीति को खत्म किया जाए। हालांकि यह प्रश्न इस प्रश्न से संबंधित नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : आप भी इस पर ज्यादा मत बोलिए, क्योंकि यह तो बहुत लम्बा हो जाएगा। आप अच्छे खेल के लिए प्रमाणिक प्रयास कीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप भी खेलते हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप उत्तर देना चाह रहे हैं?

...(व्यवधान)

कर्मल राज्यवर्धन राठौर (सेवानिवृत्त): इसका उत्तर मैंने बड़े रूप में दे दिया है, खास तौर से मैं यह भी बता दूँ कि खिलाड़ियों के लिए नौकरियों में रिजर्वेशन भी है, खिलाड़ियों के लिए अपटू 5 परसेंट जो रिजर्वेशन है, वह हर गवर्नमेंट जॉब के अंदर है। ... (व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूँ, माननीय खड़गे जी को बधाई देनी चाहिए कि कम से कम बीजेपी एनडीए की सरकार में पहली बार नेशनल स्पोर्ट्स ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप स्पोर्ट्स में इसे कहां ला रहे हैं, अगेन राजनीति की बात हो रही है। आप प्रश्न पूछिए, आई एम सॉरी।

श्री जगदम्बिका पाल: पहली बार नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है, पहली बार इस देश में कम से कम एक राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, इसके लिए मैं अपनी सरकार को बधाई देता हूं और मैं आपके माध्यम से ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप उनको बीच में क्यों लाते हो, आप अपनी कबड्डी में उनको क्यों लाते हो?

SHRI JAGDAMBIKA PAL : I was an Inter-University player. I think you were a kid when I had represented Inter-University hockey team.

माननीय अध्यक्ष : जगदम्बिका पाल जी, प्लीज प्रश्न पूछिए, आपस में बातें नहीं होनी चाहिए, मैं यहां बैठी हूं, आप प्रश्न पूछिए।

श्री जगदम्बिका पाल: मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उन्हें मालूम नहीं है कि मैं इंटर यूनिवर्सिटी खेल चुका हूं...(व्यवधान) उनके पिता जी साथ थे।

माननीय अध्यक्ष : आप चेयर को बताओ। स्पोर्ट्स पर एक अच्छा प्रश्न चल रहा है।

श्री जगदम्बिका पाल : मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से 21 मई, 2018 में मणिपुर में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो क्या सरकार भविष्य में और राज्यों में भी इस तरीके से खेल विश्वविद्यालय की स्थापना पर विचार कर रही है, यदि हां तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि ये सब ऐसे राज्य हैं कि जहां से खिलाड़ी ओलम्पिक में गए हैं। क्या केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश में भी एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना पर विचार करेगी?

कर्मल राज्यवर्धन राठौर (सेवानिवृत्त): मैडम, यह बहुत अच्छा सवाल है और खास तौर से इस समय यह जरूरत थी कि एक इस तरह का करिकुलम तैयार हो, इस तरह का एक सिलेबस तैयार हो, इस तरह की एक हाई स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी तैयार हो, जो उसमें एक टार्च बेयरर का रोल अदा करे। जो नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर में बन रही है, उसके जो आउटलाइन सैंटर्स हैं, कुछ ऐसे सैंटर्स हम अलग-अलग राज्यों में बनाएंगे, लेकिन मेन मदर यूनिवर्सिटी वही रहेगी। जो

सर्टिफिकेशन या डिग्री मिलेगी, वह वहीं से मिलेगी, लेकिन वही सिलेबस दूसरी जगह भी पढ़ाया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष: बहुत अच्छा। पहली बार स्पोर्ट्स के दो-दो प्रश्न लगे हैं, युवा मिनिस्टर कुछ अच्छा कर रहे हैं, अच्छे प्रश्न पूछिए तो अच्छा लगेगा।

(Q. 25)

श्रीमती भावना गवली (पाटील): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से प्रश्न पूछना चाहूंगी, लेकिन उसके पहले मैं गडकरी साहब को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। अभी-अभी उन्होंने अपने उत्तर में बताया कि वाशिम, बुलढाणा और अकोला के लिए जो नदी जोड़ प्रकल्प है, उसके लिए उन्होंने निधि का आबंटन किया है। हमारे क्षेत्र में तथा महाराष्ट्र के हाईवे के लिए बहुत सारा फंड भी दिया है।

लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि जब नेशनल हाईवे घोषित होता है तो उसका डीपीआर बनता है, उसके बाद टेंडर होता है और फिर काम की शुरुआत होती है। लेकिन यह जो प्रोसेस होता है, उसमें कम से कम 10 से 15 महीने लग जाते हैं और जब उसे एन.एच. नम्बर मिलता है तो उसमें भी टाइम लग जाता है। इसके बीच में जो सैंक्शन होता है, जो राज्य सरकार की रोड होती है, उसका मेन्टिनेंस नहीं हो पाता है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आप इस बारे में कुछ सोच रहे हैं कि इसके लिए राज्य सरकार को लिखा जाए कि जब तक उसको नेशनल हाईवे नम्बर न मिले, तब तक उसका मेन्टिनेंस राज्य सरकार करे। महाराष्ट्र के लिए अभी 4611 किलोमीटर का डीपीआर रेडी है, लेकिन उसे अभी तक एन.एच. नम्बर नहीं मिल पाया है। उसे कब तक एन.एच. नम्बर मिलेगा और कब तक उसका टेंडर होकर काम शुरू होगा, यही मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ।

श्री नितिन गडकरी: स्पीकर महोदया, देश में जब हमारी सरकार आई तब 91 हजार राष्ट्रीय महामार्ग थे। राष्ट्रीय महामार्ग को बढ़ाने के लिए डिपार्टमेंट में एक बड़ी कंजर्वेटिव एप्रोच थी, यह अभी भी है और इनकी एप्रोच बहुत गलत है। क्योंकि हमारे देश में 22 परसेंट आटोमोबाइल की ग्रोथ है, इसलिए रोड बनानी बहुत आवश्यक है। परंतु विभाग में यह सोच थी और इसको परमीशन नहीं मिलती थी। अब पहली बार हमने नेशनल हाईवे को 1 लाख 80 हजार किलोमीटर किया है। अब यह पहले से दोगुना हो गया। उसमें अब प्रॉब्लम यह है कि 91 हजार किलोमीटर से 1 लाख 30 हजार किलोमीटर तक हमने एन.एच. डिक्लेयर किया है, नम्बर दिया है और बाद में जो 1 लाख 30 हजार से 1 लाख 80 हजार तक है, उसको हमने प्रिंसिपल नेशनल हाईवे की मान्यता दी है।

प्रिंसिपल नेशनल हाईवे का अर्थ यह होता है कि इसकी हम डीपीआर बनाते हैं, फिर इसकी मंजूरी देते हैं, उसके बाद काम करते समय उसको नेशनल हाईवे की मान्यता देते हैं। जब तक यह

प्रिंसिपल नैशनल हाईवे है, इसका अर्थ यह है कि जब तक इसको हाईवे का नंबर नहीं मिलता है, तब तक इसको मेन्टेन करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और राज्य सरकार को उसको मेन्टेन करना चाहिए। नॉर्थ-ईस्ट के कुछ राज्यों में मैंने विशेष तौर पर थोड़ा बहुत इसमें मेन्टेनेंस के लिए पैसा दिया है। ... (व्यवधान) मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके क्षेत्र में जो प्रिंसिपल नैशनल हाईवे है, उसको मेन्टेन करने के लिए हम पैसा नहीं दे सकते हैं। यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, उन्हें करना चाहिए। क्योंकि आज यह संभव नहीं है। परंतु एक बात आपको बताता हूँ, खैरे साहब भी यहां बैठे हैं, शहरों के बीच में से जो नैशनल हाईवे जाता था, उसके लिए हमने पहली बार निर्णय किया कि वह भी हम इम्पूव करेंगे और ब्रिज बनाएंगे। यह निर्णय किया कि हमारे पैसे से काम कर के फिर उसे म्युनिसिपल कार्पोरेशन को वापस कर देंगे। अब इसका इतना बजट बढ़ा कि यह डेढ़-दो लाख करोड़ रुपये का काम है। खैरे जी भी पीछे पड़े हैं, नौ सौ करोड़ रुपये इनके आए हैं, आपके यहां के लगभग तीनों पुल मैंने कर दिए हैं। अब मेरी आपसे विनती है कि इसमें थोड़ा समय लगेगा और हम मैक्सिमम करेंगे और यह जो चार हजार करोड़ रुपये की जो बात है, तो अब महाराष्ट्र का वार्षिक बजट खत्म हो गया है। एनएचएआई में, हमको राष्ट्रीयकृत बैंकों ने करीब एक लाख तीस हजार करोड़ रुपये तुरंत देने का ऑफर किया है। इसमें बॉण्ड के क्षेत्र में भी जा रहे हैं, पैसा रेज करने के बाद हम काफी काम कर रहे हैं और इसलिए पैसे की कमी नहीं है। परंतु जैसे ही वह पैसा मिलेगा उसको हम लोग तुरंत करे और वह काम होगा।

श्रीमती भावना गवली (पाटील): महोदया, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी, वैसे तो मुझे लगता है कि मंत्री जी के पास ज्ञान का भण्डार है, इसलिए मेरा ज्ञान बहुत कम पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी मेरी जो शंका है, वह मैं यहां पर पूछने की कोशिश करूंगी। जैसा मैंने अखबार में पढ़ा है कि बैंकों के साथ आपकी चर्चा हुई। आपने उनके साथ चर्चा कर के हाईवे के लिए धनराशि ली है, लेकिन आज मुझे यह बात दिखती है कि बैंक का बहुत एनपीए हो रहा है, तो हमारे पास यह धनराशि उपलब्ध कराने के लिए प्लान -बी क्या है?

श्री नितिन गडकरी : अध्यक्ष महोदया, मैं प्रधान मंत्री मोदी जी और वित्त मंत्री अरुण जेटली जी को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि हमने 22 कैबिनेट निर्णय बदले, नए निर्णय लिए हैं। यूपीए सरकार में

403 प्रोजेक्ट्स जिनकी कीमत 3 लाख 85 हजार करोड़ रुपये थी, महोदया, ये लगभग पूरे एनपीए अकाउंट बन रहे थे और पूरा सैक्टर डूब गया था। हमारी सरकार ने भारतीय बैंकों को तीन लाख करोड़ रुपये के एनपीए से केवल हमारे विभाग ने बचाया है और अब वह ठीक हो गया है। परंतु यह बात सच है कि हमने हाइब्रिड एन्युटी में जो प्रोजेक्ट्स निकाले हैं, उनमें 56 प्रोजेक्ट्स का फाइनेंशियल क्लोजर नहीं हो रहा है। बैंक गारंटी नहीं दे रहा है। फिल्हाल बैंक में थोड़ी अड़चन आ रही हैं, इसलिए बैंकों के चेयरमैनो के साथ और रिज़र्व बैंक के गवर्नर के साथ मैंने बैठक की है। उन्होंने ऐसा कहा है कि कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देने के बजाए हम आपको देते हैं। आप ईपीसी में कराइए। ईपीसी यानि हम टेंडर निकाल कर करेंगे। बीओटी और हाइब्रिड एन्युटी मत करो, तो हमने उनको पूछा कि आप कितना पैसा देने के लिए तैयार हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि बैंकों ने लिखित पत्र दो घंटे में दे दिया। बैंक हमें एक लाख तीस हजार करोड़ रुपये देने के लिए तैयार हैं।

महोदया, अब वह हाइब्रिड एन्युटी, पीपीपी इनवेस्टमेंट आदि ये प्रोग्राम पीछे रह जाएगा, तो मैंने उनको कहा कि मैं काम कर लूंगा, परंतु यह जो पांच-सात लाख करोड़ रुपये का बिज़नेस जो आपको सिक्वोर्ड मिल रहा है, यह क्यों छोड़ते हो तो भारतीय स्टेट बैंक से ले कर सभी बैंकों के चेयरमैनो ने कहा कि हम इस योजना में मदद करेंगे। आपको परेशानी होगी तो दिल्ली में, बैंक में बैठक कर के हम सॉल्व करेंगे। अब उन्होंने स्वीकृति दी है, फिल्हाल हम उम्मीद करते हैं कि बैंकों से पैसा मिलने में और गति आने की आवश्यकता है। मैंने वित्त मंत्री जी को भी कहा है, वे भी इस पर बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा और आगे कोई और प्रॉब्लम नहीं आएगी।

श्री प्रतापराव जाधव : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा और उसके पहले मैं गडकरी साहब को अपनी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि सबसे ज्यादा किलोमीटर लांघ कर एनएच उन्होंने मेरे संसदीय क्षेत्र में मंजूर किया है और उनके बहुत सारे काम भी वहां पर शुरू हो गए हैं। लेकिन मैं मंत्री जी को इतना ही बताना चाहूंगा कि रोड के काम की देख-रेख करने के लिए जो अथॉरिटी इंजिनियर्स वहां नियुक्त किए जाते हैं, उनकी नियुक्ति बहुत देरी से होती है। जब तक नियुक्ति होती है, तब तक वह सारा काम ठेकेदार लोग जो होते हैं, वे कर देते हैं। पांच

साल की उनकी वॉरंटी है कि पांच साल तक वे रोड का रख-रखाव करते हैं, यह ठेकेदार की जिम्मेदारी है।

12 00 hrs

यह कंक्रीट की रोड पाँच साल में खराब होने वाली नहीं है। उन्हें तीस साल तक उसकी मरम्मत आदि करने के लिए बताया गया है। मेरी मंत्री जी से एक विनती है कि अथॉरिटी इंजीनियर का काम बुलढाणा जिले में सही तरह से नहीं हो रहा है। उनके ऊपर देखरेख करने की बहुत जरूरत है। नैशनल हाइवे के लोग बहुत कम हैं। हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारियों की संख्या बहुत कम है। एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चार-चार जिलों के लिए होता है। डिप्टी इंजीनियर्स की संख्या कम है और जूनियर इंजीनियर भी वहाँ पर कम हैं। वहाँ अथॉरिटी इंजीनियर और ठेकेदार की मिलीभगत से बहुत सारी रोड्स में गड़बड़ी हो रही है और आगे भी हो सकती है।

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए। अब समय पूरा हो गया है।

श्री प्रतापराव जाधव : मेरा मंत्री जी से यही प्रश्न है कि उनके ऊपर कंट्रोल रखने के लिए डिपार्टमेंट की तरफ से कौन से कदम उठाये जा रहे हैं?

श्री नितिन गडकरी : महोदया, सम्माननीय सदस्य अथॉरिटी इंजीनियर्स के बारे में जो कह रहे हैं, वह सही बात है। यह समस्या हमारे सामने आई है कि काम अवार्ड कर दिया और अथॉरिटी इंजीनियर की नियुक्ति नहीं की। यह गलत बात है। यह बात मेरे ध्यान में आई है और हमने यह कहा है कि अथॉरिटी इंजीनियर की नियुक्ति काम से पहले ही हो। फाइनेन्शियल क्लोजर होने से पहले ही अथॉरिटी इंजीनियर की नियुक्ति होनी चाहिए। इसकी सूचना दे दी गई है। आप जो कुछ जगहों के बारे में कह रहे हैं तो यह बात सही है। इसमें सुधार किया जाएगा।

दूसरी बात यह है कि अथॉरिटी इंजीनियर की बजाय हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी करके एक प्रकार का नया सिस्टम इंट्रोड्यूज करने का प्रयास कर रहे हैं। यह सिस्टम हमने मुंबई-पुणे एक्सप्रेस हाइवे में किया था और उस सिस्टम को हम यहाँ लांच करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे यह होगा कि एक इंजीनियर की बजाय एक प्रोफेशनल कंपनी उसकी पूरी चेकिंग करेगी। वह बहुत से

कामों को अच्छी तरह से चेक कर पाएगी और इससे और एफिशिएंसी आ सकती है। जो भी माननीय सदस्य के सुझाव हैं, हम उन पर विचार करके इसमें सुधार करेंगे। धन्यवाद। ... (व्यवधान)

श्री धर्म वीर गांधी: महोदया, मुझे भी प्रश्न पूछने का मौका दीजिए। ... (व्यवधान) मंत्री जी, सड़कें चाहे कंक्रीट की बनें। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माफ कीजिए। मैं आपको फिर कभी प्रश्न पूछने का मौका दूँगी। अब कुछ मत पूछिए। मैं आपको बाद में कभी मौका दूँगी।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे विभिन्न विषयों पर कुछ सदस्यों से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मामले महत्वपूर्ण हैं, अन्य अवसरों पर इन्हें उठाया जा सकता है। मैं इन्हें उठाने की इजाजत भी दे दूँगी। मैंने किसी भी स्थगन प्रस्ताव की सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

...(व्यवधान)

12 02 hrs**RESIGNATION BY MEMBER**

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को यह सूचित करना है कि ओडिशा के केन्द्रपाड़ा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री बैजयंत 'जय' पांडा ने लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। मैंने 18 जुलाई, 2018 से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है।

12 02 ½ hrs**VACATION OF SEAT BY MEMBER**

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कोट्टयम संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के निर्वाचित सदस्य श्री जोस के. मणि के राज्य सभा के लिए निर्वाचित होने के परिणामस्वरूप, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 67क और धारा 68 की उप-धारा (4) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 69 की उप-धारा (1) के निबंधनों के अनुसार 14 जून, 2018 से वे लोक सभा के सदस्य नहीं रहे हैं।

12 03 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: The House will now take up Papers to be laid on the Table of the House.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI R.K. SINGH): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Memorandum of Understanding between the Rural Electrification Corporation Limited and the Ministry of Power for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 9228/16/18]

(ii) Memorandum of Understanding between the NTPC Limited and the Ministry of Power for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 9229/16/18]

(iii) Memorandum of Understanding between the Solar Energy Corporation of India Limited and the Ministry of New and Renewable Energy for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 9230/16/18]

(iv) Memorandum of Understanding between the Indian Renewable Energy Development Agency Limited and the Ministry of New and Renewable Energy for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 9231/16/18]

(v) Memorandum of Understanding between the SJVN Limited and the Ministry of Power for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 9232/16/18]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Solar Energy, Gurugram, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Solar Energy, Gurugram, for the year 2016-2017.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

[Placed in Library, See No. LT 9233/16/18]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING (SHRI PON RADHAKRISHNAN):
Madam, I beg to lay on the Table a copy of the Notification No. G.S.R.519(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 1st June, 2018 approving the Tuticorin Port Trust (Issue of Entry Permit for Vehicles/Equipments/Persons) (Amendment) Regulations, 2018 under sub-section (4) of Section 124 of the Major Port Trusts Act, 1963.

[Placed in Library, See No. LT 9234/16/18]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (SHRI JAYANT SINHA): Madam, I beg to lay on the Table a copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Airports Authority of India and the Ministry of Civil Aviation for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 9235/16/18]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI MANSUKH L. MANDAVIYA): Madam, I beg to lay on the Table:- (1) A copy each of the following notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988:-

2 (i) The Central Motor Vehicles (Eighteenth Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.1482(E) published in Gazette of India dated 7 th December, 2017.

(ii) The Central Motor Vehicles (Seventeenth Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.1483(E) published in Gazette of India dated 7th December, 2017.

(iii) The Central Motor Vehicles (First Amendment) Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.178(E) published in Gazette of India dated 20th February, 2018.

(iv) The Central Motor Vehicles (Second Amendment) Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.201(E) published in Gazette of India dated 5th March, 2018.

(v) The Central Motor Vehicles (Third Amendment) Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.243(E) published in Gazette of India dated 20th March, 2018.

(vi) The Central Motor Vehicles (Fourth Amendment) Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.367(E) published in Gazette of India dated 13th April, 2018.

(vii) The Central Motor Vehicles (Fifth Amendment) Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.368(E) published in Gazette of India dated 13th April, 2018.

(viii) The Central Motor Vehicles (Sixth Amendment) Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.454(E) published in Gazette of India dated 15th May, 2018.

(ix) The Central Motor Vehicles (Seventh Amendment) Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.490(E) published in Gazette of India dated 25th May, 2018.

(x) The Central Motor Vehicles (Eighth Amendment) Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.518(E) published in Gazette of India dated 1st June, 2018.

(xi) The Central Motor Vehicles (Ninth Amendment) Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.527(E) published in Gazette of India dated 6th June, 2018.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 9236/16/18]

12 04 hrs

ASSENT TO BILLS

SECRETARY-GENERAL: Madam Speaker, I lay on the Table the following 3 Bills passed by the Houses of Parliament during the Fourteenth Session of Sixteenth Lok Sabha and assented to by the President since a report was last made to the House on the 6th February, 2018:-

1. The Finance Bill, 2018;
2. The Appropriation (No. 2) Bill, 2018; and
3. The Appropriation (No. 3) Bill, 2018

I also lay on the Table copy, duly authenticated by the Secretary-General, Rajya Sabha, of the Payment of Gratuity (Amendment) Bill, 2018 passed by the Houses of Parliament and assented to by the President.

[Placed in Library, See No. LT 9237/16/18]

12 04 ½ hrs

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

103rd to 106th Reports

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Madam, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Public Accounts Committee (2018-19):-

(1) 103th Report on the subject 'Assessment of Entities Engaged in Health and Allied Sector'.

(2) 104th Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their 27th Report (16th Lok Sabha) on 'Exemption to Charitable Trusts and Institutions'.

(3) 105th Report on the subject 'Creation of Tourist Infrastructure in Andaman & Nicobar Islands'.

(4) 106th Report on the subject 'Improper Management of Defence Land'.

12 05 hrs

STANDING COMMITTEE ON CHEMICALS AND FERTILIZERS

46th to 48th Reports

SHRI ANANDRAO ADSUL (AMRAVATI): Madam, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers:-

(1) Forty-sixth Report on the subject 'Promotion and Coordination of basic, applied and other research in areas related to the Pharmaceutical Sector' of the Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Pharmaceuticals).

(2) Forty-seventh Report on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the Fortieth Report (16th Lok Sabha) on the subject 'Implementation of New Urea Policy - 2015' of the Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Fertilizers).

(3) Forty-eight Report on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the Forty third Report (16th Lok Sabha) on 'Demands for Grants 2018-19' of the Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Fertilizers).

12 05 ¼ hrs

STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT

(i) 49th to 51st Reports

DR. P. VENUGOPAL (TIRUVALLUR): Madam, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Rural Development:-

(1) Forty-ninth Report on action taken by the Government on the recommendations contained in the Thirty-ninth Report (Sixteenth Lok Sabha) on 'Watershed Development Component of Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (WDC-PMKSY)' of the Ministry of Rural Development (Department of Land Resources).

(2) Fiftieth Report on 'Improvement in the functioning of Panchayats' of the Ministry of Panchayati Raj.

(3) Fifty-first Report on 'Swachh Bharat Mission -Gramin (SBM-G) in States/UTs of the Ministry of Drinking Water and Sanitation.

(ii) Statements

DR. P. VENUGOPAL: Madam, I beg to lay on the Table the following Statements (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Rural Development:-

(1) Action Taken by the Government on the recommendations contained in Chapter-I and final replies included in Chapter-V of the Twenty-Seventh Report (16th Lok Sabha) on the recommendations of the Committee contained in Sixteenth Report (16th Lok Sabha) on 'BPL Survey (currently Socio-Economic & Caste Census (SECC), 2011' in respect of the Department of Rural Development (Ministry of Rural Development).

(2) Action Taken by the Government on the recommendations contained in Chapter-I and final replies included in Chapter-V of the Twenty-eighth Report (16th Lok Sabha) on the recommendations of the Committee contained in Twenty-first Report (16th Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2016-17)' in respect of the Department of Rural Development (Ministry of Rural Development).

(3) Action Taken by the Government on the recommendations contained in Chapter-I and final replies included in Chapter-V of the Thirty-seventh Report (16th Lok Sabha) on the recommendations of the Committee contained in Twenty-fifth Report (16th Lok Sabha) on 'National Institute of Rural Development and Panchayati Raj (NIRD&PR)" in respect of the Ministry of Panchayati Raj.

(4) Action Taken by the Government on the recommendations contained in Chapter-I and final replies included in Chapter-V of the Thirty-eighth Report (16th Lok Sabha) on the recommendations of the Committee contained in Thirty-

sixth Report (16th Lok Sabha) on 'Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY)' in respect of the Department of Rural Development (Ministry of Rural Development). (5) Action Taken by the Government on the recommendations contained in Chapter-I and final replies included in Chapter-V of the Forty-first Report (16th Lok Sabha) on the recommendations of the Committee contained in Thirty-fourth Report (16th Lok Sabha) on "Demands for Grants (2017-18)' in respect of the Ministry of Panchayati Raj.

(6) Action Taken by the Government on the recommendations contained in Chapter-I and final replies included in Chapter-V of the Forty-third Report (16th Lok Sabha) on the recommendations of the Committee contained in Thirty-third Report (16th Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2017-18)' in respect of the Department of Land Resources (Ministry of Rural Development).

(7) Action Taken by the Government on the recommendations contained in Chapter-I and final replies included in Chapter-V of the Forty-fourth Report (16th Lok Sabha) on the recommendations of the Committee contained in Thirty-fifth Report (16th Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2017-18)' in respect of the Ministry of Drinking Water and Sanitation.

12 06 hrs

STANDING COMMITTEE ON HOME AFFAIRS

212th and 213th Reports

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): I beg to lay on the Table the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Home Affairs:-

(1) 212th Report of the Committee on Action Taken by Government on the Recommendations/ Observations Contained in the 204th Report on Administration and Development of Union Territory of Lakshadweep.

(2) 213th Report of the Committee on Security Situation in the North Eastern States of India.

12 06 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES,

LAW AND JUSTICE

97th Report

SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD): I beg to lay on the Table the Ninety-seventh Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice on Draft Public Servants (Declaration of Assets and Liabilities and Minimum Value of Assets for Condonation or Exemption) Rules, 2017.

12 06 ¾ hrs

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

54th Report

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार): महोदया, मैं कार्य मंत्रणा समिति का 54वाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

12 08 hrs

SUBMISSION BY MEMBERS

Re: Mob lynching incidents in different parts of the country

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Madam Speaker, I thank you very much for giving me an opportunity to express the serious situation throughout the country regarding the attack on freedom speech and mob lynching incidents happening throughout the country.

Our Constitution and the rule of law grants equal rights to every citizen to express his opinion by the physical attack against the political opponents and persons who have a different view has become the order of the day nowadays. Dialoguers and discussions form the crux of the democratic society. People belonging to the Ruling Parry are trying to take law into their hands and silence the opposite views. There are a lot of such happenings in the country. Dialogue and discussions are healthy for the democratic country. But what is happening now? There are attacks against people. They are not sparing even the Treasury Benches. Respected Sushma Swaraj was amusedly told in the social media by the people belonging to the same ideology for performing her constitutional duty. We have difference of opinion with Shrimati Sushma Swaraj and her ideology but the happenings against her is also condemnable. The hon. Prime Minister is also keeping silent on these things.

Madam Speaker, I am pointing out a very serious issue. I would request the Government to secure the democratic environment in the country. About two or three days ago, Swami Agnivesh had been brutally attacked in

Jharkhand. What has he done in Jharkhand? The Minister of Jharkhand himself is justifying the attack. Nobody has been taken into custody and no case has been registered. Is this the rule of law? Targeting people with different views has become a daily affair. Why is this happening? The Minister from the Government is supporting it. I can say that the hon. Minister of State of Finance, Shri Jayant Sinha, has garlanded the accused persons. The Minister himself has done it. Then how can you ensure law and order in the country? ...
(Interruptions) Madam, this is a very important issue. ... *(Interruptions)*

Madam, you know that the Missionary of Charity of Mother Teresa is one of the important organisations. That organisation has also been targeted by the Union Government. I want the response of the Home Minister. Hon. Supreme Court has given a direction to the Government to come up with a new law.

माननीय अध्यक्ष: श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन, एडवोकेट जोएस जॉर्ज, श्री रवीन्द्र कुमार जेना, श्री एम.बी.राजेश, श्री राजीव सातव, श्री पी.के.बिजू तथा श्रीमती सुप्रिया सुले को श्री के.सी. वेणुगोपाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती संतोष अहलावत (झुन्झुनू): अध्यक्ष महोदया, मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे शुन्य काल में बोलने का मौका दिया...(व्यवधान)

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान दिल्ली-सराय रोहिला से सीकर तक चलने वाली गाड़ी संख्या 1421 और 1422 की ओर दिलाना चाहती हूँ...(व्यवधान)

महोदया, इस गाड़ी को चलाने का मुख्य उद्देश्य मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों को रेल सेवा उपलब्ध कराना था...(व्यवधान) वर्तमान में इस गाड़ी को सप्ताह में केवल तीन दिन संचालित किया जा रहा है...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Only the speech of Shrimati Santosh Ahlawat will go on record.

... (Interruptions)... *

श्रीमती संतोष अहलावत: महोदया, यह गाड़ी सीकर से बुधवार, शुक्रवार, रविवार को रात्रि में तथा दिल्ली से मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को रात्रि में संचालित होती है। जिस कारण 24 से 26 घंटे मेरे जिले के लोगों को या तो सीकर में या फिर दिल्ली में इंतजार करना पड़ता है। इससे लोगों को असुविधा तथा वित्तीय घाटा भी हो रहा है। इसलिए मेरे क्षेत्र में नियमित रूप से साप्ताहिक गाड़ी मिले और उसका समय-सारणी अच्छी हो। धन्यवाद। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री सुमेधानन्द सरस्वती, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी तथा कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती संतोष अहलावत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

* Not recorded.

12 10 hrs.

SUBMISSION BY MEMBER...Contd.

Re : Mob lynching incidents in different parts of the country

माननीय अध्यक्ष: एक मिनट, आप सुनिए। आप मेरी बात तो सुनिए। अगर वे चर्चा के लिए तैयार हैं तो मैं मना नहीं करूँगी।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shri Kodikunil Suresh, please do not do that. Go to your seat.

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: यह क्या है? यह हर रोज का तमाशा है। मैं चर्चा के लिए मना नहीं कर रही हूँ। श्री खड़गे जी, प्लीज, अभी आप नहीं बोलेंगे। आपकी बात मुझे भी समझ में आ रही है। मामला गंभीर है, इसे मैं समझती हूँ। मैं भी पेपर पढ़ती हूँ। इसलिए मैंने इसे तुरंत उठाने के लिए कहा। अगर गवर्नमेंट जवाब देना चाहे तो मैं मना नहीं कर रही हूँ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप सभी बैठिए। अगर आप बोलना चाहेंगे तो उन्हें भी कुछ कहने दीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब आप दोबारा नहीं बोलेंगे। मैं आपकी बात समझ रही हूँ। आप बार-बार नहीं बोलेंगे।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: If the Minister is ready, he may respond. He is ready to say something. I am allowing him to respond.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: श्री वेणुगोपाल जी, आप बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैंने देखी नहीं कि वे बोलने के लिए तैयार हैं। आप सभी ऐसा क्यों करते हैं, आप इतना गुस्सा क्यों करते हैं? मुझे भी मालूम है। मैं भी इंसान हूँ

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री वेणुगोपाल जी ने पूरी बात बोली है। वे भी जवाब दे देंगे। बहुत सारी घटनाएँ होती हैं। हर घटना की चर्चा की जरूरत नहीं है। यह जनरल बात है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री ज्योतिरादित्य जी, आप बैठिए। यह कोई डिबेट नहीं है। मैंने बोली थी कि आप अपनी बात समाप्त कीजिए। आप एक घंटा तक बोलते रहे, ऐसा नहीं होता है।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Do you want to complete, Shri Venugopal? If so, you please complete.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Do you want to complete, Shri Venugopal? If so, you please complete. यहाँ पर पूरा हिन्दुस्तान नहीं लाना है।

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): The attitude of the Government is also worsening the situation in the country. What has happened with Missionaries of Charity. The Government is misusing its agencies for targeting people who have different views. Therefore, hon. Supreme Court has intervened and given a direction to create a new law.

Therefore, I urge upon the Government to make a law to stop mob lynching and also advise the Minister not to garland the accused people. This is my demand.

माननीय अध्यक्ष : हो गया, हर एक को नहीं बोलना है। आप बैठिए।

...(व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): अध्यक्ष महोदया, यह सच है कि देश के कई भागों में लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं, जिनमें कई लोगों की जानें गई हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि विगत कुछ वर्षों में ही लिंचिंग की घटनाएं इस देश में हुई हैं...(व्यवधान) आप पूरी बात तो पहले सुन लीजिए।

माननीय अध्यक्ष : आप शांति से सुनिए।

...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : लिंचिंग की घटनाएं पहले भी होती रही हैं, लेकिन लिंचिंग की घटनाओं में जो भी हताहत होते हैं, जो भी मारे जाते हैं, वह निश्चित रूप से किसी भी सरकार के लिए चिंता का एक विषय हो सकता है। मॉब लिंचिंग के कारण जिन लोगों की भी हत्याएं हुई हैं अथवा जो भी घायल हुए हैं, उसकी मैं अपनी सरकार की तरफ से भर्त्सना करता हूं, आलोचना करता हूं। इस एप्रोच को मैं पूरी तरह से कंडेम्न करता हूं। सभी सम्मानित सदस्यों को इस बात की जानकारी होगी कि इस प्रकार की मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं होती हैं, वे अफवाहों के आधार पर होती हैं, संदेह के आधार पर होती हैं, अनवैरिफाइड जो फेक न्यूज होती हैं, उनके कारण भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। राज्य सरकारों की यह जिम्मेदारी बनती है कि इस प्रकार की जो भी घटनाएं होती हैं, उस पर वे प्रभावी कार्रवाई करें। पुलिस हो अथवा पब्लिक आर्डर हो, यह स्टेट सब्जेक्ट है, यह सेंटर का सब्जेक्ट नहीं है। स्टेट सब्जेक्ट होने के बावजूद केन्द्र सरकार इस पर चुप्पी साधकर नहीं बैठ सकती है। लगातार जब इस प्रकार की घटनाएं हो रही थीं, तब तुरन्त हमारी होम मिनिस्ट्री के द्वारा एक बार नहीं दो बार, एक बार वर्ष 2016 में भी एडवाइजरी जारी की गई और फिर वर्ष 2018 में जुलाई के फर्स्ट वीक में भी हम लोगों ने एडवाइजरी जारी की है। अध्यक्ष महोदया, जैसा मैंने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरह से फेक न्यूज प्रोपगेट करने की कोशिश की जाती है, उसके कारण भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : टोका-टोकी नहीं।

...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : हम लोगों ने जो सोशल मीडिया सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनसे भी यह कहा है कि ऐसी फेक न्यूज, अफवाहों को रोकने के लिए अपने सिस्टम में वे चेक इंस्टाल करें। ... (व्यवधान) ये जो सोशल मीडिया सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उन सोशल मीडिया सर्विस प्रोवाइडर्स को भी हम लोगों ने कहा है। ... (व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की घटनाएं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं। इस संबंध में जहां पर भी घटनाएं हुई हैं, शायद ही कुछ घटनाओं के बारे में ऐसा हुआ हो कि संबंधित मुख्यमंत्री से हमारी बात न हुई हो, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं होने के बाद और उसकी जानकारी मिलने के बाद तत्काल उन मुख्यमंत्रियों से भी मैं सीधे बातचीत करता हूं और उनसे मैं यही आग्रह करता हूं कि जो भी इसमें अपराधी हों, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब हो गया। ऐसा नहीं होता है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जीरो ऑवर में जीरो ऑवर जैसा ही काम करते हैं।

...(व्यवधान)

श्री श्यामा चरण गुप्त (इलाहाबाद): माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने पूरे देश में करों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से दिनांक 01-07-2017 से वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम लागू किया है।

12 18 hrs

At this stage Shri Rajesh Ranjan came and stood on the floor near the Table.

यह तथ्य उल्लेखनीय है कि देश के विभिन्न प्रान्तों में अब भी कुछ स्थानीय कर, प्रान्तीय कर भिन्न-भिन्न दरों पर आरोपित किए जा रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में मण्डी शुल्क आज भी प्रभावी है, जबकि पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में एवं अन्य प्रदेशों में इसे समाप्त कर दिया गया है। ...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): कोई हमारी बात ही नहीं सुन रहा है, इसलिए हम वाक आउट करते हैं। ...(व्यवधान)

12 19 hrs

At this stage Shri Mallikarjun Kharge and some other hon. Members left the House

श्री श्यामा चरण गुप्त : इस प्रकार असमानताओं के कारण न केवल भ्रष्टाचार पनपता है, बल्कि अन्तर्राज्यीय व्यापार करने वाले व्यापारियों में सरकार के प्रति असंतोष की भावना उत्पन्न होती है। यहां यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि राज्यों के मध्य प्रान्तीय करों की विभिन्नता होने से वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की मूल भावना, कि सारे देश में एक समान कर होगा, का स्पष्ट उल्लंघन है। विभिन्न राज्यों में प्रांतीय करों में असमानता तथा स्थानीय करों के प्रावधानों को पूर्ण रूप से समाप्त करके वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की मूल भावना के अनुसार सभी प्रांतों में एक समान कर की व्यवस्था की जाए। यही मेरा सरकार से अनुरोध है।

माननीय अध्यक्ष : श्री शरद त्रिपाठी, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री अजय मिश्रा टेनी, श्री राघव लखनपाल, श्री शिवकुमार उदासि, श्री निशिकान्त दुबे, डॉ संजय जायसवाल और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री श्यामा चरण गुप्त द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अर्जुन लाल मीणा (उदयपुर): अध्यक्ष महोदया, मैं राजस्थान प्रदेश के बांसवाड़ा में स्थित मानगढ़ धाम के बारे में बताना चाहता हूँ। बांसवाड़ा मानगढ़ धाम राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। वहाँ वर्ष 1913 में गुरु गोविन्द के नेतृत्व में लगभग 1500 आदिवासी शहीद हुए थे। उस स्थान को राष्ट्रीय गौरव का दर्जा दिया जाए। राजस्थान सरकार ने लगभग दस करोड़ रुपये खर्च करके वहाँ शहीद स्मारक बनाई है। गुजरात सरकार ने भी वहाँ पैसा लगा कर विकास का कार्य कराया है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय दर्जा दिया जाए, यही मेरी मांग है। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री सुमेधानन्द सरस्वती और श्री चन्द्र प्रकाश जोशी को श्री अर्जुन लाल मीणा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : अध्यक्ष महोदया, लोकतंत्र के प्रभावी प्रदर्शन एवं अच्छे परिणाम प्राप्त करने हेतु संविधान में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को विभिन्न जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। सभी को समान, संपत्ति एवं संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की समय-समय पर माननीय उच्च-न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा समीक्षा की जाती है, परंतु जनसामान्य को माननीय उच्च-न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालयों से भाषा, ट्रांसलेशन, वकीलों की बहुत बड़ी फीस और अभियोजन के अप्रभावी प्रदर्शन के कारण न्याय प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होती है।

जन सामान्य को सरलता से न्याय प्राप्त हो सके, वह आर्थिक व अन्य कठिनाइयों से बच सके। मैं अपेक्षा करता हूँ कि पक्षकारों को शपथ पत्र व बहस तथा रिट हिन्दी व क्षेत्रीय भाषाओं में दाखिल करने का अधिकार माननीय उच्चतम न्यायालय में प्राप्त हो। न्यायालयों द्वारा जब अन्य भाषा से जब अंग्रेजी भाषा का ट्रांसलेशन मांगा जाता है तो उसमें बहुत बड़ा खर्च आता है। यह खर्च

न्यायालय द्वारा उठाया जाए या सरकार द्वारा उठाया जाए। सीनियर अधिवक्ताओं की अधिकतम फीस की सीमा तय की जाए। जिनकी आय पांच लाख रुपये वार्षिक से कम है, ऐसे कम आमदनी वाले लोगों को माननीय उच्च-न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में वाद अपील दायर करने में जो खर्च आए, जो भी न्याय प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अभी हाल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक योजना प्रारंभ की है, ऐसी ही नीतिगत निर्णय लेकर पांच लाख रुपये से कम आमदनी वाले लोगों को माननीय उच्च-न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में ऐसी सुविधा दी जाए कि उनका खर्च सरकार द्वारा उठाया जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री शरद त्रिपाठी, श्री रवीन्द्र कुमार जेना और श्री लखन लाल साहू को श्री अजय मिश्रा टेनी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): अध्यक्ष महोदया, दिल्ली में हम लोग पूरे देश की बातें कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट एप्वाइंटेंट मोनिटरिंग कमेटी ने आतंक मचा रखा है। चारों तरफ सीलिंग की बातें होती हैं तो बहुत सारे किस्से सामने आए हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर जहां हाई कोर्ट का पूर्व में आर्डर था, उसकी अवमानना की जा रही है। रिंग रोड पर एक मार्बल मार्केट है, जिनके पास डॉक्यूमेंट हैं, पोजेशन है और उन्होंने उस जगह को खरीदी थी। जगह खरीदने के बावजूद वहां सीलिंग कमेटी पहुंच गई और मामला वापस हाई कोर्ट गया। एसडीएम से लेकर हर ऑफिसर को कहते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट एप्वाइंटेंट सुप्रीम कमेटी हैं, हम जो कहेंगे वह करना होगा। लाजपत नगर मार्केट का एनएनडीओ का केस है, वहां सूट मार्केट के साथ एलएनडीओ के साथ लीज डीड होनी थी, वहां भी सीलिंग कर दिया। बेसमेंट को लेकर हाई कोर्ट का जजमेंट है। कानून के मुताबिक अमेंडेड बाईलाज हैं उसमें भी उसका जिक्र है, यह वर्ष 2009 का केस है। इसके बावजूद जहां बैंक के लॉकर्स चलते हैं, ऐसी जगह भी सील करके चले गए हैं। कानून है कि पन्द्रह मीटर के अंदर आप घर बना सकते हैं। प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना के जरिए एडोप्ट किया था, पिलंजी गांव में नाली, बिजली और पानी की सुविधा नहीं थी। वहां बहुत पतली गलियां हैं, वहां खुदाई करा कर जमीन के नीचे ले गए।

कुछ मकानों का नुकसान हुआ क्योंकि उनकी फाउंडेशन लो थी। जब उन्होंने मकान तोड़कर दोबारा बनवाए, 15 मीटर के दायरे के अंदर मकान बने हुए हैं। लोग अपना मकान छोड़कर किराए पर रह रहे हैं, सीलिंग कमेटी ने उनके घर सील कर दिए हैं।

मेरा निवेदन है कि एक कमीशन बैठना चाहिए। संसद की लॉ जस्टिस और पब्लिक ग्रिवेंस कमेटी को सुओ मोटु कोग्निजेंस लेकर इनके आतंक पर विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट नियमानुसार चलता है, कानून के अनुसार चलता है, देश नियमानुसार चलता है। सीलिंग का प्रोसीजर होता है, सात दिन का नोटिस होता है। लोगों पर नैचुरल जस्टिस एप्लाई किए बिना, लॉज को एप्लाई किए बिना, without application of mind, this kind of tyranny is completely intolerable even if it is an appointed Committee. So, I seek dissolution of this Committee, which is not even obeying the law.

Thank you.

माननीय अध्यक्ष : श्री शरद त्रिपाठी, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री ओम बिरला, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री मनोज तिवारी, डॉ. कुलमणि सामल, श्रीमती किरण खेर और श्रीमती माला राजलक्ष्मी शाह को श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री शैलेश कुमार (भागलपुर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन का ध्यान एक बहुत ही गंभीर एवं महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ जो बिहार राज्य की निषाद जाति तथा उसकी उपजाति को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने से संबंधित है। वर्ष 2004 में निषाद समुदाय की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन की स्थिति पर विचार करते हुए बिहार राज्य सरकार विधान सभा में एक प्रस्ताव लाई थी जो निषाद समुदाय की कुछ उपजातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने से संबंधित था। इसे बिहार विधान सभा द्वारा पारित कर दिनांक 08.11.2004 को अन्य जातियों के साथ मल्लाह एवं बिनूद जाति की भी अनुशंसा कर भारत सरकार को भेजा गया था। राज्य सरकार की अनुशंसा पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इथ्नोग्राफिकल सर्वे रिपोर्ट की मांग की गई थी, जिसे राज्य सरकार के निदेशानुसार ए.एन. सिन्हा इंस्टीट्यूट पटना द्वारा 27 जिलों के सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर ओआरजीआई द्वारा दस

विवेचित बिन्दुओं पर कमेंट मांगे गए थे लेकिन तत्कालीन सरकार ने बिना अपने कमेंट्स के प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिया। इस रिपोर्ट पर ओआरजीआई की असहमति के पश्चात भारत सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया। इस अस्वीकृति के पूर्व ही पुनः बिहार विधान सभा में वर्ष 2015 एक व्यक्तिगत आवेदन पर राज्य सरकार ने निषाद समुदाय की आठ उपजातियां मल्लाह, बिन्द, बेलदार, चाई, तियर, खुलवट, सुरहिया, गोढ़ी, वनपन एवं केवट सहित नोनिया जाति को भी एसटी में शामिल करने की अनुशंसा कर दी। इस अनुशंसा पर जनजातिय कार्य मंत्रालय द्वारा पुनः इथ्नोग्राफिकल सर्वे रिपोर्ट की मांग की गई जिसे मात्र आठ जिलों में सर्वे के आधार पर इथ्नोग्राफिकल सर्वे रिपोर्ट तैयार कर अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए अप्रैल 2018 में बिहार सरकार को सौंप दिया गया। इस रिपोर्ट में निषाद समुदाय की आठ उपजातियों के साथ नोनिया जाति को भी उपजाति के रूप में एमेलगमेट कर दिया गया और इथ्नोग्राफिकल रिपोर्ट में पांच उपजातियां गंगोता, मोरियारी, कैवर्त और अन्य दो को छोड़ दिया गया। बिहार सरकार ने इथ्नोग्राफिकल सर्वे के आधार पर इन सभी आठ उपजातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की अनुशंसा भारत सरकार के पास भेजी है, जो कि अनुचित है। यह सभी उपजातियां एसटी की सूची में शामिल होने के लिए भारत सरकार की गाईडलाइन की अर्हताएं पूरी नहीं करती हैं। एसटी की सूची में शामिल होने के लिए पांच में से मात्र एक अर्हता पूरी करने के कारण यह प्रस्ताव स्वतः ही अस्वीकृत हो जाना चाहिए क्योंकि यह संविधान सम्मत नहीं है।

अतः मेरी सदन के माध्यम से भारत सरकार से मांग है कि एसटी में शामिल करने के प्रस्ताव को अमान्य कर वर्ष 2004 की अनुशंसा के आधार पर निषाद जाति तथा गंगोता सहित सभी उपजातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने हेतु आदेश जारी किया जाए जिससे निषाद समुदाय की सभी उपजातियों का सर्वांगीण विकास हो सके।

माननीय अध्यक्ष : श्री ओम बिरला को श्री शैलेश कुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Thank you very much, Madam Speaker.

I would like to draw the attention of the Government to the decision of the Southern Railway to deny sanction of new trains for Kerala. They are citing capacity constraints, Madam Speaker but instead of remedying this capacity related issue, this ground has been used to deny the State its legitimate interests. The Lalkuan- Thiruvananthapuram Express, that comes to my constituency, the extension of the Pune-Ernakulam Express to Thiruvananthapuram and the proposal to increase the frequency of the Kochuveli-Bikaner Express to thrice a week and the Kochuveli-Lokamanya Tilak Express to a daily basis as recommended by the Central Railway have all been denied by the Southern Railway.

Now, the people who depend heavily on the railways for long distance travel will now be inconvenienced by inconvenient and infrequent train routes. There is a disappointing neglect of Kerala, Madam Speaker, of the railway needs of Kerala. There have been long pending suburban rail projects – the coach factory in Palakkad, the development of Nemom-Kochuveli stations have been pending for years. The Thiruvananthapuram Central Railway station suffers from significant congestion as it has only six or seven track lanes, two of which are used for train servicing. I have submitted a proposal to the Ministry suggesting that the coach-care facility be shifted from Thiruvananthapuram Central Railway station to a new facility close to Nemom-Kochuveli but the Southern Railway has not done this either. There is a continued delay in the completion of track doubling work in and from Thiruvananthapuram which is contributing to this issue. With 70 per cent doubling work, the stretch has been

neglected out of Thiruvananthapuram and I really urge that the Ministry work with the State Government in order to do this.

I would request the Government to take immediate steps to prevent the neglect of Kerala's railway infrastructure and to enhance the development of the State's railways. Thank you, Madam Speaker.

HON. SPEAKER: Shri P.K. Biju and Adv. Joice George are permitted to associate with the issue raised by Dr. Shashi Tharoor.

DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR): Thank you, Madam. I rise to state about one controversial issue. The current controversy and anxiety over the claim that border pillar number 81 marking the international border between India and Myanmar at Kwatha Khunou sector in Manipur is unfortunate. It is alleged that it is being shifted. It must be investigated and settled at the earliest. The concerned Deputy Commissioner of the Government of Manipur alerted the incident of what is believed to be a case of this particular pillar being shifted by as much as three kilometres into Manipur territory which was also being confirmed by the villagers. Now after kicking up the public controversy, the Government of Manipur seem to be backing out, endorsing what the Union Home Minister of State said during a visit to the State, that there is no boundary dispute between India and Myanmar. The people of Manipur are very apprehensive of the bitter experience when Kabaw Valley was seceded to Burma in early 50s.

Madam, I draw your attention that Manipur got Independence on 14th August, 1947, one day before India attained Independence. Manipur remained an independent nation till 1949. Then it got merged with the Union of India on

15th October, 1949 with its own sovereign territory of about 23,000 square kilometres. In the merger agreement which was very controversial, Manipur was defined as dominion just before its merger to Union of India. Now, the territorial dominion area of Manipur is found to be shrinking to about 22,300 square kilometres.

Therefore, I urge the Union Government and the Ministries of Home Affairs and External Affairs to immediately intervene and resolve the Indo-Myanmar border boundary dispute and the dispute of boundary pillar number 81 along the Manipur border, in particular, for all times to come. Thank you, Madam.

HON. SPEAKER: Shri Thangso Baite is permitted to associate with the issue raised by Dr. Thokchom Meinya.

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Thank you, Madam Speaker.

I would like to place before the House and before the Government some serious issues relating not only to the State of Kerala but also its other neighbouring states.

One among them is the Ockhi which has adversely affected various parts of Kerala and its fishermen. Seventy-one fishermen have died. There was a big loss to the lands and agricultural produce. A large number of houses were destroyed. Infrastructural facilities like electricity, telephone lines and roads were highly damaged. The State Government has taken all possible steps by giving compensation to the relatives of deceased persons; providing hospital facilities to the injured; and also rehabilitating those whose houses were destroyed. The State Government has given a comprehensive cyclone-relief

package amounting to Rs. 7,340 crore but at present, according to the disaster management norms, only Rs. 422 crore has been sanctioned.

It is a very meagre amount. Also, we have requested the Government to consider it as a natural calamity. Then only the State can get it.

The other issue which is also affecting Kerala is Nipah which is a very serious virus which has affected some parts of the State especially Calicut. Madam, 17 persons have lost their lives. But, our excellent doctors could find out the reasons behind Nipah. It is very serious. Within time, they could take all measures in order to stop further spreading of the disease. I appreciate that the Health Minister has visited the place and appreciated the work of the State Ministers and also others. World Health Organisation also has praised the work of the State Government. But the sad issue is that we have not got sufficient funds either on the issue of Ockhi or Nipah. We have to take a very big burden on this issue.

So, I would request the Central Government to take up this issue as a humanitarian issue; otherwise it is not possible for the Government to go further without having this huge amount. Thank you.

HON. SPEAKER: Dr. Kulmani Samal, Adv. Joice George, Dr. P.K. Biju, Shri Rabindra Kumar Jena and Shrimati P.K. Shreemathi Teacher are permitted to associate with the issue raised by Shri P. Karunakaran.

डॉ. रघु शर्मा (अजमेर): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। वह एक ऐतिहासिक जगह है। सम्राट पृथ्वीराज की नगरी है और हिन्दुस्तान में एक मात्र धार्मिक स्थल पुष्कर में जगत गुरु ब्रह्मा जी का मंदिर है। वहाँ ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। वहाँ पर मार्बल और ग्रेनाइट का अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। वहाँ 30-35

सालों से लगातार हजारों लोगों का आना-जाना लगा रहता है। वहां लोग सिर्फ रेल मार्ग और सड़क मार्ग के द्वारा जाते हैं। 30-35 सालों यह मांग उठती आ रही थी कि वहां नया हवाई अड्डा बनाया जाए। मैं यूपीए सरकार के प्रधान मंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हवाई अड्डे के लिए जो नॉर्म्स बने हैं, उनमें शिथिलता देते हुए, अजमेर को नए हवाई अड्डे की सौगात दी गई। वहां के लिए 161 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट बना। हमारे प्रधान मंत्री जी ने वर्ष 2012-13 में इसका भूमि पूजन करके शिलान्यास कर दिया। वर्ष 2014 में सरकार बदल गई। वर्ष 2016 से यह हवाई अड्डा बन कर तैयार है।

मैडम, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि हम ने क्या गुनाह किया है कि वर्ष 2016 से ले कर आज तक हर महीने उस हवाई अड्डे के मैनेटेन्स पर डेढ़ करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। अभी अजमेर का उप चुनाव आया तो चुनाव में फायदा लेने के लिए इन्होंने भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री जी को वहां बुलाया। उनसे फीता कटवा कर उसका उद्घाटन किया गया। दो दिन हवाई सेवा चालू करने का नाटक हुआ। बीजेपी के एमएलए को दिल्ली से एयर लिफ्ट करके किशनगढ़ एयरपोर्ट पर उतार दिया। आज तक इतने सालों से वहां हवाई अड्डा बन कर तैयार है, उसके लिए एकड़ों जमीन ली गई है लेकिन आज भी यह हवाई अड्डा जनता की सेवा के लिए चालू नहीं है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इतना लंबा भाषण जीरो अवर में नहीं दिया जाता है।

...(व्यवधान)

डॉ. रघु शर्मा : अध्यक्ष महोदया, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है।

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको बोलने का अवसर दे रही हूँ।

...(व्यवधान)

डॉ. रघु शर्मा: अध्यक्ष महोदया, सरकार नाम की कोई चीज है या नहीं है। ... (व्यवधान) यह तो हद हो रही है। ... (व्यवधान) पब्लिक डिमांड हो रही है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी मांग के बारे में बोलिए।

डॉ. रघु शर्मा: अध्यक्ष महोदया, सरकार का पैसा खर्च हो गया लेकिन लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है। ... (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा): अध्यक्ष महोदया, हमारे देश का आम आदमी हवाई सेवाओं का लाभ ले सके, इसके लिए श्री नरेन्द्र मोदी जी ने वर्ष 2015-16 में उड़ान योजना नीति लागू की थी। प्रधान मंत्री जी ने जो सपना देखा था, उसके तहत आज देश का आम नागरिक भी हवाई सेवाओं का लाभ ले रहा है। राजस्थान सरकार ने भी इंटर स्टेट हवाई सेवाएं शुरू की हैं, जिसमें कोटा, जयपुर, दिल्ली, उदयपुर, किशनगंज आदि जगहें शामिल हैं। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह है कि राजस्थान सरकार की इंटर कनेक्टेड सेवाओं को भी उड़ान योजना के तहत स्वीकार कर लिया जाए, ताकि उड़ान योजना का सारा लाभ राज्य सरकार को भी मिल सके और कोटा से दिल्ली, कोटा से जयपुर और किशनगंज से दिल्ली की हवाई सेवाओं का लाभ राज्य की आम जनता को मिल सके।

महोदया, कोटा में दो लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं। मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि एक नया एयरपोर्ट बनाया जाए, ताकि इन दो लाख विद्यार्थियों के परिवारों को भी इसका लाभ मिल सके और सिंगल इंजन को उड़ान योजना में शामिल किया जाए, ताकि हम दूसरे राज्यों के साथ भी कनेक्टिविटी बेहतर कर सकें।

माननीय अध्यक्ष : श्री शरद त्रिपाठी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, डॉ. कुलमणि सामल और श्री सी.पी. जोशी को श्री ओम बिरला द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद): अध्यक्ष महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र में दो जिले धनबाद और बोकारो हैं और दोनों महत्वपूर्ण जिले हैं। कई प्रकार के केंद्रीय प्रतिष्ठान धनबाद में हैं। कोल माइन्स प्रोविडेंट फंड का मुख्यालय, डायरेक्टर जनरल माइन्स सेफ्टी का मुख्यालय, कोयला का मुख्यालय, रेल मंडल कार्यालय भी यहां है। वहीं बोकारो में बोकारो इस्पात कारखाना है, ओएनजीसी द्वारा मीथेन गैस का उत्पादन हो रहा है। यहां स्टील प्लांट भी है। ऐसे महत्वपूर्ण स्थल पर जहां कई प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि विश्व स्तरीय सरकारी प्रबंधन शिक्षण संस्थान की स्थापना की जाए ताकि लाखों केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को इसका लाभ मिल सके।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल को श्री पशुपति नाथ सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला): महोदया, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी का ध्यान अपने अम्बाला लोक सभा क्षेत्र के यमुना नगर से चंडीगढ़ तक बनने वाली रेलवे लाइन की ओर दिलाना चाहता हूँ। ये सोशियो इकोनोमिक बेस पर मुख्य रूप से मंजूर किया गया प्रोजेक्ट है, जिसके लिए पिछले साल के बजट में 25 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया था। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में इस परियोजना को पूरा करने के लिए जमीन के पैसे देने के विषय में गतिरोध पैदा हो गया है। केंद्र सरकार चाहती है कि राज्य सरकार जमीन के पैसे दे और राज्य सरकार चाहती है कि हमारे संसाधन कम हैं इसलिए केंद्र सरकार इस जमीन का खर्च वहन करे।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी सीट पर जाएं।

...(व्यवधान)

12 45 hrs

At this stage Shri Rajesh Ranjan went back to his seat.

श्री रत्न लाल कटारिया : मैं माननीय रेल मंत्री जी से, नीति आयोग से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जनता के हित में इस रेलवे प्रोजेक्ट को जो कि उत्तरी हरियाणा और उत्तर भारत के राज्यों के लिए गेम चेंजर प्रोजेक्ट है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में काला आम इंडस्ट्रीयल स्टेट के साथ मिलने से कंटेनर कोर्पोरेशन को बहुत फायदा होने वाला है। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि मिल-बैठकर इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए राशि प्रदान की जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल को श्री रत्न लाला कटारिया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती रीती पाठक (सीधी): माननीय अध्यक्ष महोदया, आज मैं अपने संसदीय क्षेत्र से जुड़ी एक विशेष समस्या को आपके माध्यम से भारत सरकार के समक्ष रखना चाहती हूँ। मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे अपने क्षेत्र की समस्या को यहाँ पर रखने का अवसर दिया।

मेरे सीधी संसदीय क्षेत्र में एक जिला है सिंगरौली, जो एक बड़ी औद्योगिक इकाई के रूप में जाना जाता है। इसे पूरे देश के लोग जानते हैं। यहाँ पर चितरंगी विधान सभा क्षेत्र है, जो बहुत ही दूरस्थ है। यह एक दूरस्थ और पहुँचविहीन विधान सभा क्षेत्र कहलाती है। इस विधान सभा क्षेत्र का नाम मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि माननीय प्रधान मंत्री जी ने यहाँ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फण्ड से सड़क उपलब्ध करवायी है। इसके लिए मैं उनको हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ।

इस विधान सभा क्षेत्र के बिछी गाँव में सोन नदी है, जो एक प्रसिद्ध नदी है। सोन नदी एक ऐसी नदी है, जो सिहावल, सीधी, सिंगरौली आदि जिलों को जोड़ती है, इसके साथ ही यह उत्तर प्रदेश को भी जोड़ती है। इस नदी के मार्ग से हमारे क्षेत्र की जनता अपने व्यापार के लिए आवागमन करती हैं। यदि यहाँ पर एक पुल का निर्माण हो जाता है, मैं आदरणीय मंत्री श्री गडकरी जी को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी कि उन्होंने सीधी संसदीय क्षेत्र में एनएच 75 का विस्तृत रूप से निर्माण करवाया है। यह हमारे लिए एक स्वप्न था। हम लोग आज यह सड़क देख पा रहे हैं। मैं जानती हूँ कि यदि आपके माध्यम से इस समस्या को उनके समक्ष रखूँगी, तो जरूर इस पर विचार किया जाएगा। यदि बिछी गाँव में सोन नदी के ऊपर एक पुल का निर्माण हो जाता है, तो उत्तर प्रदेश से यह क्षेत्र जुड़ जाएगा और हमारे क्षेत्र की जनता को इसका बहुत लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार को मैं इसके लिए पत्र लिख चुकी हूँ। जैसे ही प्रदेश सरकार से इसके लिए प्रस्ताव आएगा, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप वह पुल बनवाने की कृपा करें।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरो प्रसाद मिश्र तथा कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती रीती पाठक द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री रवीन्द्र कुमार राय (कोडरमा): माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरे लोक सभा क्षेत्र में ग्रैंड कोर्ड रेलवे लाइन से संबंधित एक समस्या है, जिसे मैं आपके माध्यम से रेल विभाग के संज्ञान में लाना चाहता हूँ।

ग्रैंड कोर्ड रेलवे लाइन में धनबाद-गया के बीच में हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन है। यह सरिया शहर में अवस्थित है। सरिया शहर में ही रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर ओवर ब्रिज बनाने के लिए रेल विभाग ने स्वीकृति प्रदान की है। इसके लिए राज्य सरकार ने भी अपना अंशदान दे दिया है। लगातार

पत्राचार करने के बाद इसकी स्वीकृति मिलने पर दो बार टेंडर हुए। पहले टेंडर में एक फर्म आया। विभाग ने दूसरी बार फिर टेंडर किया। आज विभाग कह रहा है कि वहाँ पर अतिक्रमण के कारण हम उसे बनाने की स्थिति में नहीं हैं। लेकिन, सच्चाई यह है कि स्थानीय प्रशासन ने अतिक्रमण को चिन्हित कर दिया कि यहाँ तक तोड़ना है। लेकिन, रेलवे को जो कार्य करना है, वह संवेदक के साथ कार्य-स्थल पर जाए। वहाँ की जनता अपना घर तोड़कर उनको बनाने के लिए स्थान देने को तैयार है। चूँकि यह एक ऐसा नासूर है कि हर दिन दोनों ओर हजारों रेल गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं और मुझे जनता को इसके लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा है।

रेलवे विभाग के कुछ स्थानीय अधिकारियों और संवेदक की नेग्लिजेंसी के कारण, उसके नकारात्मक रवैए के कारण भारत सरकार और प्रदेश सरकार दोनों बदनाम हो रहे हैं।

वहाँ जनता तैयार है, प्रशासन तैयार है, रेलवे को इसके लिए धनराशि मिल चुकी है। वह काम शुरू करे और सरकारों को बदनामी से बचाए और जनता को सुविधा दे। मैं आपके माध्यम से विनम्रता के साथ यह आग्रह करना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री रवीन्द्र कुमार राय द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

Dr. Boora Narsaiah Goud – Not present.

Shri Ch. Malla Reddy -- Not present.

श्री भरत सिंह (बलिया) : मैडम, आपने मुझे जीरो आवर में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैडम, मेरा लोकसभा क्षेत्र बलिया है। यह गाजीपुर और बलिया, दो जनपदों को मिलाकर बना है। यह क्षेत्र गंगा नदी और घाघरा नदी से घिरा हुआ है। गंगा नदी के कटान से गाजीपुर जनपद का शेरपुर, सिमरा और शिवराम सन् 2016 की बाढ़ और कटान से पूरी तरह विलीन हो गया। आज ये पूरे गाँव खत्म होने की स्थिति में हैं। मैडम, यही नहीं, गंगा के किनारे जगदीशपुर, भुसौला, गड़रिया और नरगला जैसे तमाम गाँव गंगा नदी में विलीन होने की कगार पर हैं। हमारा सांसद आदर्श ग्राम श्रीनगर और केहरपुर भी गंगा नदी में विलीन होने की कगार पर हैं।

मैडम, मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इन गाँवों के कटान से पीड़ित विस्थापित लोगों को पुनर्वास दिलाया जाए और साथ ही इन गाँवों को बचाने के लिए समुचित उपाय किए जाएं। लोकनायक जयप्रकाश की तपभूमि, जयप्रकाश जी और लाला तोला का यू.पी. और बिहार का घर भी विलीन होने की कगार पर है। इन गाँवों को बचाया जाए। मैं उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री भरत सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : मैडम स्पीकर, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे महत्वपूर्ण एनिमिया विषय पर बोलने की अनुमति दी है।

Madam, according to the 2011 Census, India's adolescent population has increased from 8 million to 253 million and is expected to reach 297 million by 2050. Thus, India needs to invest in adolescent health to benefit from its demographic dividend.

Anaemia is one of the biggest problems facing the country's adolescents, with reports stating that around 50 per cent adolescents are suffering from the disease. Adolescent girls bear a greater disease burden than boys. Anaemia adversely affects growth, resistance to infections and work productivity.

In response, the Health Ministry launched the Weekly Iron and Folic Acid Supplementation (WIFS) programme in January 2013. WIFS builds on 13 years of evidence-generation through pilots and scale-ups by UNICEF on the use of supplementation to address anaemia in 130 million adolescents.

However, a review of the Health Ministry found that the coverage and compliance of iron and folic acid supplements among adolescents remains as

low as 30-35 per cent. According to the National Family Health Survey 2015-16, more than half of children are anaemic in 10 States/ Union Territories where the programme is being implemented. Thus, despite Government efforts and investments, adolescent anaemia continues to be a serious issue.

Anaemia is a silent epidemic but a preventable condition. The initiative for controlling adolescent anaemia is a sustainable nation-building exercise with benefits in terms of safe motherhood and healthier future generations. Thus, I would like to request the Government to strengthen and make programmes such as the Rashtriya Kishor Swasthya Karyakaram prevention-centric and monitorable so that India can become anaemia-free.

Thank you, Madam.

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं श्री भैरों प्रसाद मिश्र को डॉ. किरिट पी. सोलंकी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

मैं सभी को एकोमोडेट करने की कोशिश कर रही हूँ। यदि आप सब एक-एक मिनट में बोलोगे, तो सब को एकोमोडेट कर दूँगी।

श्री कोडिकुन्नील सुरेश।

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Madam Speaker, due to heavy flood situation in Kerala, the farmers in Kuttanad, who are farming paddy, have been badly affected. For majority of the paddy fields, the outer bund is broken and water has entered into the fields. The second cycle of agriculture, means *punjai*, is washed out. It has resulted in a loss of crores and crores of rupees to the farmers. Since the outer bund of the *padasekharams* is very weak, the water has flown into the paddy fields. Therefore, I would like to request the Government, through you Madam, that the second phase of Kuttanad Package,

which is already there, should be taken up and Rs. 1,000 crore immediately allotted for reconstructing the outer bund of the *padasekharams*. It is only then that we can prevent the heavy rainfall water from flowing into the fields.

Hon. Madam, you are also very much aware of the Kuttanad situation. Farmers are crying. Their entire crop of agriculture has already gone. The situation is very serious. That is why, I would like to request, through you Madam, the Agriculture Minister and Water Resources Minister to send a team of their officials to assess the situation and take necessary steps.

Thank you.

HON. SPEAKER: I know it.

श्री निहाल चन्द (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान इंदिरा गांधी नहर के दूषित पानी की तरफ दिलाना चाहूंगा। यह राजस्थान प्रदेश के लिए पीने के पानी की एकमात्र नहर है। राजस्थान प्रदेश के सिंचाई के लिए भी एकमात्र नहर है। पंजाब प्रदेश से जितना भी पानी राजस्थान प्रदेश से आ रहा है, वह पूरा का पूरा दूषित होता है। भठिंडा से श्रीगंगा नगर और बीकानेर के लिए जो ट्रेन चलती है, उस ट्रेन का नाम इस दूषित पानी के कारण कैंसर ट्रेन हो गया है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह पंजाब सरकार को निर्देशित करे कि पंजाब की फेक्ट्रियों से जो दूषित पानी राजस्थान में आता है, उसको रोकने की व्यवस्था करे। राजस्थान प्रदेश के सात जिले इसकी चपेट में हैं। पंजाब से आने वाले दूषित पानी का उपयोग करने वाले लोग बीमार हो रहे हैं। पीलिया और कैंसर जैसे रोगों में बढ़ोतरी हुई है। राजस्थान के हनुमान गढ़ और गंगा नगर जिले सहित आठ जिले इसकी चपेट में हैं। मेरा निवेदन है कि पंजाब सरकार को केन्द्र सरकार निर्देशित करे कि वह गंदे पानी को रोकने की व्यवस्था करे। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री निहाल चन्द द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : अध्यक्ष महोदया, मुझे आपने बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सम्पूर्ण बिहार भयंकर सूखे के चपेट में है। बाँका, मुंगेर, जमुई, अररिया, भागलपुर, लखीसराय सहित पूरे प्रदेश के किसान त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। बिहार को सूखाड़ क्षेत्र घोषित किया जाए। बाँका सहित सभी क्षेत्रों में जल का भारी संकट है। आज सूखाड़ और वर्षा न होने के कारण किसानों में घोर निराशा है। ताल-तलैया और जलाशय सूख चुके हैं। किसान का बिचड़ा समाप्त हो गया है। किसान मौत के मुंह में है। किसान का कर्ज माफ होना चाहिए। ऋण माफी होनी चाहिए। रोजगार देना चाहिए। बिहार सरकार किसानों के साथ खिलावाड़ कर रही है। बाँका का इलाका चारों तरफ से पहाड़ और जंगल से घिरा है। वहां पीने के पानी का घोर अभाव है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से उठाता रहा है। लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं देती है। स्पेशन पैकेज भी समाप्त कर दिया गया है।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : मैडम स्पीकर, मैं आपके माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूँ। पिछले कई दिनों से समाचार आ रहे हैं कि यूएसए में बहुत सारे भारतीय जेलों में बंद हैं। उनके साथ अमानवीय बर्ताव किया जा रहा है। बदकिस्मती से उसमें से ज्यादातर पंजाबी और सिक्ख हैं। हमारी जो पगड़ी है, यह हमारा रीलिजियस चिह्न भी है और हमारा ऑनर भी है। वहां उनकी पगड़ियां उतारी जा रही हैं। उनको खाने को नहीं दिया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी बैठे हैं, उनको निवेदन करना चाहूंगा कि विदेश मंत्रालय की ओर से अमेरिका सरकार से यह टेकअप करना चाहिए। यह मनुष्यता का सवाल है। लोग रोज़ी-रोटी के लिए विदेश जाते हैं। हम जानते हैं कि इल्लिगल मेनर्स से जाते हैं। इसके लिए सरकार को कोई ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए ताकि वे लीगल तरीके से जाएं। जब से वहां नयी सरकार आयी है भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार की इतिहा हो रही है। इस पर सीरियस नोट लेना चाहिए। यही मेरा अनुरोध है।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

13 00 hrs

डा.संजीव बालियान (मुजफ्फरनगर): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्रालय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि वर्ष 2016-17 में बजट में मेरठ-पानीपत नई रेलवे लाइन की घोषणा की गई थी, लेकिन उसके बाद उस पर काम शुरू नहीं हो पाया।

मेरा आपसे अनुरोध है कि जो बेसिक प्रस्ताव था, मेरठ के सरधना विधान सभा, मुजफ्फरनगर जनपद के बुढ़ाना विधान सभा और शामली से होते हुए पानीपत तक जो रेलवे लाइन जानी थी, उस पर जल्दी काम शुरू हो। चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मात्र दो रेलवे लाइने हैं और हरियाणा से हमारा बहुत गहरा रिश्ता है। यह हरियाणा से जोड़ने वाली एक मात्र रेल लाइन होगी।

अतः अनुरोध है कि केन्द्र सरकार इस ओर अपना ध्यान दे और मेरठ-पानीपत रेलवे लाइन पर जल्दी काम शुरू करे। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल तथा श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री संजीव बालियान द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI M.K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): I would like to raise a matter of public importance. It is regarding setting up an AIIMS at Calicut, Kerala. The Government of India has left out Kerala for setting up an AIIMS-like Institute in the State. Many other States have approved ones.

So, my humble submission is this. I urge upon the Government to immediately consider setting up an AIIMS-like Institute at Calicut, Kerala.

KUMARI SUSHMITA DEV (SILCHAR): I wish to raise a very important issue. This is regarding the updation of National Register of Citizens.

HON. SPEAKER: Do not make any statement which will lead to uproar in the House.

KUMARI SUSHMITA DEV : The matter is *sub judice*. It is under the supervision of the Supreme Court. As a practising lawyer I realise what that means. My fear,

however, is that the National Register of Citizens authority is coming up with new rule every second day. Just by way of example, I would like to say that on 1st and 2nd May 2018, it came out with a Circular saying 'all relatives of D voters shall be now under the scrutiny of NRC'. I feel that every time the goal post changes it creates some panic. For instance, the first ever Deputy-Speaker of Assam Legislative Assembly has also received a foreigner notice. I have full regard for the Supreme Court orders.

It is my humble request that the NRC authority must act consistently and predictably so that it does not create any harassment to the genuine citizens of India who are living in Assam. I thank you very much.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): The social work graduate and post-graduate courses in India are heavily influenced by Euro-American colonial missionary activities which need to be done away with and newly-designed social work courses should include approaches of social workers of India and preachers of reform movement like Guru Nanak, Narayan Guru, Jyotirmay Phule, Nanaji Deshmukh, Vinoba Bhave, and Rane Gadiyanulu and also of organisations such as Goraknath Mutt and Ramakrishna Mission.

There is a need to prepare new syllabus in consultation with experts, present it to the University Grants Commission and communicate it separately to all Central and State Universities for implementation. As most universities have some autonomy on deciding the syllabus, the Government should impress upon them for decolonisation, Indianisation and indigenisation of social work courses in universities. Thank you.

माननीय अध्यक्ष: कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री भर्तृहरि महताब द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती हेमामालिनी (मथुरा): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे एक अति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। राइट टू एजुकेशन, राइट टू हैल्थ की तरह राइट टू वाटर की तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत आज जल संकट के दौर से गुजर रहा है। देश की आजादी के बाद बिजली और सड़क के क्षेत्र में बहुत उन्नति होती जा रही है, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देती हूँ। लेकिन पानी को लेकर लोग बहुत तकलीफ महसूस कर रहे हैं। नीति आयोग के जल प्रबंध इनडेक्स के अनुसार 75 प्रतिशत घरों में पीने का पानी नहीं है। देश के करीब साठ करोड़ लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं और करीब दो लाख लोग इसी तरह मर भी रहे हैं। मैं जब अपने संसदीय क्षेत्र के गांव-गांव में जाती हूँ तो महिलाएं आंखों में आंसू भरकर पीने के पानी की मांग करती हैं और मैं उन्हें दिलासा तो देती हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे उन्हें इस तकलीफ से बाहर निकाला जाए। रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक पानी की मांग उपलब्ध आपूर्ति से दोगुना हो चुकी होगी।

अंधाधुंध शहरीकरण के कारण, अनप्लांड अर्बनाइजेशन में उगते कॉन्क्रीट के जंगलों की वजह से ग्राउंड वॉटर सोर्सिस कम होते जा रहे हैं और समाप्ति की ओर जा रहे हैं, नदियों, धाराओं और तालाबों में रसायन और कचरा डालने की वजह से ग्राउंड वॉटर सोर्सिस कम होते जा रहे हैं और समाप्ति की ओर जा रहे हैं। नदियों, धाराओं और तालाबों में रसायन कचरा डालने की वजह से यह समस्या बढ़ रही है। सरकार ने दिखावटी सख्ती तो दिखाई है, लेकिन उसका कोई फायदा अभी तक नहीं हुआ है। जिस हालत में अभी हम देश को धकेल रहे हैं, उससे कल हमारा भी कोई शहर केपटाउन न बन जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। शिमला में यह प्रॉब्लम अभी होनी शुरू हो गई है और अभी है। जल संवर्धन और वॉटर कंजरवेशन के प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए, ताकि देश में सभी को शुद्ध पेयजल मिल सके।

माननीय अध्यक्ष: श्री शरद त्रिपाठी, भैरों प्रसाद मिश्र, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं श्री रवीन्द्र कुमार जेना श्रीमती हेमामालिनी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राजीव सातव (हिंगोली): मैडम, मैं महाराष्ट्र में अपने संसदीय क्षेत्र के आदिवासी छात्रों की बात उठाना चाह रहा हूँ। मैडम, सरकारी स्कूलों में मैस की सुविधा के लिए पिछले कई दिनों से छात्र आंदोलनरत हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से विनती है कि उनको मैस की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। यह पूरे महाराष्ट्र की समस्या है। आंदोलन के दौरान पुलिस ने उनको बीच में अरेस्ट किया था। पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों के खिलाफ भी कार्यवाही की थी। उसकी जांच हो और आदिवासी छात्रों को बेहतर सुविधा मिले।

माननीय अध्यक्ष: पप्पु यादव जी, एक मिनट पहले मेरी बात सुनिए। पहले तो आप सदन से माफी मांगिए क्योंकि आज आपका व्यवहार अत्यंत गलत था। पहले तो शुरू में आपने कागज़ उछाले और जो भी कुछ किया, वह गलत किया। ऐसा नहीं होता है। मैं हमेशा आपको अपनी समस्या उठाने के लिए समय देती हूँ, सभी को समय देती हूँ।

...(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): मैडम, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ऐसा व्यवहार कभी नहीं होना चाहिए।

...(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन : मैडम, मैं ग्यारह करोड़ लोगों की पीड़ा और दर्द को व्यक्त कर रहा हूँ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मुझे मालूम है, लेकिन दोबारा ऐसा व्यवहार कभी नहीं होना चाहिए। मैं तभी आपको बोलने का मौका दूंगी।

...(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन : मैडम, मैंने कभी ऐसा नहीं किया है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप ऐसा बोलिए कि कभी नहीं करेंगे।

...(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन: मैडम, मैं हृदय से आपसे क्षमा चाहता हूँ। बिहार के जनतंत्र का सवाल था, इसीलिए मैंने कहा था। मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं जनता के दर्द को रोक नहीं पाया, यह मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ठीक है, अपनी बात रखिए।

... (व्यवधान)

श्री राजेश रंजन: मैडम, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री जी कई बार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और पैकेज के बारे में कह चुके हैं। उन्होंने कहा है कि मैं दूंगा। आज सरकार हमारी है, दोनों जगह एक ही सरकार है। पहले ...* की सरकार थी, जिसने बिहार को बांट दिया। अपनी सरकार ने भी बिहार को बांटा है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप किसी का नाम मत लो, किसी के नाम नहीं जाएंगे, आप केवल अपनी बात कीजिए।

... (व्यवधान)

श्री राजेश रंजन : मैडम, ग्यारह करोड़ लोगों की जो जनता है, वह बिहार अत्यंत निर्धन है और दुनिया में गरीबी रेखा के सबसे नीचे है। 0.7 प्रतिशत मैन्युफैक्चरिंग रेट है। इन्फ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं है। बाढ़ और सुखाड़ से हम घिरे हुए हैं। मैडम, बिहार की ग्यारह करोड़ जनता लगातार और वर्तमान मुख्य मंत्री भी और कई विपक्षी और सत्ता पक्ष के लोग इस बात को मानते हैं। आज देश में यदि विशेष राज्य के दर्जे की किसी को आवश्यकता है, वह बिहार को है। मैडम, हम नेपाल और झारखण्ड से घिरे हुए हैं। हम मांग करते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। केंद्र और राज्य में एक ही सरकार है। बिहार में मिथिला और मगध के क्षेत्रों को एक अत्यधिक विशेष पैकेज की जरूरत है। क्योंकि हमारे तीन हिस्सा बाढ़ से प्रभावित है और बाकी सुखाड़ से प्रभावित है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपकी बात पूरी हो गई है। अब आखिर में श्रीमती टीचर बोलेंगी।

... (व्यवधान)

* Not recorded.

SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER (KANNUR): Thank you, Madam Speaker. I want to speak about women who are suffering a lot in our country.

Now, India is becoming the world's most unsafe and dangerous country for women and girls due to the high risk of sexual violence, brutal attack and murder. As per the National Crime Record Bureau, year by year, the number of cases of rapes, murders, assaults and molestations are increasing. It is very shocking also.

माननीय अध्यक्ष: ऐसा मत बोलिए that India is becoming dangerous. ऐसा बोलिए कि यह सब बढ़ता जा रहा है।

...(व्यवधान)

SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER : More shocking, disturbing and shameful has been the communalization of this heinous crime, and defence of the accused who were arrested. Who were those people? They include Ministers, MPs, MLAs and representatives of people. The House should condemn this and take stringent action against these types of people whoever they may be and whatever position they may hold. This is my request to you.

माननीय अध्यक्ष: श्री पी.के. बीजू एवं एडवोकेट जोएस जॉर्ज को श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

Now, the House stands adjourned to meet again at 2.10 p.m.

13 10 hrs

*The Lok Sabha then adjourned till Ten Minutes past
Fourteen of the Clock.*

14 13 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Thirteen Minutes past Fourteen of the Clock.

(Hon. Deputy Speaker *in the Chair*)

MATTERS UNDER RULE 377 *

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, the Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members, who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them, may personally hand over the text of the matter at the Table of the House within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for which the text of the matter has been received at the Table within the stipulated time and the rest will be treated as lapsed.

* Treated as laid on the Table.

(i) Need to enhance the honorarium to elected representatives under Panchayati Raj system in Jharkhand

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): झारखंड प्रदेश के पंचायत प्रतिनिधि जैसे जिला परिषद के सदस्य, ब्लॉक प्रमुख उप-प्रमुख, उप-मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य, वार्ड सदस्य आदि को प्रदत्त मानदेय अत्यंत कम है, उसका भी समय पर भुगतान नहीं किया जाता है। मनरेगा के मजदूरों को भी पंचायत के प्रतिनिधियों से ज्यादा भुगतान किया जाता है। इसलिए पंचायत प्रतिनिधियों को एक सम्मानजनक वेतन अथवा मानदेय एवं भत्तों का भुगतान किया जाये ताकि वे ईमानदारी से आम जनता की सेवा कर सकें और पंचायत राज व्यवस्था का उद्देश्य पूर्ण हो।

झारखंड में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के बाद 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप प्रदत्त पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी. आर. जी. पी.) का उपयोग जिला परिषद के सदस्यों की अनुशंसा के अनुसार किया जाता था। लेकिन 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा लागू होने के बाद बी.आर.जी.एफ. बंद हो गया है तथा अन्य निधि से होने वाले विकास कार्यों के लिए जिला परिषद के सदस्यों की अनुशंसा को महत्व नहीं दिया जाता है, जिसके कारण उक्त चुने हुए जन प्रतिनिधियों के क्षेत्र में विकास का कार्य प्रभावित हो रहा है और उक्त पंचायत प्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्र की आम जनता की अपेक्षाएं पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। अतएव उक्त पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा विकास कार्य के लिए भी पूर्व की व्यवस्था अथवा विशेष रूप से धनराशि की व्यवस्था करायी जाये ताकि उनकी अनुशंसा पर भी उनके क्षेत्र में विकास कार्य हो सकें अन्यथा पंचायत प्रतिनिधियों का निर्वाचन निरर्थक होगा।

**(ii) Need to construct stretch of National Highway No. 27 (Jhansi-Kanpur)
at Kalpi in Jalaun Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh**

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): मेरे संसदीय क्षेत्र जालौन गरौठा, भोगनीपुर के अंतर्गत झांसी-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 पर कालपी कस्बे में 1.7 किलोमीटर हिस्से की सड़क अभी तक नहीं बन पाई है, जिसके कारण यहां आये दिन जाम की समस्या आ जाती है, जिसके कारण हमारे यहां के किसानों, व्यापारियों तथा सामान्य यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार तो एम्बुलेंस तक के लिए भी रास्ता नहीं मिल पाता है और इस अनिर्मित हिस्से के कारण यहां कई दुर्घटनायें हो रही हैं, जिसमें वृद्ध, महिलायें और स्कूली बच्चों की मौत हो चुकी है। इस मामले को, मैं कई बार सदन में उठा चुका हूँ और मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि इस झांसी-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के इस अनिर्मित मार्ग के निर्माण के लिए बजट आबंटित करने का कष्ट करें, जिससे इस मार्ग का शीघ्र निर्माण कराया जा सके।

(iii) Need to confer citizenship to Hindu migrants from Pakistan living in Barmer and Jaisalmer districts of Rajasthan

कर्मल सोनाराम चौधरी (बाड़मेर): पाकिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होकर आये हजारों हिन्दू शरणार्थी आठ-दस साल से भारत की नागरिकता पाने के लिए दर-दर की ठोकें खा रहे हैं। वे भारत में आये तो बेहतर जिंदगी की तलाश में हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ उनकी तकलीफों से किसी से कोई सरोकार नहीं है। राजस्थान में अंतिम बार 2006-07 में विस्थापितों को नागरिकता मिली थी। तब से अब तक पड़ोसी देश पाकिस्तान में हालात खराब ही हुए हैं। पाक में हिंदुओं की हालत खराब है। इसलिए हर रविवार को पाक से आने वाली थार एक्सप्रेस में अपनी जान एवं आबरू को बचाने हेतु कुछ कपड़ों एवं बर्तनों के साथ यात्री उतर रहे हैं। यह लोग अपने रिश्तेदारों या परिचितों के साथ राजस्थान ही आते हैं। कमोबेश यही स्थिति गुजरात, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में भी है। राजस्थान के जोधपुर, अजमेर एवं जयपुर में यदि देखा जाये तो 5000 से ज्यादा पाक शरणार्थी हैं। जो गत 8-10 वर्षों से भटक रहे हैं। उनके दर्द का अहसास उनके चेहरों से किया जा सकता है। राजस्थान में मुख्य रूप से पाक के सिंध और अपर सिंध प्रान्त के लोग विस्थापित होकर आ रहे हैं। इनमें से 50 प्रतिशत थारपारकर जिले से आये हैं, जो अमरकोट, मीरपुरखास, मिट्टी, दीपकों, चेलार, नगरपारकर, सांगर, नवाबशाह, दादु, सखर, हैदराबाद और कराची से आये हैं। इनमें मुख्य रूप से सोढ़ा राजपूत, सिंधी लोहाणा, पुष्करणा एवं श्रीमाली ब्राह्मण, माहेश्वरी, राजपुरोहित, जाट, मेघवाल, भील, कोली, कोड, सुथार, दर्जी एवं चारण हैं। इसमें से 80-90 प्रतिशत मेरे संसदीय क्षेत्र के हैं और जो विभाजन के बाद रिश्तेदारों से दूर हुए हैं। ये लोग लांग टर्म वीजा पर रह रहे हैं। इनके दर्द का कोई छोर नहीं है। इनको न नौकरी मिलती है, न बैंक खाता खुलता है, न ही आवश्यक कार्य हो पा रहे हैं। ये लोग लाचार और बेबसी की जिंदगी जी रहे हैं। 2005-07 में 13 हजार शरणार्थियों के दर्द को समझते हुए भारत सरकार ने राजस्थान के पाक विस्थापितों को नागरिकता प्रदान करने हेतु जिला कलेक्टरों को विशेष अधिकार दिये थे। जिससे उनको सम्मान की जिंदगी जीने का हक मिला था। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि ये लोग सार्वजनिक

पार्को एवं सरकारी भूमि पर अवैध रूप से इन जिलों में स्थाई रूप से निवास कर रहे हैं। परंतु खुद की पहचान के अभाव में जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ एवं रोजगार के लिए अवसरों से वंचित हैं।

मुझे प्रसन्नता है कि ख्याति प्राप्त गायक अदनान सामी को महज 7 माह में भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है। इसी प्रकार उक्त शरणार्थी जो 9-10 वर्षों से भटक रहे हैं, उनको भी नागरिकता प्रदान की जाए। इस संबंध में मेरे द्वारा दिनांक 28.4.2017 को सदन का ध्यान आकर्षित किया गया था। जिस पर ध्यान देते हुए हाल ही में सरकार द्वारा जिला कलेक्टरों को नागरिकता प्रदान करने हेतु निर्देश दिए गए थे। जिसके लिए मैं माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। परंतु स्थिति यह है कि बाड़मेर जिले में 274 आवेदनों में मात्र 50 एवं जैसलमेर में 1500 में से मात्र 11 पाक विस्थापितों को नागरिकता का पात्र माना गया है।

अतः मेरा निवेदन है कि राजस्थान सरकार एवं विशेषकर जिला कलेक्टर बाड़मेर एवं जैसलमेर को वंचित पाक विस्थापितों को नागरिकता प्रदान करने के निर्देश जारी किए जाएं, ताकि सालों से पीड़ित एवं आशान्वित विस्थापित लोग सम्मान की जिंदगी जी सकें।

(iv) Need to formulate regulatory guidelines for effective use of Carbetocin

SHRIMATI POONAM MAHAJAN (NORTH CENTRAL MUMBAI): The World Health Organisation in its latest study published in the New England Journal of Medicine recommended a new formulation of a lifesaving drug called Carbetocin in preventing postpartum haernorrhage thereby proving to be as safe and effective as oxytocin. Carbetocin does not require refrigeration and retains its efficacy for at least 3 years stored at 30 degrees Celsius and 75% relative humidity. Oxytocin must be stored and transported at 2—8 degree Celsius. This is critical as out of 37,387 Indian health sub-centres, 24% do not have electricity. India accounts for 17% of global burden of maternal deaths.

Hence, keeping in mind the objective of the substantive reduction of Maternal Mortality Ratio in India and Goal 3 of Sustainable Development Goals to meet the target of reducing global MMR to less than 70 per 100,000 live births, I request the Government to formulate regulatory guidelines in collaboration with state governments for effective administering of carbetocin.

(v) Need to facilitate and expedite payment of outstanding amount to investors of Pearls Agrotech Corporation Limited

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि पी.ए.सी.एल. (पल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लि.) में करोड़ों निवेशकों (5 करोड़ 85 लाख) का भुगतान अटक गया है। ये गरीब एवं किसान व मजदूर वर्ग से आते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ने भुगतान की दिशा में कदम उठाये तथा इसके द्वारा 2500/- (दो हजार पांच सौ रुपये) तक के भुगतान के लिए जनवरी 2018 में प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किये थे। लेकिन आज दिनांक तक एक भी निवेशक को एक रुपये का भुगतान भी नहीं मिला है। सरकार की मंशा चूँकि निवेशकों को भुगतान दिलाने की है। इसलिए मैं यह आग्रह कर रहा हूँ कि इसके लिए गठित माननीय सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर.एम.लोढा कमेटी द्वारा पी.ए.सी.एल. की सम्पत्तियों को बेचने की जो कार्यवाहीकी जा रही है उसमें शीघ्रता की जाये एवं प्राप्त राशि से निवेशकों का भुगतान किया जाये। सेबी ने पी.ए.सी.एल. की लगभग 26500 परिसम्पत्तियों को अटैच किया है। इनकी कीमत निवेशकों के भुगतान से कहीं गुणा अधिक है। लगभग 26000 सम्पत्तियां बिक्री के लिए भी रखी गई हैं। माननीय वित्त मंत्री महोदय से आग्रह करता हूँ कि इस कार्य में तेजी लाकर करोड़ों निवेशकों को राहत प्रदान करने की कृपा करायें।

**(vi) Need to enhance the honorarium of Accredited Social Health Activists
in Uttar Pradesh**

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रत्येक महिला को मातृत्व लाभ की योजना आशा बहुओं के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में लागू है जिसके परिणामस्वरूप मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर में काफी कमी आयी है। पूरे देश में लगभग आठ लाख आशा बहुएं जच्चा एवं बच्चा की सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य कर रही है। ग्रामीण क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं को आशा बहुओं द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा जिला अस्पताल ले जाकर के प्रसव से पूर्व कम से कम तीन बार उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराने का कार्य करती है उसके उपरान्त सुरक्षित प्रसव कराने के लिए अस्पताल ले जाती है। आशा बहुओं द्वारा जननी शिशु स्वास्थ्य सुविधाओं को जिम्मेदारी से निभाने के बावजूद मात्र 600 रुपये प्रति केस अनुमन्य है वह भी उत्तर प्रदेश में काफी दिनों से आशा बहुओं को प्रोत्साहन राशि मिलने में कठिनाई हो रही है जिसके कारण उनके समक्ष काफी गंभीर संकट पैदा हो गया है जबकि आशा बहुओं के द्वारा लगातार प्रोत्साहन राशि की जगह पर 3000 रुपये प्रति माह मानदेय की मांग को लेकर संघर्ष कर रही है। इनकी समस्याओं के निदान के लिए इन लोगों ने कई बार जन्तर-मन्तर पर धरना प्रदर्शन भी किया, जिसके कारण जनता में काफी रोष एवं क्षोभ है।

मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि आशा बहुओं की समस्याओं को देखते हुए उनके मानदेय को उचित स्तर पर बढ़ाने हेतु शीघ्र कदम उठाये।

**(vii) Need to set up steel plant in Singhbhum Parliamentary Constituency,
Jharkhand**

श्री लक्ष्मण गिलुवा (सिंहभूम): सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र सिंहभूम झारखंड का आदिवासी बहुल क्षेत्र है। इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है। परंतु यह बताते हुए खेद हो रहा है कि इन उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित कोई बड़ा एवं महत्वपूर्ण उद्योग नहीं है जिसके कारण सिंहभूम के आसपास के जिलों को विकास नहीं हो पा रहा है। इस क्षेत्र में 40 प्रतिशत आयरन ओर उपलब्ध है, अभ्रक, कोयला एवं वन सम्पदा प्रचुर मात्रा में है। वर्तमान समय में आयरन ओर के खनन कार्यों से दूर-दूर स्थित बोकारों, दुर्गापुर, राउरकेला एवं भिलाई में सेल के स्टील प्लांट हैं जिसके ट्रांसपोर्ट पर करोड़ रुपए खर्च हो रहा है यह एक तरह से फिजूलखर्ची है जिससे स्टील महंगा है, जहाँ पर आयरन ओर का उत्पादन हो रहा है उसी के पास स्टील प्लांट लगाने से ट्रांसपोर्ट की बचत होगी। स्टील सस्ता होगा और स्थानीय आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इससे देश के संतुलित विकास की दिशा में काम किया जा सकेगा और सिंहभूम जिले के आसपास के पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। इस संबंध में कई बार सदन में इस मामले को उठा चुका हूँ और पत्रों के माध्यम से सरकार का ध्यान कई बार आकर्षित कर चुका हूँ परंतु हमेशा जवाब मिलता है कि सरकार की नीति में सरकारी स्तर पर नये उद्योग नहीं खोले जाते हैं और सरकार केवल नये उद्योगों को खोलने में वित्तीय एवं तकनीकी सहायता करती है। यह नीति देश के संतुलित विकास करने में कई बार बाधा पहुंचा रही है। इसको बदलना आवश्यक है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि राष्ट्रहित में पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आदिवासियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए, ट्रांसपोर्ट की लागत को समाप्त करने के लिए देश के संतुलित विकास के लिए क्या सेल अंतर्गत नया एक यूनिट सिंहभूम में नहीं बनाया जा सकता है?

सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में सिंहभूम आयरन ओर की उपलब्धता को देखते हुए मनोहरपुर, चक्रधरपुर या नोवामुंडी में एक स्टील प्लांट शीघ्र स्थापित किया जाये इसके लिए सरकारी नीतियों में परिवर्तन करने की आवश्यकता हो तो उसमें परिवर्तन करने की मांग करता हूँ।

(viii)Need to check the increasing pollution in Indira Gandhi Canal

श्री निहाल चन्द (गंगानगर): पंजाब राज्य की औद्योगिक ईकाइयों द्वारा राजस्थान को आने वाली इंदिरा गाँधी नहर के पानी को केमिकल और अन्य दूषित कचरे के माध्यम से प्रदूषित किया जा रहा है, जिस कारण इंदिरा गांधी नहर का पानी पीने योग्य नहीं रह गया है और क्षेत्र में पीलिया, कैंसर जैसे रोगों में बढ़ोत्तरी हुई है।

(ix) Need for administrative reforms in the country

श्री हरीश मीना (दौसा): मैं सरकार का ध्यान प्रशासनिक सुधारों की ओर आकर्षित कर अपने सुझाव रखना चाहूंगा। प्रशासन हमारे जीवन का अहम पहलू है। आवश्यकताएं निरंतर बदलती रहती हैं और प्रशासन अंचल बना हुआ नहीं रह सकता। इसे आवश्यक रूप से परिवेश के अनुसार बदलना सरकार का दायित्व है।

सरकार द्वारा प्रशासनिक सुधारों के संबंध में अनेकों कदम उठाए गए हैं, जिस कारण हमारे सरकारी संगठनों व मंत्रालयों की कार्यों सेवाओं में गुणवत्ता व भ्रष्टाचार में कमी आई है और विश्व में व्यवसाय करने में भारत ने 30 अंकों की छलांग मारी है। लेकिन आज भी हम 100वें नंबर पर हैं। प्रशासनिक सुधारों के संबंध में हमें बड़े व ठोस कदम उठाने की जरूरत है।

समय-समय पर प्रशासनिक सुधार आयोग हमारे अनेकों विभागों में आयोग ने सुधार की सिफारिशें सरकार के सामने रखी हैं लेकिन अधिकतर सिफारिशों की दिशाओं में कोई कदम नहीं उठाये गये हैं।

पिछले 5 वर्षों में देश में सरकारी संस्थाओं में नौकरियों की निरंतर कमी देखी गई है। सरकार ने लोक सभा में एक लिखित उत्तर में बताया था कि देश में केन्द्रीय प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों की भारी कमी है। कर्मचारियों की भर्ती, उनकी गुणवत्ता बढ़ाने, समय-समय पर प्रशिक्षण करवाने, उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं में सुधार इत्यादि के बारे में आयोग ने अपनी सिफारिशें दी हैं, लेकिन इन्हें अभी तक अपनाया नहीं गया है।

कृषि विभाग, बैंकिंग सेवायें, रेलवे, एयर इंडिया व अन्य केन्द्रीय संस्थाएं/विभाग कुप्रबंध के कारण घाटे में चल रही हैं। इन विभागों में ठोस प्रशासनिक सुधारों की अत्यधिक जरूरत है।

पुलिस राज्य व्यवस्था का एक अहम अंग है। पुलिस सुधार पर लंबे समय से संवाद चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इस विषय पर निर्देश दे चुका है लेकिन इस दिशा में अभी तक कोई सफलता

हासिल नहीं की गई है। देश में अपराध प्रतिवर्ष बढ़ रहे हैं लेकिन पुलिस कर्मचारियों की संख्या, उन्हें दिये जाने वाले हथियार व अन्य आवश्यक सुविधाओं में कमी देखी जा रही है।

प्रशासनिक सुधार के अभाव में देश में अपराध, महिला, अत्याचार, दलित अत्याचार, सामूहिक हिंसा आदि में निरंतर बढ़ोत्तरी हो रही है। इसके बावजूद भी न्यायपालिका व न्यायाधीशों की कमी एक गंभीर विषय है। जिला स्तरों पर न्यायाधीशों की अत्यधि कमी है। सर्वोच्च न्यायालय ने लंबित रिक्तियों के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोत्तरी कर नियुक्ति के आदेश दिये थे लेकिन प्रशासन व उच्च न्यायालय में समन्वय के कारण नई नियुक्तियों में देरी हो रही है। केंद्र सरकार को राज्य सरकार व उच्च न्यायालयों में समन्वय बनाने के लिए उचित कदम उठाना बेहद जरूरी हो गया है।

केंद्र सरकार के विभागों में भर्ती, कर्मचारियों व सेवा के लाभार्थियों के हितों का ध्यान, पुलिस सुधार की दिशा में कदम, न्यायपालिकाओं की पूर्ति व न्यायाधीशों की नियुक्ति जैसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार समय की मांग हैं। इन्हें हासिल करने में जल्द ठोस कदम उठाने की जरूरत है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस दिशा में सरकार जल्द से जल्द उचित कदम उठाये।

(x) Need to provide compensation to farmers of borders areas of Jammu & Kashmir who lost their land due to fencing on the international border

श्री जुगल किशोर (जम्मू): मैं सरकार का ध्यान जम्मू-कश्मीर राज्य के उन सीमावर्ती स्थानों की ओर दिलाना चाहता हूँ, जहाँ की सीमा पर तारबंदी हुई है। तारबंदी के कारण, तारबंदी की दूसरी ओर जो खेती की जमीन थी, उसका अधिग्रहण कर लिया गया है। उस जमीन पर खेती करने वाले किसान बेरोजगार हो गए हैं। उनकी जमन ही उनकी आजीविका का एकमात्र सहारा है। जबसे उनकी जमीन तार के उस पार चली गई है तबसे यह बड़ी मुसीबतों की जिंदगी जी रहे हैं, उनकी भुखमरी की नौबत आ गई है। इस तारबंदी की व्यवस्था में उन गरीब किसानों का क्या दोष है। न ही उन्हें कोई रोजगार मिला और न ही उन्हें उस जमीन का मुआवजा अभी तक मिला है, जिससे कि वह अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें।

अतः मैं सरकार से विनती करना चाहता हूँ कि उन किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा देने का कष्ट करें।

(xi) Need to provide stoppage of Bundelkhand Express and Rewa Express at Badausa & Markundi Railway stations respectively in Uttar Pradesh

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा): मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर कुछ प्रमुख स्टेशनों में स्टॉपेज प्रमुख गाड़ियों के न होने के कारण लोगों को बहुत सी असुविधा का सामना करना पड़ता है। अस्तु सरकार से अनुरोध है कि बदासा स्टेशन में बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस का एवं मारकुन्डी स्टेशन पर रीवा एक्सप्रेस का स्टॉपेज यथाशीघ्र देने की कृपा करें। साथ ही मेरे संसदीय क्षेत्र के अन्य जगहों में जो स्टॉपेज की मांग पड़ी है उन्हें यथाशीघ्र स्वीकृत कराने की कृपा करें।

(xii)Need to include link roads/bypass roads in the category of link roads/bypass roads and make provision for land conversion charges

श्री हरिओम सिंह राठौड़ (राजसमन्द): देश में स्थित नेशनल हाईवेज को देश की जीवन रेखा कहा जाना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वर्तमान सरकार द्वारा इस क्षेत्र के विकास में जो कदम उठाए गए हैं, वे सराहनीय हैं। इस संबंध में, मैं सरकार का ध्यान उस रुपांतरण शुल्क (राज्य सरकार) की ओर करना चाहूंगा जो कि वर्तमान में नेशनल हाईवे के मध्य बिंदु से भारित की जा रही है। देश में नवीन नेशनल एवं स्टेट हाईवे नीति के तहत सभी शहरों से हाईवे को बाईपास से जोड़ कर शहर से बाहर की ओर निकाला जा रहा है। इससे पूर्व में स्थित नेशनल हाईवे वर्तमान लिंक रोड के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। इस संबंध में अब भी लिंक रोड पर स्थित भूमि के रुपांतरण शुल्क पूर्ववत् रूप से वसूल किए जा रहे हैं एवं साथ ही पूर्ववत् रूप से ही नेशनल हाईवेज की भांति ही मध्य बिंदु की गणना की जाकर भूमि रुपांतरण (आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक) की श्रेणी निर्धारित की जा रही है।

उक्त तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए एवं आमजन के हितार्थ इन नवीन लिंक रोड/बाईपास रोड से नेशनल हाईवेज की श्रेणी से हटाकर लिंक रोड/बाईपास की श्रेणी में लिया जाये तथा इन पर रुपांतरण शुल्क का भी प्रावधान नए सिरे से किया जाये।

**(xiii) Regarding outcome of structural audit conducted
by Railways in Mumbai region**

DR. KIRIT SOMAIYA (MUMBAI NORTH EAST): After Elphinstone foot-over-bridge tragedy, Railways has taken up structural audit of all foot over bridges and road over bridges across the Railway lines in Mumbai region. One more accident of Andheri Road over bridge footpath has once again raised the issue of strength, maintenance, repairs, monitoring, authority about the responsibility foot-over-bridges and road over bridges across the Railway lines in Mumbai region. Multiple authorities have created grey areas. There is a need to evolve the concept of monitoring and accountability. There is also a need to make public the outcome of structural audit taken up after Elphinstone incident and Andheri incident. Measures are required to be taken by Railways, Mumbai Municipal Corporation and Government of Maharashtra in this regard.

(xiv) Need to address the service-related issues of Central Armed Police Force

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): लगभग 10 लाख जवानों की सशस्त्र सीमा बल (सी.ए.पी.एफ.) भारतीय सेना के समान ही देश की सुरक्षा का एक प्रमुख स्तम्भ है। किंतु पिछले कई वर्षों से इस बल के भीतर कई समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं जिनका शीघ्र निवारण अत्यंत आवश्यक है।

विभिन्न सूत्रों से सूचनाएं आती रहती हैं कि सी.ए.पी.एफ. बल में कई कारणों से असंतोष पाया जा रहा है। इसका प्रमुख कारण पदोन्नति की सीमित संभावनाएं हैं। एक सी.ए.पी.एफ. कांस्टेबल को केवल एक प्रमोशन में 15-20 साल लग जाते हैं। अधिकांश सी.ए.पी.एफ. अफसरों को अपने 35 साल के कार्य काल में केवल एक या दो ही प्रमोशन के अवसर प्राप्त हो पाते हैं। इसके अतिरिक्त, ज्यादातर उच्च पद और प्रमोशन सी.ए.पी.एफ. अफसर के बजाय आई.पी.एस. अफसरों को दिए जाते हैं। सी.ए.पी.एफ. में उच्च नेतृत्व के पद प्राप्त करने वाले अवसर आई.पी.एस. अफसरों को जमीनी अनुभव कम होता है। यह सी.ए.पी.एफ. बलों के मनोबल को गिराता है और उनमें गहरा असंतोष पैदा करता है। इसके फलस्वरूप सी.ए.पी.एफ. बल की संख्या में लगातार गिरावट असंतोष पैदा करता है। इसके फलस्वरूप सी.ए.पी.एफ. बल की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। 2010 और 2013 के बीच लगभग 47000 सी.ए.पी.एफ. अफसरों और जवानों ने इस्तीफे और वी.आर.एस. के माध्यम से सेवा मुक्ति ली।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि सी.ए.पी.एफ. की समस्याओं को तुरंत संज्ञान में ले और इसके लिए उचित कदम उठाये।

(xv) Regarding production of Fifth Generation Fighter Aircraft Project at Hindustan Aeronautics Limited unit at Ojhar, Maharashtra

श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण (दिंडोरी): नियम 377 के माध्यम से सरकार को सूचित करना है कि मेरे संसदीय क्षेत्र दिंडोरी के पास 1964 में एम.आई.जी.-21 एफ.एल. एयरक्राफ्ट और के.-13 मिसाइल्स के निर्माण करने के लिए एच.ए.एल. का एक एयरक्राफ्ट डिवीजन ओजहर में स्थापित किया गया था, जिसमें 6000 के करीब प्रशिक्षित कुशल कर्मि कार्य रत हैं। एयरक्राफ्ट डिवीजन आधुनिक तकनीक से सुसज्जित है, जिसमें अरबों रुपए का निवेश किया गया है। इस डिवीजन में लड़ाकू विमानों के कल पुर्जों का निर्माण होता है और उन कल पुर्जों का निर्यात मिस्र, वियतनाम, मलेशिया, अल्जीरिया और पोलेण्ड को किया जाता है। विमानों की मरम्मत का कार्य भी किया जाता है। इस डिवीजन में एस.यू.-30 एम.के.आई. एयरक्राफ्ट का निर्माण कार्य हो रहा है, जिसको विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त है। एच.ए.एल. ओजहर के एयरक्राफ्ट डिवीजन के उत्पादन में बढ़ोत्तरी करने एवं अन्य लड़ाकू विमानों के निर्माण करने के प्रयास करने चाहिए। इसके लिए एफ.जी.एफ.ए. प्रोजेक्ट को लागू करने पर विचार किया जाना चाहिए। इससे हम एच.ए.एल. की उत्पादन क्षमता का सदुपयोग कर सकते हैं और युद्ध के लिए सदैव तैयार रह सकते हैं।

सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र दिंडोरी में स्थित एच.ए.एल. की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने हेतु एफ.जी.एफ.ए. प्रोजेक्ट पर विचार किया जाना चाहिए।

**(xvi) Need to implement reservation for economically backward
among upper Castes**

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Ever since the implementation of the Mandal Commission recommendations and other initiatives, there has been a substantial access of large sections of the deprived sections of the nation to the mainstream narratives. However, there has been a long pending demand from various organizations including the Nair Service Society (NSS) of Kerala that reservation for the economically backward in the upper castes be implemented through appropriate legislation. They are demanding it since 1957.

By taking into cognizance the long pending demands raised by the NSS and other organizations and also to provide relief to the poorest among the upper caste Hindus, I would urge upon the government to implement reservation for the economically backward among the upper castes. I would further urge the government in creating a consensus among political parties across India and a Constitutional amendment to this effect be brought.

**(xvii) Need to address railway related problems faced
by people of Kerala**

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): I would like to draw the attention of the Government towards the decision of the Southern Railways to deny sanction of new trains for Kerala, citing capacity constraints. Instead of remedying this capacity related issue, this ground has been used to deny the State its legitimate interests. The Lalkuva-Trivandrum Express, the extension of Pune-Ernakulam Express to Thiruvananthapuram and the proposal to increase the frequency of the Kochuveli-Bikaner Express to thrice a week and the Kochuveli-Lokamanya Tilak Express to daily basis, as recommended by the Central Railways, have all been denied by the Southern Railways.

The people who depend heavily on the railways for long distance travel will now be inconvenienced by infrequent train services. Therefore, I urge the Government to intervene and take immediate steps to prevent the neglect of Kerala's railway infrastructure and to enhance the development of the State's railways.

(xviii) Need to review the decision to conduct NEET twice a year

SHRI V. ELUMALAI (ARANI): The Government has decided to conduct NEET twice in a year. I feel the proposal to conduct NEET twice in a year is not in order for admission in a course in a particular academic period. Prior to taking such an important decision concerning the future of lakhs of children, the government should have consulted state governments which I feel perhaps has not been done. Therefore, the view of the Government of Tamil Nadu is also the same that NEET should be conducted only once in a year. The students need time to get prepared for an examination which decides their future. The government of Tamil Nadu is providing training to plus two students in government schools to take NEET which is aimed at students competing for NEET when conducted in a year. Therefore, it is urged that the government should rethink on this issue and conduct NEET only once in a year.

**(xix) Need to set up a separate Ministry for Fisheries
and Fishermen Welfare**

SHRI K. ASHOK KUMAR (KRISHNAGIRI): Bifurcation of the agriculture and farmers welfare ministry and creation of a separate ministry for Fisheries and Fishermen Welfare by the Union government is the need of the hour. On behalf of AIADMK Party, I make this fervent appeal to the Union Government. Indian fishermen are subjected to frequent harassment in the context of crossing the border and entering the international waters, by the Navy personnel of the neighbouring countries of Sri Lanka, Pakistan and Bangladesh. This issue relating to traditional fishing rights should immediately be resolved, through bilateral and consistent dialogue process. All the confiscated boats which are not given back so far should immediately be handed over to the fishermen and those who are incarcerated should be released with immediate effect. Fishermen community should be included in the list of Scheduled Tribes as recommended by the Mandal Commission. It will not only ensure reservation for education and employment, but also will have reservation of constituencies in various elected bodies including State assemblies and the Parliament. I also insist that the coastal belt should not be made the power generation hub of India at the cost of the fishermen communities. A subsistence allowance should be given to every family of fishermen community that is affected by any fishing ban such as breeding season ban, lean season ban, etc. We demand from the Government of India that the fishermen be given the subsistence allowance at the rate of Rs. 500 per head per day. This should include days of natural

calamities as compensation for livelihood, Compensation for damages to the habitat and equipment is different from livelihood allowances, We demand in case of disaster as climate change refugee status and demand compensation accordingly. I, therefore, urge that the Union Government should immediately set up a separate Ministry for Fisheries and Fishermen Welfare.

**(xx) Need to set up a unit of Paramilitary Force at
Bhawanipatna in Odisha**

SHRI ARKA KESHARI DEO (KALAHANDI): The Left Wing extremists (LWE) are very active in my Kalahandi parliamentary constituency, in Odisha. In times of emergency the paramilitary force comes from Sambalpur to tackle any untoward incident. The movement of para-military force from Sambalpur to my district usually takes 7 to 8 hours. Hence one paramilitary Unit may be set up in my district headquarters- Bhawanipatna during the current financial year.

(xxi) Regarding action against central government employees who have secured jobs on caste certificates rendered invalid

SHRI GAJANAN KIRTIKAR (MUMBAI NORTH WEST): The hon'ble Supreme Court have ruled on 6th July, 2017 in Civil Appeal No.8928/2015 (Chairman & Managing Director, Food Corporation of India and others against Jagdish Balram Bahira and others) that the Government can't give protection to the employees/officers who have secured jobs/promotion under reserved category whose caste certificates have been proved invalid.

In this connection, the Government of Maharashtra had appointed a sub-committee of Ministers to recommend the manner in which the action can be taken against such employees/officers. The sub-committee would also study the consequences of action on administration and how to cope with the situation while recommending the exact manner of action. No action would be taken against such employees/officers till the Government takes a final decision. Madam, hon. Supreme Court's ruling is equally applicable to the Central Government employees/officers.

Therefore, it is requested that no action be taken in respect of Central Government employees/officers unlike the Government of Maharashtra till the exact procedure/manner is finalised by the Central Government.

It is pertinent to mention here that the Government of Madhya Pradesh has given protection to the employees/officers who have secured employment on production of sub-caste certificates which have been proved invalid. I once again request that similar protection may be given to such Central Government employees/officers.

(xxii) Need to accord special category status to Andhra Pradesh

SHRI M. MURLI MOHAN (RAJAHMUNDRY): The Government of Andhra Pradesh has been requesting the Union Government to accord Special Category Status(SCS) to Andhra Pradesh which was not considered by the Union Government under the pretext that the 14th Finance Commission objected to it. On the other hand, the Union Government went on to say that granting of SCS to Andhra Pradesh had not defined/added in the APR Act, 2014. The Union Government had also made a statement that the Special Status Category already granted to States will be abolished after implementation of GST.

In such a scenario, the Special Package or Special Assistance Measure (SAM) in lieu of SCS was announced by Shri Arun Jaitely ji, Union Finance Minister on 07 September, 2016, had been accepted by the Government of Andhra Pradesh as there was no other option for our Chief Minister. But to our utter dismay, it has been observed that not a single rupee has been allocated to the A.P even under Special Package/SMS so far.

Ironically, we are given to understand that the Union Government has recently extended such SCS to the 11 other States which were enjoying the benefit. It seems the Union Government had adopted the step-motherly treatment towards the State of Andhra Pradesh in fulfilling the promise of granting SCS. Thus, the Union Government has misled the people of Andhra Pradesh on the issue of Special Category Status(SCS). We have no objection

for other 11 States which have been extended the benefit of SCS. Why should the Centre show such discrimination towards AP on this issue? When it is possible to continue SCS in other States, why not for Andhra Pradesh?

I therefore, urge upon the Union Government to accord Special Category Status to Andhra Pradesh without any further delay.

**(xxiii) Need to set up a Passport Seva Kendra in Mainpuri district,
Uttar Pradesh**

श्री तेज प्रताप सिंह यादव (मैनपुरी): सरकार की योजना देश में प्रत्येक प्रधान डाकघर के 50 किलोमीटर के दायरे में नागरिकों को पासपोर्ट सेवा की सुविधा उपलब्ध कराने की है। विदेश मंत्रालय ने डाक विभाग के सहयोग से देश में डाकघरों में 251 पासपोर्ट केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले का नाम इस सूची में नहीं है।

मैनपुरी से हजारों लोग विदेश यात्रा के लिए जाते हैं, स्टडीज के लिए हमारे युवक जाते हैं और बिजनेस के लिए भी जाते हैं। इन देशों में जाने के लिए लोगों को पासपोर्ट बनवाना पड़ता है। मैनपुरी में पासपोर्ट कार्यालय नहीं होने की वजह से लोगों को लखनऊ जाना पड़ता है, जो काफी दूरी पर है।

सरकार से मेरी मांग है कि एक पासपोर्ट सेवा केंद्र मैनपुरी में खोला जाये, जिससे आसपास के इटावा, कन्नौज जिलों को भी फायदा मिलेगा और यहां के लोगों के समय और धन की बचत होगी।

(xxiv) Need to extend the rail route from Jaijon-Jalandhar to Amritsar via Nawashaheer, Jalandhar

SHRI PREM SINGH CHANDUMAJRA (ANANDPUR SAHIB): DOABA region of Punjab is a very famous area known and Non-resident Indians region and also a historical and tourist place. Shaheed Bhagat Singh Nagar district of this area has no direct rail connections with Amritsar. The train which passes through Jalandhar to Jailon via Nawashaheer of Khatkal Kalan native village of Shaheed Bhagat Singh should be extended from Jaijon-Jalandhar to Amritsar. Former Railway Minister Shri Suresh Prabhuji had publically announced in Shaheedi Conference at Khatkal Kalan that within three months the requisite train would be extended. Three years have passed but the promise of the then Cabinet Minister has not yet been fulfilled. It is the lifeline of my constituency. If the demand of people falling in my constituency is acceded to, it would be beneficial to a large number of local people.

I urge upon the Government of India to extend this rail route from Jaijon-Jalandhar to Amritsar via Nawashaheer, Jalandhar.

(xxv) Need to name Central University of Haryana situated at Jant Pali Village, district Mahendragarh, Haryana after Sant Kabir Dasji

SHRI DUSHYANT CHAUTALA (HISAR): I would like to bring to the notice of the government that in our country there are various central universities which are named after eminent personalities like Maulana Azad National Urdu University, Dr. Hari Singh Gour Visvavidyalaya, Baba Saheb Bheem Rao Ambedkar University, Guru Ghasidas Visvavidyalaya etc. and these central universities are bearing the names of those eminent people keeping in view their valuable contributions to the society. In this respect, the contributions of Sant Kabir Dasji inculcating the spirit of unity among community through his poetry and philosophical ideas are also incomparable. Therefore, I urge the government that the name of Central University of Haryana situated at Jant Pali village, district Mahendragarh, Haryana be changed as Sant Kabir Das Central University. It will not only be a tribute to his contribution but will also be a source of constant inspiration among the students.

(xxvi) Need to amend section 5 of Environment Protection Act, 1986 for the benefit of people residing in Ecologically Sensitive Areas in Kerala

ADV. JOICE GEORGE (IDUKKI): After considering the recommendations of Kasturirangan report on Western Ghats, Government had notified 123 villages as Ecologically Sensitive Areas (ESA), comprising 13108 sq. km. in Kerala as per the directions under section 5 of Environment Protection Act 1986 on November 13, 2013. As per the recommendations of the expert panel appointed by the State Government, the extend of ESA is confined only to 9993.7sqkm excluding the agricultural lands, plantations and residential areas. The draft notifications issued on 10th March 2014, 4th September2015 and 28th February 2017 have incorporated the State expert panel's recommendations. Recently the State Government of Kerala has requested to amend the section 5 directions to restrict the regulations confining only to areas specified in the draft notification. Hence I urge upon the government to amend the section 5 directions as per the request from the State Government to safeguard the hopes and aspirations of people living across the ESAs.

14 14 hrs**STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF FUGITIVE ECONOMIC
OFFENDERS ORDINANCE, 2018****AND****FUGITIVE ECONOMIC OFFENDERS BILL, 2018 – Contd.**

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, Item Nos. 14 and 15 to be taken up together.

Now Shri N.K. Premachandran.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Sir. Yesterday, I have already moved the Statutory Resolution seeking the disapproval of the Ordinance. At the same time, when I move the Statutory Resolution disapproving the Fugitive Economic Offenders Ordinance, I fully support the contents of the Bill. I am with the Government regarding this because stringent punitive action has to be taken against the economic offenders who are looting and fleeing the country. Definitely, stringent action has to be taken. Therefore, I fully support this.

My formal objection is about the Ordinance route of legislation. It is a well-established principle and several times I myself have stated in this House that under Article 123, an Ordinance can be promulgated only under extraordinary situations. What is an Ordinance legislation? It is an independent legislation brought out by the Executive and not by the Legislature. Further, even Article 123 does not permit the replacement of an Ordinance. It says that an Ordinance cannot be replaced by a Bill. That is mentioned in Article 123. There is no such provision in Article 123.

Also, I would like to say that the Constitution does not permit either His Excellency the President or the Governor as the parallel authority to make law, independent of the Legislature.

What has happened during the period of three and a half months is that six Ordinances were promulgated by the Government. My point is that the Government could have had the opportunity to pass all those Bills during the last Session but, unfortunately, the entire Session was washed out which I mentioned yesterday.

Sir, this is a new law to confiscate the assets of the fugitive economic offenders and this is an assurance which was given in the Budget Speech of the hon. Finance Minister in during 2017-18. This Bill was approved on 1st March, 2018 by the Union Cabinet and on 12th March, 2018, the Bill was introduced in the Lok Sabha. The Budget Session was there till 6th April, 2018. If the Government had a *bona fide* intention to get it passed, definitely, the Government could have resolved the impasse which was prevailing in the Lok Sabha. It could have been very well resolved and they could have initiated the Bill in the House. Instead of introducing the Bill for consultation and passing, they chose the Ordinance route of legislation. That is the basic objection which I would like to make in this regard.

On 21st April, 2018, the President promulgated the Ordinance. My point is that instead of getting the Bill passed in the House, it is not good for a healthy parliamentary democracy system in our country to directly go through the Ordinance route. Therefore, I am placing my strong objection in approving the Ordinance.

Since both the items are being taken up together, Sir, I support the Fugitive Economic Offenders Bill. The Bill is based on the principle of the Non-conviction Based Asset Confiscation. This principle is enabled under the provisions of the UN Convention against corruption which was ratified by the Government of India in the year 2011. So, I fully accept the principle.

This is a new law to confiscate the assets of the absconders till they make a submission to the jurisdiction of Indian courts. If they are evading and they are not subjected to the criminal proceedings or action before a court of law or in any appropriate legal forum in the country, definitely, this action will be useful and fruitful.

There are a lot of instances in which economic offenders flee the country evading the prosecution by remaining outside the jurisdiction of Indian courts. There are two such instances, (a) anticipating that there is a commencement of criminal proceedings against him, and (b) there are pending criminal proceedings against him. These are the two instances in which they abscond the country after looting the banks and the exchequer of the country.

Sir, who is a 'Fugitive Economic Offender' is well defined in the proposed Bill. It means a person against whom a warrant has been issued by any of the courts in India, who (a) leaves or has left India so as to avoid criminal prosecution; or (b) refuses to return to India to face criminal prosecution. That person will be declared as a 'Fugitive Economic Offender' by a Deputy Director or a Special Court. I fully agree with it. Here the point is that if such a person has been declared as a 'Fugitive Economic Offender', his property/his assets can be

confiscated even before the conviction. That is the biggest provision which we are dealing with.

Here I would like to make a point. I am seeking a very specific clarification from the hon. Finance Minister who is in charge of the Finance Ministry. If the Government is sincere in confiscating the assets or getting these offenders back to India, whether these provisions will survive the legal scrutiny has to be examined in detail. Otherwise, this is absolutely an eye-wash because all these persons have left the country. I am going into the details. These economic offenders, Lalit Modi, Nirav Modi and Vijay Mallya have found out the havens in the U.S., in the U.K and in various countries. They have fled the country and they have found havens outside India. Now, we are coming with a legislation to deal with this subject. I fully support it but, at the same time, I have apprehensions about whether this is a sincere effort on the part of the Government to deal with the subject.

Why am I saying this? There are a lot of legislations in our country regarding economic offences. We have the Prevention of Money Laundering Act, we have the SARFAESI Act, we have the Insolvency and Bankruptcy Code, and we have the Negotiable Instruments Act. If a cheque is dishonoured, it is a scheduled offence. A number of offences have been listed in the Schedule of Offences as a part of the Bill. It is stated there that if a cheque is dishonoured and the party who has drawn the cheque is now abroad and staying in Gulf countries, his property can well be confiscated if the value of the dishonoured cheque is more than Rs.100 crore. The Minister may clarify if I am incorrect. This is the provision.

The only question is, whether it is legally sustainable or not. We fully and firmly support whatever stringent provisions the Government requires in order to deal with the fugitive economic offenders. At the same time, things should not be done just for politics sake and just to show the public that we are taking stringent action against the economic offenders. That is the point I am trying to make.

The proposed Bill differs from the existing laws in two crucial aspects. The first one is it allows confiscation of assets of fugitive economic offenders before the conviction. The second one is, this is a very important point and I would like to draw the attention of the Minister to it, it disentitles a fugitive economic offender from any recourse under civil law. These are the two controversial provisions, important provisions that are going to come under legal scrutiny before a court of law. Is the Government able to define, clarify and sustain these two controversial provisions in this Act? If it is, then I fully agree with the Government that the intention of the Government is absolutely fair.

The reason why I am saying is a recent Supreme Court judgement. It was a Constitution Bench judgment. In this July 2016 judgment the Supreme Court said that access to justice is a facet of right to life guaranteed under article 21 of the Constitution. So, access to justice is a fundamental right which comes within the purview of article 21. So, access to justice is the most important, cardinal, fundamental right available to the citizen of the country. But as per the provisions of this law, even if the property is confiscated because somebody is having any interest in the property or any claim is there over the property, nobody can have recourse to law in any civil court. That is a controversial provision.

I would like to make two points. In the judgment also. It has been specifically stated. No individual can be penalised without being convicted. Even if a person is suspected that he is going to flee the country, his property cannot be confiscated. I am fully supporting the Bill. The only question I am asking again and again is whether it is legally sustainable. That has to be looked into by the Government. The second point is that no one can be denied access to justice. In the light of this, is the Government confident that this Bill will pass the judicial scrutiny? It is also the legal dictum that unless and until an accused person is proved to be guilty, he is presumed to be innocent. That is the basic legal dictum.

Sir, why have these people become fugitives? If the provisions of the existing laws are strictly complied with, how can these people become fugitives, how can they loot the country and run away from the country? Vijay Mallya, Lalit Modi, Nirav Modi, Mehul Choksi, Dipak Talwar, Sanjay Batra, J.K. Garg, R.K. Kapoor, Prateek Jindal, all these persons have taken loans and defaulted on payment. The latest SRS Bank default is of Rs.6,978 crore and Vijay Mallya owed about Rs.9,000 crore. I am not going into those details because of paucity of time. All these cases have happened during the last four years. Is it not the fault of this Government/ Nirav Modi, Vijay Mallya, Mehul Choksi, Deepak Talwar, all these persons left the country in the last four years during NDA regime.

During last four years, you have not exercised caution to check these things. It is quite unfortunate to say that in the last session this House did not even discuss the Nirav Modi case and the Punjab National Bank scam. If you

see, 150 Letters of Undertaking issued in favour of Nirav Modi by the Punjab National Bank from 2011 to 2017 out of which 143 Letters of Undertaking were issued in 63 days from 1st March 2017 onwards. Is it not with the knowledge and consent of the Government?

HON. DEPUTY SPEAKER: Please conclude now.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Sir, this Nirav Modi case and Punjab National Bank scam has never been discussed in this House. So, I may kindly be given two or three minutes. On 16th January 2018, this came to the knowledge of Punjab National Bank. On 29th January 2018, a complaint was filed by the Punjab National Bank and the Central Bureau of Investigation registered an FIR on 31st January 2018. Nirav Modi and his brother left the country on 1st January. Mehul Choksi left the country on 6th January. Is it not with the consent and knowledge of the concerned authorities?

There are so many petitions in the Gujarat High Court against Mehul Choksi. More than 500 petitions were submitted before the courts. The Central Bureau of Investigation submitted a petition. A whistle-blower has submitted a specific petition to the hon. Prime Minister and the Prime Minister has acknowledged the receipt of the petition against Mehul Choksi. What action did the Government take? Instead of taking any action, finally you are coming with a legislation by which you are going to confiscate the property of all economic offenders. Can we believe the honest efforts of the Government? Instead of going into continuous legislation, the Government should have the political will to enforce the laws against the corporates. You are losing the political will to deal with the corporates. That is the biggest problem our country is facing.

From this, it is very clear that the Government of India was fully aware of the possible devastating outcome of the fraudulent scams and the Government cannot evade its responsibility since all these scams are of grave importance. Members representing the highest office of our democracy could possibly be involved. I demand a joint parliamentary committee to probe into this matter to bring out the truth about all these issues in the public domain. After all these scams, FICCI, ASSOCHAM and all the corporate organisations are saying that all these scams have happened only because of public sector banks; so, all these public-sector banks have to be privatised. That is the new philosophy which is being brought by the corporate houses.

Is it because of the public-sector banks? It is only because of the political influence by which all these corporates have looted the country and fled the country. So, my suggestion is that if this Government is honest or *bona fide* in containing all these things, a legal clarification has to be made. There are three or four precedents in this House that a Bill even if it is replacing an ordinance, has been sent to the Select Committee or Joint Committee. So, my suggestion is that let this Bill be sent to a Standing Committee in order to have a close legal scrutiny so that all the loopholes can be plugged in. With these words, once again I move the resolution disapproving the ordinance and I support the Bill.

HON. DEPUTY SPEAKER: Motions moved:

“That this House disapproves of the Fugitive Economic Offenders Ordinance, 2018 (No. 1 of 2018) promulgated by the President on 21st April, 2018.”

“That the Bill to provide for measures to deter fugitive economic offenders from evading the process of law in India by staying outside the jurisdiction of Indian Courts, to preserve the sanctity of the rule of law in India and for matters connected thereto or incidental thereto, be taken into consideration.”

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं भगोड़ा आर्थिक अपराध कानून के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इस बिल को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे मित्र मंत्री श्री पीयूष गोयल साहब लेकर आए हैं। प्रधान मंत्री जी के लिए मुझे फिराक गोरखपुरी की शायरी समझ में याद आती है। अगर आदमी बदल न सके दुनिया को तो इस दुनिया में आदमी की खैर नहीं। हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया बदलने के लिए आई है और उसी के लिए यह बड़ा लेजिलेशन है। मुझे लगता था कि विपक्ष से अच्छी बातें आएंगी। इस देश में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, यूपीए का शासन दस वर्ष का था। एक जमाने में लखनऊ में वाजिद अली शाह का जमाना था और लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था।

ठीक उसी तरह का माहौल था। अपोजिशन से जितनी बातें होती हैं, उसे देखकर दुख भी होता है और धिक्कार भी होता है कि राजनीति इतनी छोटी हो गई है कि आदमी अपनी चीजों को स्वीकार करने को तैयार नहीं है।

यह बिल लाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी, क्योंकि बैंक के एनपीए बढ़ गए। वर्ष 2004 तक एनपीए मुश्किल से चार या पांच परसेंट था। 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार ने लोगों को एग्रेसिव लोन दिया, बिना किसी कोलैटरल के लोन दिया, यह लगभग 85 परसेंट के आसपास था। हमारी सरकार ने 2014 से 2018 तक जो लोन दिया, वह मुश्किल से छः से साढ़े छः हजार करोड़ का एनपीए है। दस लाख करोड़ एनपीए में 7,000 करोड़ रुपए का एनपीए हमारा है और 9,93,000 करोड़ रुपए का एनपीए कांग्रेस सरकार का है, यूपीए का है। इसके लिए यदि हम बिल लेकर आए हैं तो आप हमारे ऊपर अंगुली उठा रहे हैं।

यहां कुछ लोगों का जिक्र किया गया। मैं नहीं चाहता था कि किसी व्यक्ति विशेष पर चर्चा हो। माननीय सदस्य ने ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन नहीं पढ़े। प्रेमचंद्रन जी बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, वह इस बिल का पहले ऑब्जेक्ट्स और रीजन पढ़ लेते।

“There have been several instances of economic offenders fleeing the jurisdiction of Indian courts, anticipating the commencement of criminal proceedings or sometimes during the pendency of such proceedings. The absence of such offenders from Indian courts

have several deleterious consequences, such as, it obstructs investigation in criminal cases, it wastes precious time of courts, and it undermines the rule of law in India. Further, most of such cases of economic offences involve non-repayment of bank loans, thereby worsening the financial health of the banking sector in India. The existing civil and criminal provisions in law are inadequate to deal with the severity of the problem.”

इसमें कौन सी बात है, कौन सा आर्टिकल 21 और 14 में से गायब हो गया? आप बताएं। बैंक का लोन लिया है, बैंक का लोन नहीं लौटाया, बैंक का जितना लोन है, उतना ही तो हम पैसा लेने की बात कह रहे हैं। इसमें वह सुप्रीम कोर्ट चला जाए, हाई कोर्ट चला जाए, इंटरनेशनल कोर्ट आफ जस्टिस चला जाए, वह क्या कहेगा कि बैंक का उतना लोन नहीं देना है। आपको क्यों लगता है कि हम आर्टिकल 21 और 14 का वाएलेशन कर रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि पैसा नहीं लौटाना है? आप अपोजिशन में होने के नाते बताएं कि बैंक का पैसा लौटाना चाहिए या नहीं लौटाना चाहिए? हम कौन से सिविल राइट्स का वाएलेशन कर रहे हैं? ऊपर से आप ऑर्डिनेंस की बात कह रहे हैं। आप लोगों ने बजट सेशन वाशआउट कर दिया। जब बजट सेशन वाशआउट कर दिया तो क्या हमारी सरकार वेट करती कि अगला सेशन आने वाला है, पता नहीं आपकी मर्जी होगी, सेशन चलाते या नहीं चलाते और हम इकोनामिकल ओफेंडर को भेजने का काम करते? क्या आप यही चाहते थे? यह गरीब आदमी का पैसा है।

माननीय प्रेमचंद्रन जी, आप देखें कि किस पार्टी से संबंध रखते हैं। गरीब आदमी का पैसा है, यह हमारा डिपोजिट है, गरीब का पैसा अमीर लोग भाग गए हैं। यदि यह पैसा सरकार वापस लाना चाहती है तो उसके लिए आप आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 और ऑर्डिनेंस का रूट क्यों ले आए? आप संसद नहीं चलने देंगे, क्या इसी तरह की सिचुएशन होगी?

आपने बड़ी अच्छी लिस्ट दी है, मेरे पास भी लंबी चौड़ी लिस्ट है। बिहार में कहावत है- न खायब, न खायब, खायब भर थारी, नहीं सुतब, नहीं सुतब, सुतब गोड़ थारी। सब कुछ आपका किया

हुआ है, आपके लोग हैं आप अपने लोगों को करप्शन के लिए बढ़ावा देते हैं मैं नाम पढ़ रहा हूँ, 14, मार्च 2018 का लोकसभा का प्रश्न है जो हमने पूछा गया था -

“Will the Minister of External Affairs be pleased to state whether many businessmen of our country have absconded after doing scams and settled in various other countries;”

इन्होंने कहा -

“Yes. As per the list provided by the Directorate of Enforcement, New Delhi, the following persons involved in cases under investigation by Directorate of Enforcement are reported to have absconded from India:”

अब विजय माल्या की ही चर्चा कर लेते हैं। किसके जमाने में उसे लोन दिया गया? वे कौन लोग थे? यूपीए सरकार के दोनों के दोनों वित्त मंत्री उनको लोन दिलाने के लिए इनवाल्व थे या नहीं? लोन आप दिलाइए, बिना कोलैट्रल के लोन आप दिलाइए और यदि वह भाग जाता है तो आप हमें कहते हैं कि विजय माल्या भाग गया। किसने लोन दिया? किसने यह सिचुएशन पैदा की? कांग्रेस के किन नेताओं के साथ संबंध था? सीबीआई चार्जशीट फाइल करने वाली है, उसमें पूर्व वित्त मंत्री का नाम भी आने वाला है, यह मैं बड़ी सभ्यता के साथ आपको बता रहा हूँ। दूसरा नाम जतिन मेहता का है। ... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): इसका मतलब है कि यह सब कुछ प्रि-प्लांड है। ... (व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा): मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। कई लोग वित्त मंत्री हुए थे। ... (व्यवधान) मुझे पता है कि पार्लियामेंट में क्या बोलना है। ... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: यह सब कुछ प्रि-प्लांड है। ... (व्यवधान) आप लोग फंसाने के लिए कर रहे हैं। ... (व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे : मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। ... (व्यवधान) मैं बैठ नहीं रहा हूँ। ... (व्यवधान) खड़गे साहब, मैं यील्ड नहीं कर रहा हूँ। ... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: दुबे साहब, आप बैठिए। आपको ये नाम कैसे मालूम हुए? ...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे: आपने मेरी बात सुनी है, आपको सुनाना होगा तो कहिएगा। ...(व्यवधान)

जतिन मेहता वर्ष 2013 में भागा और जतिन मेहता से कांग्रेस के एक बड़े वकील, जो राज्य सभा के भी सदस्य हैं, के साथ संबंध हैं। उन्होंने उसको लोन दिलाया। तीसरा नाम है संजय भंडारी का, ...(व्यवधान) पूरी दुनिया जानती है कि जो इस राष्ट्र के दामाद हैं, ...(व्यवधान) उनका जो फ्लैट लंदन में है, रॉबर्ट वाड्रा साहब का जो फ्लैट है, उसे संजय भंडारी ने खरीदा।...(व्यवधान) यदि यह बात गलत है तो बताइए। संजय भंडारी आपके लोग हैं, ...(व्यवधान) आर्म्स डीलर हैं, आपने उनको बढ़ावा दिया। ...(व्यवधान) यदि वे भाग गए, ...(व्यवधान) मैं केवल लिस्ट की बात कर रहा हूँ।...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: अगर कोई गलती करे तो उसे फांसी लगाओ, वह बात अलग है, लेकिन आप उनके नाम का बार-बार जिक्र कर रहे हैं, इसका मतलब है कि पूरी रिपोर्ट लीक हो गई है और आप जानते हैं कि उनको फंसाने के लिए हो रहा है।...(व्यवधान) आप अच्छी बात कीजिए, झगड़े की बात मत कीजिए। ...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे: अभी तो मैंने शुरू किया है। संदेश आर्या साहब हैं, ...(व्यवधान) जिनके ऊपर कल ईडी ने चार्जशीट लगाई है। डायरेक्टर, सीबीआई और डायरेक्टर, ईडी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। ...(व्यवधान) दस साल तक जो आपकी पार्टी के मोस्ट पावरफुल मैन रहे, उनके साथ उनके संबंध हैं।...(व्यवधान) चार्जशीट आने वाली है। आप अपनी बातें कह रहे हैं।...(व्यवधान) नीरव मोदी के बारे में बहुत बातें कही गई हैं। ...(व्यवधान) एक क्रोनोलॉजी मैं अभी बता देता हूँ। ...(व्यवधान) खड़गे जी, आप जिस कमेटी के चेयरमैन हैं, उसी कमेटी की यह रिपोर्ट है।...(व्यवधान) मैं इसे पढ़ रहा हूँ, यह आपकी कमेटी की ही रिपोर्ट है कि नीरव मोदी कैसे पैदा हुआ।...(व्यवधान) नीरव मोदी का जिस बैंक में खाता था, जहां से एलओयू का धंधा होता था, आरबीआई को अधिकार होता है कि वह सभी बैंकों की ब्रांचों को देखे।...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, आप भी फाइनेंस कमेटी के मंबर रहे हैं।...(व्यवधान) उसके बाद वर्ष 2010 से लेकर वर्ष 2014 तक कभी भी आरबीआई ने नहीं देखा।...(व्यवधान) क्योंकि वे आपके बनाए लोग थे, आप उस तरह की चीजें चाहते थे। इसके बाद

चुनाव के समय इन्होंने नीरव मोदी के साथ जो किया, उसकी मैं क्रोनोलॉजी ऑफ इवेन्ट्स बता रहा हूँ। 3 जून, 2013 को the Hon. Finance Minister, Shri P. Chidambaram directed that Foreign Trade Policy should be amended to prohibit the above organisation from importing gold except for very narrow, limited purposes. 3 जून, 2013 को तत्कालीन वित्त मंत्री जी ने कहा कि अब कोई गोल्ड इम्पोर्ट नहीं होगा। ... (व्यवधान) सही है, गोल्ड का दाम बढ़ रहा था, यहां गोल्ड की स्मगलिंग बढ़ रही थी। सरकार ने अच्छा काम किया, करना ही चाहिए था। करंट एकाउण्ट डेफिसिट बढ़ रहा था, तेल का दाम बढ़ रहा था, बहुत अच्छी बात की। इसके एक दिन बाद, 4 जून, 2013 को RBI came up with guidelines whereby import of gold on consignment basis by both nominated agencies and banks permissible only to meet the needs of exports of gold jewellery. जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, चार तारीख को उनके लिए यह फैसला आ गया। बहुत अच्छी बात है। इसके दस दिन बाद कांग्रेस के समय में क्या खेल हुआ? यदि आपको इस देश ने हटाया, यदि इस देश ने माना कि आप भ्रष्टाचार वाली पार्टी हैं तो उसके कुछ रीजन होंगे? यह कागज है और खड़गे जी ही उस कमेटी के चेयरमैन हैं।

On 13th June, 2013, a meeting was called with various stakeholders and it was decided that all the nominated agencies/designated banks importing gold shall have to meet lot-wise ratio of 20:80 between exporters and the domestic manufacturers. 10 दिनों के अंदर पॉलिसी बदल गई। आप केवल कल्पना कर सकते हैं कि क्या कारण था कि तीन जून को वह बंद कर दिया गया और क्या कारण था कि 13 जून को उसे खोल दिया गया। On 21st June, 2013, the hon. Finance Minister approved the 20:80 scheme. 10-12 दिनों के अंदर सारा खेल हो गया। कांग्रेस पार्टी को चुनाव के लिए जो पैसा चाहिए था, वह मिल गया और पूरी स्कीम बदल गई। 30 जनवरी, 2014 को चुनाव की घोषणा हो गई थी। A meeting was called which was attended by the representatives from RBI, DGFT, DGEP, CBEC, wherein it was decided that the request of Star Trading House (STH) and Premium Trading House (PTH) for their inclusion in 20:80 scheme

may be considered after assessing the impact of gold likely to be imported by them. एक नया सवाल उत्पन्न हो गया कि हम अपने लाइफ में कुछ स्टार ट्रेडिंग हाउसेज और कुछ प्रिमियर ट्रेडिंग हाउसेज को गोल्ड इम्पोर्ट करने की इजाजत दे देंगे और उन्हें गोल्ड इम्पोर्ट करने की इजाजत मिल गई। 13 मई को चुनाव खत्म हो चुका था। 16 मई को रिजल्ट आने वाला था। यह वित्त मंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, यह एक सवाल था। The hon. Finance Minister gives his approval for inclusion of STH/PTH for import of gold under 20:80 scheme. कागज झूठ नहीं बोलता है। On 15th May, 2014 the DEA wrote to RBI to amend the 20:80 scheme to allow gold import by STH/PTH. माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में यह सरकार 26 मई, 2014 को बनी। आपके हाथ से उठाए हुए आरबीआई के गवर्नर थे, उन्होंने यह भी नहीं देखा कि वित्त मंत्री जी आने वाले हैं, प्रधान मंत्री जी आने वाले हैं, यह पॉलिसी डिजिजन है, उनसे पूछना है। On 21st May, 2014, the RBI issued AP Dir Circular to amend 20:80 scheme. आप नीरव मोदी पैदा करिए, आप कागज बनवाइए, आरबीआई जो जांच नहीं करे, वह आप यदि नीरव मोदी पैसा डूबा दे तो हम दोषी!

बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोय,
जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोया।

यह सोचने का सवाल है। इसके बाद जब हमारी सरकार आई तो जून में डीआरआई ने उस वक्त के तत्कालीन वित्त मंत्री जी को कहा कि यह केवल स्मगलिंग हो रहा है, यह गलत काम हो रहा है। हम कुछ स्टार ट्रेडिंग हाउसेज को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ऐसे-ऐसे केसेज आए कि 24 घंटे के अंदर गोल्ड यहां आ गया। एक 'कनक' कंपनी है। गुरुग्राम में एयरपोर्ट पर गोल्ड आता है। गोल्ड बनने के लिए हरिद्वार चला जाता है। हरिद्वार से 24 घंटे के अंदर वह एक्सपोर्ट हो जाता है। केवल कागज पर गोल्ड का इम्पोर्ट होता गया और कागज पर ही गोल्ड का एक्सपोर्ट होता रहा। मिसइन्वाइसिंग, मतलब ब्लैक मनी को जैनरेट करने का तरीका होता है। जब यह जून में पता चला तो जूलाई में हमारे वित्त मंत्री जी ने मीटिंग ली। On 27th November, 2014, the hon.

Finance Minister approved the withdrawal of 20:80 scheme. हम ने चोरी रोकने का प्रयास किया। हम ने नीरव मोदी जैसे लोग पैदा होने से रोकने का काम किया या नहीं किया। उसके लिए आपको माननीय मोदी जी, माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय पीयूष गोयल जी को बधाई देना चाहिए या आप प्रश्न उठाएंगे कि नीरव मोदी भाग गया, विजय माल्या भाग गया, जतिन मेहता भाग गया, संजय भंडारी भाग गया। आप आर्म्स डीलर पैदा करिए, आप बिजनेस करिए, आप संजय सारिया पैदा करिए। उसके बाद आप कहिए कि यदि आप यह केस ले कर आए तो बड़ा खराब केस ले कर आए हैं। आप पैसा खाइए, आप चुनाव के लिए पैसा लीजिए। यदि आप लिस्ट लेना चाहते हैं तो वर्ष 2011 में 300 करोड़ रुपये का सोलर एक्सपोर्ट और सोलर डायमंड का एक्सपोर्ट था।

वर्ष 2013, 2014 और 2015 को यदि आप देखें तो इसका छह हजार करोड़ रुपया बढ़ा है। यह आंकड़ा केवल नीरव मोदी के कारण ही नहीं बढ़ा है। यह सिर्फ नीरव मोदी का केस ही नहीं है। यदि आप सभी को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कितनी तरह के केस हैं। आप पूछ रहे हैं कि यदि आर्डिनेंस आ गया, तो इसका क्या फायदा होगा। इसका फायदा यह हुआ – यह न्यूयार्क टाइम्स की रिपोर्ट है - कि “The UK Court lets Indian banks search, seize tycoon Vijaya Mallya’s properties. ” मिस्टर थरूर मेरे बाद बोलने वाले हैं। वर्ष 1881 में इस देश में एक्सट्राडिशन का लॉ बना और वर्ष 1903 में इसमें अमेंडमेंट आया। वर्ष 1947 तक इस देश में एक तरह की ट्रीटी थी। भारत की आजादी के बाद वर्ष 1947 से 1993 तक एक अलग तरह का कानून आया और 1993 से लेकर आज तक इतने स्कैम हो रहे हैं, इतने लोग विदेशों में भाग रहे हैं, क्या आप लोगों ने इसकी कल्पना की है। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो का डेटा आप देखें। पिछले 10 सालों में देश में एनआरआई बनने की संख्या, देश में इकोनोमिक ओफेंस बढ़ने की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। चीन ने वर्ष 2014 में इकोनोमिक ओफेंसेज के लिए अपने रूल में अमेंडमेंट किया कि कैसे इस समस्या को खत्म करना है। यह बिल क्रिमिनल की बात नहीं करता है, यह बिल इकोनोमिक ओफेंडर की बात करता है, जो कि बैंक, गरीब, किसान, महिलाओं और मजदूरों का पैसा लेकर भाग गया है। उसने विदेश में अपना मकान बना लिया है, हवाई जहाज से घूम रहा है। यूएस ने अपने कानून में संशोधन किया है। यूके ने अपने कानून में संशोधन किया है। कनाडा ने भी

अपने कानून में संशोधन कर लिया। क्या ऐसा कारण था कि वर्ष 2004 में यूपीए सरकार को यूएन रेज्योलूशन, जिसके सिग्नेटरी माननीय मनमोहन सिंह जी थे और जिस वक्त इसे कानून बनना था, क्या स्थिति थी कि दस साल तक आपने इकोनोमिक ओफेंडर के लिए कानून बनाने की कोशिश नहीं की। वर्ष 2010-11 में इस तरह का एक बिल भी संसद में इंट्रोड्यूज हुआ और वह संसद में लैप्स हो गया, क्योंकि उसे न तो लोक सभा से पास कराया और न ही राज्य सभा से पास कराया। आपकी क्या मंशा हो सकती है कि आप इस तरह से चोरों और भगोड़ों का साथ दे रहे हैं?

जब पीएमएलए बन रहा था, उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वक्ता था। मैंने वर्ष 2012 के तत्कालीन वित्त मंत्री जी को कहा था कि जो कानून बन रहा है, इसका मिस यूज होगा और एक दिन ऐसा आएगा कि आप स्वयं इसमें फंसेंगे। मुझे लगता है कि उस समय मेरी जिह्वा पर सरस्वती का वास था और आज भी है कि वे फंसने की कगार पर हैं। इस स्थिति को हमारी सरकार ने बड़े अच्छे ढंग से हैंडल किया। यदि आप बिल का सैक्शन 4(2) को देखें -“The reason for the belief that an individual is a fugitive economic offender.” उसमें रीजन देना पड़ेगा। इस बिल में सरकार ने बहुत-सी बातों को कंट्रोल करने का काम किया है। जो डायरेक्टर इसे साइन करेगा, उसके लिए स्पेशल कोर्ट इसकी परमिशन देगी। उसे पहले रीजन बताना पड़ेगा कि किस कारण से आप इसे इकोनोमिक ओफेंडर मान रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ईडी कभी भी किसी को भी पकड़ लेगा। जैसा आरबीआई का फरवरी, 2012 का सर्कुलर है, उसके हिसाब से यदि एक भी दिन आप डिफाल्टर होते हैं, तो आप रेड फ्लैग के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद आपके साथ वे नेगोशिएट करते हैं। जब आप पैसा लौटा पाने की स्थिति में नहीं होते हैं और बैंक को लगता है कि यह मेरा पैसा लौटा नहीं पाएगा और उसकी भाग जाने की स्थिति है, तो पूरे एयरपोर्ट पर अलर्ट कर दिया जाएगा कि वह देश से बाहर न जा सके। इस केस में सबसे पहले बैंक को एफआईआर करनी पड़ेगी।

सबसे पहले बैंक को एफआईआर करना पड़ेगा। बैंक एफआईआर करेगी, तभी वह केस सीबीआई को, ईडी को, रेफर होगा या नये बिल में जो भी प्रावधान है, उसके तहत रेफर होगा। लोगों का कहना है कि पीएमएलए और इस बिल में जो फर्क है, वह यह है कि पीएमएलए को आपने जिस हड़बड़ी में बना लिया और जिस स्थिति में बना लिया, उसका एक नया वर्जन है कि सरकार ने सोच-

समझकर निर्णय लिया कि केवल प्रूफ करने का अधिकार डायरेक्टर को होगा। इसमें इसका प्रोविज़न रखा गया है। Any information available as to the whereabouts of the fugitive, economic properties or the value of such properties believed to be the mis-offender.

आप यह समझें कि इंफॉर्मेशन आता है, कई तरह के इंफॉर्मेशन आते हैं- अच्छे भी आते हैं और खराब भी आते हैं। उस इंफॉर्मेशन पर जब तक वह अधिकारी विश्वास नहीं कर लेता कि यह सूचना सही है या नहीं, वहाँ उसकी सम्पत्ति है या नहीं, उस सम्पत्ति को ले ही नहीं सकते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं कि मान लीजिए कि वे खुद ऑफेंस कर रहे हैं, अपने बेटे, बेटी, सास, ससुर, नौकर आदि के नाम से सम्पत्तियाँ ले लेते हैं या बेनामी सम्पत्तियाँ खरीद लेते हैं, उसके लिए अलग कानून है। उसके बाद, a list of proceeds of crime Including any such property outside India for which confiscation is sought. पूरी लिस्ट देनी होगी। ऐसा नहीं है कि हमने किसी के लिए हवा में कह दिया कि ऐसे करना है, वैसे करना है। सेक्शन 4 (2) में इस तरह के सारे प्रोविजन्स डाले गये हैं।

Notice under Section 10. यह क्या है? Where an application under Section 4 a special court shall issue a notice to an individual who is alleged to be a fugitive economic offender. उसे नोटिस दिया जाएगा। The notice referred to in sub-Section 1 shall also be issued for any other person who has any interest in the property mentioned in the application under sub-Section 2 of Section 4. आप यह समझें, आपने आर्टिकल 21 और 50 की बात कह दी। कई वक्ता इस तरह की बातें करेंगे। हमने कोर्ट का सहारा लिया। इसका मतलब है कि हमने न्यायपालिका को बायपास तो नहीं किया, किसी अधिकारी को कोई अधिकार तो नहीं दे दिया। हमने इसके लिए स्पेशल कोर्ट बनाए। आपको उसके लिए प्रॉपर्टी नोटिस भेजा जाएगा। यदि आप उसका जवाब नहीं देंगे, तो आपका कहना है कि उसका ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता रहेगा, आप उसको छोड़ दें। आप ऐसा ही चाहते हैं कि कोई भी इस देश का पैसा लूटकर चला जाए? इसी तरह से आप करते रहें। आज क्या स्थिति है? आपके कारण स्विस्

बैंक में जो पैसा जमा हुआ, अभी वहाँ की एक रिपोर्ट आयी है, वह बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट है कि 300 करोड़ रुपये स्विस् बैंक में पड़े हैं और उसे कोई लेने वाला नहीं है। उसे लेने वाला कोई नहीं है क्योंकि वे बेनामी लोग हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कि कई लोग प्रश्न उठाएंगे कि आपने इतने कानून बना लिये, लेकिन ब्लैकमनी नहीं आयी। मैं अपने आप को अच्छा मानता हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से जो एसआईटी बनी, वह मेरे भाषण के बाद बनी। मैंने इसी संसद में कहा था कि कांग्रेस के तीन-तीन सांसद हैं, जिनका इसमें नाम है। लिंचेस्टाइन बैंक से जो एकाउंट नम्बर आये हैं, जिसे जर्मनी सरकार और फ्रांस की सरकार ने दिया है और जब इसके ऊपर कोई जवाब नहीं आया, तो हर्ष रघुवंशी ने, मैं आपको बताऊँ कि क्या केस था, जिसे रामजेठमलानी और शांति भूषण ने कहा और उसी के आधार पर वर्ष 2011-12 में एसआईटी के गठन का प्रावधान किया गया। एसआईटी इन लोगों ने नहीं बनायी। मैं यह कह रहा हूँ कि आप यह बात करोगे, ब्लैकमनी के संबंध में आपने क्या कहा? आपने सारे प्रॉस्पेक्टिव एग्रीमेंट्स साइन कर लिये। कोई एग्रीमेंट वर्ष 2019 से लागू होगा, कोई एग्रीमेंट वर्ष 2020 से लागू होगा, तो ब्लैकमनी वाले प्रतीक्षा करेंगे कि भारत सरकार वर्ष 2019 में आएगी, वर्ष 2020 में आएगी। आपने 'बासिल' का एग्रीमेंट साइन कर लिया, इंटरनैशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग सिस्टम एग्रीमेंट साइन कर लिया, जिसके कारण बैंक्स की हालत खराब हो गयी।

जब इस तरह के कानून बनते हैं, वहाँ इंडिविजुअल के नाम पर भारतीय का नाम होगा। वहाँ उन लोगों ने ट्रस्ट बना रखा है। आपने प्रॉस्पेक्टिव एग्रीमेंट्स साइन कर लिये। यदि वहाँ लोगों ने ट्रस्ट बना लिया है, तो देश में पैसा वापस नहीं आना है। जब हम नाम लेने जाएंगे, तो भारतीय का नाम लेने जाएंगे। फिर आप कहेंगे कि ब्लैकमनी आया या नहीं? पैसे लेने वाले को आप भगा दें, ब्लैकमनी आप जेनरेट कर दें।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): I would like to say for the information of Shri Nishikant Dubey ji, the whole Bill deals with confiscation of property of a fugitive economic offender.

The question arises in this Bill. At the time of introduction, I had stood up and opposed it. I am not participating in the debate. My colleague, Shri

Tathagata Satpathy will be speaking from our Party. But the question still remains. Confiscation of a property does not give entitlement to the Government to recover the money that has been swindled. Is there a provision in any clause in the Bill to say about the recovery of the swindled money? Just tell us on this point.

श्री निशिकान्त दुबे: ये उत्तर तो वित्त मंत्री जी देंगे, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि the process of declaration of fugitive economic offender, जो कि सब से बड़ा सवाल है, and confiscation of property, जिसके बारे में मेहताब जी ने अभी कहा कि बिल के सेक्शन-4 के अंडर यह दिया गया है -

“Where the Director or any other officer not below the rank of Deputy Director authorised by the Director for the purposes of this section, has reason to believe (the reasons for such belief to be recorded in writing), on the basis of material in his possession, that any individual is a fugitive economic offender, he may file an application in such form and manner as may be prescribed in the Special Court that such individual may be declared as a fugitive economic offender.”

ह्यूमन राइट्स या लोगों को मौका देने का इससे बड़ा प्रोटेक्शन क्या हो सकता है? डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर रैंक के ऑफिसर के पोजेशन में जो चीजें, जो जानकारी है, उसके आधार पर उसे बिलीव करना पड़ेगा कि उसके पास जो चीजें हैं, वे सही हैं। दूसरी बात यह है कि उसे कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। आप यह समझिए कि आप विज़डम ऑफ कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं। इतने बड़े प्रोटेक्शन के बाद भी आपको लगता है कि ह्यूमन राइट्स, आर्टिकल-14, आर्टिकल-21 का वॉयलेशन होगा। इसी तरह से स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए।

Section 2(1)(k) defines proceeds of crime. It is the same as Section 2(1)(u) of PMLA after the amendment of 2018.

“Proceeds of crime” means any property derived or obtained, directly or indirectly, by any person as a result of criminal activity

relating to a Scheduled Offence, or the value of any such property, or where such property is taken or held outside the country, then the property equivalent in value held within the country or abroad.”

इसमें कौन सी गलत बात है? आप यह समझिए कि आज यह बहुत बड़ी समस्या है। आज लोग कहते हैं कि अगर आप किसी को जेल में ठूस देंगे, तो कहाँ से पैसा आएगा? किसी को जेल में ठूसने का सवाल नहीं है। हम किसी को जेल में ठूसना नहीं चाहते हैं। हमारा यह विषय नहीं है। हमारा राज आपकी तरह का नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में वाइंड-अप करूँगा। हम यह चाहते हैं कि हमारा यह जो पैसा है, खासकर जो बैंक्स का पैसा है, उसके संबंध में सब से बड़ा सवाल यह है कि वह बैंक का पैसा है। बैंक्स में एन.पी.ए. हो रहा है। 10 लाख करोड़ रुपये के एन.पी.ए. हो गए। जितने भी लोग भागे हैं, उनका काँग्रेस से कनेक्शन है। नीरव मोदी का ऐसा ही कनेक्शन है। किसी ने जेवर लिया, किसी ने अपना मकान दिया, किसी ने किराए पर दिया, ये सारे काँग्रेस के सीनियर नेता हैं। इन्होंने इकोनॉमिक ऑफेंडर्स पैदा किए हैं। इन्होंने ही यह सिचुएशन पैदा की। इन्होंने ही एन.पी.ए. पैदा किया। आज की डेट में भारत सरकार एक अच्छा बिल लेकर आई है। हमें उसका समर्थन करना चाहिए। मैं अंत में केवल यही कहूँगा कि - सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। इस स्थिति को देखते हुए सभी को अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार हो। ... (व्यवधान) इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। ... (व्यवधान)

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Hon. Deputy Speaker, I thank you very much for the opportunity to address the House on the topic that is really a great concern to all of us. Particularly in recent years, all of us share the nation's concern about the jhooth-loot-scoot culture that has become dominant and we have seen many economic offenders fleeing the country and refusing to come back to face justice.

Sir, we had high expectations of this Bill. I note that earlier this year, none other than our esteemed Prime Minister addressed a word of warning to financial and regulatory authorities on the increasing number of financial frauds and fugitive economic offenders. To quote our hon. Prime Minister, he said that he wants to make an appeal to those who have been entrusted with the job of framing rules and policies and maintaining ethics to do their job diligently and with dedication. These are the Prime Minister's words. These are promising words and we, in the Congress Party, had hoped that perhaps for at least once in these four years, the present ruling dispensation would actually come through on a commitment.

15 00 hrs

But as usual, hon. Deputy Speaker, as has been the legacy of this Government, there remains a significant gap between the rhetoric of its leadership and the reality that is suggested by the nature of the Bill before us today. In the last few years, we have seen a string of businessmen flee the country after allegedly defrauding numerous creditors, especially public sector banks under the watch of the very men who promised to be the watchmen, the *chowkidars*, of India today.

The magnitude of the crisis is seen by a response of the Ministry of External Affairs in the Lok Sabha which has itself admitted that in March this year India has the awful record of having 31 fugitive economic offenders who had collectively robbed the honest tax payer of over Rs. 40,000 crore. That is the figure given by the Ministry of External Affairs to this House. Now, to give that figure of Rs. 40,000 crore some perspective, that is also nearly the same amount that this Government allocated on paper to the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Programme and they took credit saying this is the record highest ever allocation in 2017-18 for this scheme. They did not actually give all the money. That is the amount of money that seems to be on the books of our fugitive economic offenders. While the men and women of our country dependent on their daily wages are struggling with delayed payments because the Government, apparently, does not have enough money to give the States to pay our MNREGA workers, our white collar economic offenders have got away from this country with impunity and the fact is that given these abject circumstances, I must say that we have hoped for effective and workable legislation from this Government to tackle this pressing issue with conviction. But it is already too little, too late.

As my friend Shri Premachandran has pointed out, the biggest fugitives have already left the country. The Government has failed to extradite them and I am going to come back to that. Vijay Mallya escaped two years ago, Nirav Modi fled in January, 2018 after gleefully taking a photograph in Davos with our Prime Minister. It is interesting to hear the BJP speaker talk about Congress association. The pictures are of, apparently, our own Prime Minister in his

company. Jatin Mehta of Winsome Diamonds has left for St. Kitts in 2016 and Lalit Modi benefited from a 'No Objection' intervention by our own Minister of External Affairs in 2015 which was a big issue in this House just three years ago. They are all living in luxury abroad. So, we would like to ask only one question to this Government: *Kiska saath, Kiska vikas?*

But anyway, before analysing this Bill, we must ask ourselves as to what is the situation that necessitates the need to enact a particular kind of legislation. Normally, if there is a flaw in certain statutes or provisions that is being exploited by individuals to escape the law, then, undoubtedly, a legislative remedy is required. But I am sorry to say that there is absolutely no indication in this Bill of a remedy or even a slightly progressive step to address the larger malaise in our regulatory and financial institutions. Instead, we have a poorly crafted draft where it seems little thought has been given to and the entire exercise, I am sorry to say, reeks of tokenism and political double speak. I will explain why I say this because my problems with this Bill are practical, legal and constitutional.

Now, the Statement of Objects and Reasons of the Bill states that the existing civil and criminal provisions of the law are inadequate to deal with the problem of economic offenders fleeing our jurisdiction. So, they are saying that when you have somebody absconding with the proceeds of crime, there are no laws to deal with it. That is absurd. There are very much existing laws. We have our Criminal Procedure Code. The question before us is to ask whether the proposed legislation is better than the present legal regime. What is the problem that you are fixing? What are your improvements?

Sir, the previous speaker talked at length about NPAs. First of all, the Government's own figures confirm that the quantum of Non-Performing Assets in the public sector banks in our country has more than doubled since they came to power. So, they are the ones who will bear the bulk of responsibility for the NPAs. But more significantly, is the BJP seriously arguing that the bulk of these NPAs are due only to fugitive economic offenders? The NPA issue is a much bigger problem. We are very happy to have a debate on that in this House. But the fact still remains that this is clearly not the problem that they can fix in this way. Now, I will come to my specific objections.

First, under Section 82 of our existing Criminal Procedure Code, if any court has reason to believe that a person is evading a warrant issued by it, then it can require him to appear before the court within 30 days and if he fails to do so, it is already in our law today, "any property of the concerned person can be attached" under Section 83. That is our present law. So, what are they fixing? Under Section 10 of the Bill, however, once an application has been filed to declare a person as a fugitive economic offender, this Bill gives him six weeks to appear, and an additional period of one week may be given if his counsel appears on his behalf. So, in fact this Bill actually gives a fugitive economic absconder and offenders more time than the existing Criminal Procedure Code. Instead of 30 days, he is getting 7 weeks or 42 days. Now, please explain the logic behind this generosity in the Bill.

Now, under the Bill, only if a person has a warrant issued against him for a scheduled offence involving Rs. 100 crore or more, will he come under the ambit of this law. Now, this is a very interesting number. Where does it come

from? With this threshold, it means somebody can swindle Rs. 80 crore, Rs. 90 crore, or even Rs. 99.99 crore and he would not attract any of the provisions of this law. Where on earth did our Government decide that a Rs. 100 crore is the only level at which we should take these people seriously? Under the Prevention of Money Laundering Act, which has already been referred to in this House, offences involving one crore or more are covered. It is important that this Rs. 100 crore threshold should be removed so as to ensure that all types of white collar absconders are brought under the ambit of the law.

I want to agree Mr. Deputy Speaker, we need a strong law to deal with fugitives and absconders. But at the same time, we have a constitutional ethos to preserve; we have a legal culture to preserve; we are a democracy, not some sort of tin-pot dictatorship. We must have sufficient safeguards built into the law to prevent it from being used as a tool of harassment by the Government.

Now, if you look at the Section 14 (a) of the Bill, once a person is declared a fugitive economic offender, then any court or tribunal in India may disallow such a person from putting forward or defending any civil claims in court. Now, 'any civil claims' mean what? You are effectively extinguishing a human being's right, an Indian citizen's right to any civil remedy. For instance, if a person is a fugitive, but at the same time he is part of a property dispute or he is part of a divorce proceeding, under the provisions, he cannot defend himself. He cannot take any action in any court of law. This is a bizarre logic. The provision can prevent him from exercising his rights as an Indian citizen in such cases, even those rights unconnected to the economic offence that he has committed. The Supreme Court has clearly held that the right to access courts is an inalienable

right and I am quoting the Supreme Court judgement: "...so basic and inalienable that no system of governance can possibly ignore its significance leave alone afford to deny the same to its citizens." That means the right to access justice, which has been challenged by the previous speaker, flowing from Article 21 and Article 14 of the Constitution requires the ability to go to a court and ask the court to defend your rights or at least hear your side. Extinguishing such a right, even in the case of a fugitive will be found by any half-educated judge to be a violation of the Constitution of India. Why are we bringing forward such an obviously unconstitutional provision that flies in the face of Supreme Court judgements? The Government really owes us an explanation on this.

Section 14 (b) goes even further because the right of companies to approach civil courts is also extinguished if the person filing on behalf of a company is a Manager, or a Director or a shareholder and he happens to be a fugitive economic offender. So, the Government will no doubt argue - they have not come up with this yet, but they may argue that this will force companies to get rid of such people from their companies. But the fact is, majority shareholders cannot be changed overnight. My good friend Shri Piyush Goel knows that very well; they are the ones who bring capital to the company. So, the provision will suddenly mean that other shareholders, perhaps minority shareholders, will be punished and their investments affected for no fault of their own. The Supreme Court in a different recent judgement had said and I quote the Supreme Court again: "...when something is done which is excessive and disproportionate, such legislation would be manifestly arbitrary."

This provision is manifestly arbitrary because it affects the rights of people, who are not offenders, and it will clearly not survive a Constitutional test.

And, I am asking again the Government: “Why do you produce an unconstitutional law that you know has no chance of going past the existing judgments of the Supreme Court that I have cited?” ... (*Interruptions*) Yes, it is purely for optics. I will come back to that.

Once a person is declared a fugitive economic offender -- we have all heard this already – his properties are confiscated and vested with the Central Government. Now, under this Bill, as Mr. Mahtab already mentioned, the Centre, of course, can try and recover the money by selling off the property that is confiscated. But remember that the declaration of a person as a fugitive economic offender is not a conviction. It is not the result of a criminal trial. It is a declaration based on *prima facie* material. Sale of property, unlike the confiscation of property, cannot be undone, and, therefore, it can only be resorted to once a person has already been convicted.

Now, the Government may say: “Well, under the Money Laundering Act, we can dispose of the property vested with us.” But even that happens only under the Money Laundering Act after a trial. Here, there is no trial. So, now, the Government wants to make itself the trial court as well and take on powers that in the history of India no Government has had without going before a Judge.

I think, as legislators, Mr. Deputy-Speaker, Sir, we have the responsibility to ensure that any Bill we pass, is legally sound, fair and reasonable. The property of a fugitive economic offender may be attached by the court; there may be third parties, who have leasehold rights or mortgage rights on such

property, and of course, the Bill does provide that these properties should not then be confiscated. But then, those individuals who have no connection with the crime committed by the accused, have the obligation to prove that they actually have a legitimate interest in the property without knowing that the property is from the proceeds of a criminal act. How is somebody supposed to know that? After all, they will act in good faith with their business partners, with their company officials, their shareholders.

It seems to me that you are, now, using this Bill to reverse the onus; and instead of the prosecution having the responsibility to show that any third party has reasonable grounds to believe that the property arose out of the criminal activity, instead you are taking away his right to rebut such charges and you are saying that he no longer has any rights.

This Section too would need to be amended because you cannot punish the innocent and deprive them of their legal rights. This would set a very dangerous precedent in other matters in our country.

Now, the Bill also suffers from a major lacuna. Of course, the whole question of properties, which are not part of criminal proceeds over which third parties have interest but are yet attached, has not been addressed in the Bill; and that lacuna would need to be dealt with.

One more thing is the power of notification that the Government has taken upon itself. It says that the offences, which need to be attracted to show a person as a fugitive, are listed in the Schedule, but the Government can make changes to the Schedule by notification. Now, this means that the power can be misused by the Government whenever it likes. If there is a person, for example,

who is close to the ruling party – an allegation we have heard from the other side – then, the Government can quite simply change the Schedule and decide that that offence does not attract this Bill. Why do we not have a much more sensible precaution and say that if any changes need to be made to the Schedule, it must be through the sanction of Parliament? The Government has to explain to Parliament the reasons and purpose of the change rather than taking on the power to itself to change the Schedule arbitrarily. These notifications can be placed before the House.

We have a problem. You are a long-term legislator. You know what I am talking about. We have a very weak scrutiny and oversight in our Parliament over matters of delegated legislation. We pass a Bill and then, we do not know what happens to it, what rules they write, what notifications they issue, under what regulations the law is implemented. I really feel, Sir, this is a larger point beyond this Bill that we need to seriously look at requiring the Government to actually explain their rules to us when we pass Bills.

Now, there are two very important points that I wish to add before I conclude. First is that the Supreme Court of India, and I am citing a lot to it because it is such an important issue, has passed the judgment in March of last year suggesting to the Government to amend the Criminal Procedure Code to allow for trial in absentia. This is in 'Hussain *versus* the Union of India', Piyush, if you want to look up, it is of 9th of March, 2017. It is very similar. In fact, they actually alluded to Section 339 B of the Bangladesh Criminal Procedure Code because they say that it will reduce the delay in trials when the accused absconds from the country.

Even though the judgement was passed one year and four months ago, our Government has shown no urgency in implementing this suggestion. If the Government could bring in an amendment to this effect, the fugitive economic offenders, who stay abroad can be tried in *absentia* as you have the Supreme Court's own backing for it but the Government has not had the courage to do this.

The other idea that they have got that attaching the properties of absconders will force them to return is laughable. One of the most prominent businessmen, who have fled the country couple of years ago, sold some of his estates before leaving the country. All these objectives of the Bill can easily be bypassed by a fugitive economic offender if he sells off his property before it is attached. The Government instead needs to take a comprehensive review of our extradition process. That is where the flaw is. I know that the previous speaker attended to it. I have written extensively on this subject. The fact is that while we definitely need to ensure that there is better intelligence on those engaging in fraudulent activities so that they can be nabbed before they leave the country. But the fact is that when the previous speaker asks as to why we had not brought a fugitive economic offender law earlier, the fact is that these are matters that are already within the capacity of the Government to do. They can strengthen the CrPC. They can allow for trials in *absentia*. ... (*Interruptions*) I should say that in the UK for example, we have put up so many extradition requests but in the last 25 years only one person has been extradited back to India. What is wrong with us? Why is the Government not fixing that? The fact is that Mr. Deputy Speaker we are essentially seeing an exercise in passing a

hastily drafted legislation to play to the gallery while ignoring the real issues of the non-implementation of the laws by ignoring the Government's own failure to do the things that I have suggested and then, we are now, essentially shutting the stable door after the horse has bolted.

Lastly, by putting forward a Bill, many of the provisions, which will be struck down as unconstitutional, the Government is only making a show of being tough on fugitive economic offenders. This is too serious an issue to become another *jumla*. I urge the Government to take another look at their Bill and amend its provisions suitably. As Ghalib put it – since they are rather fond of Ghalib – let me say:

“नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं,
सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं।
कशियाँ बदलने की जरूरत नहीं,
दिशा को बदलो तो किनारे खुद बदल जाते हैं।”

The Prime Minister has called himself the *pradhan chowkidar* – the *chowkidar* seems to be sleeping at the gate.... (*Interruptions*) you are just putting a heavy padlock on the garage door after the car has been stolen.

SHRI T.G. VENKATESH BABU (CHENNAI NORTH): Hon. Deputy Speaker, Sir, thank you for allowing me to speak on this important Bill, the Fugitive Economic Offenders Bill, 2018.

The main intent of this Bill is to force the fugitives to return to the country. Their extradition from their safe havens has failed despite maximum efforts taken by the Government. The extradition treaties, especially, with the United Kingdom proved ineffective and the fugitives can challenge the Government and the law of this land.

This Bill is more stringent and vastly different from earlier Acts where the confiscation of properties of the fugitives other than the corporate giants was manifest. But this Bill aims at the fraudulent corporates and paves the way for sale proceeds of the confiscated property in India and abroad. This will prevent any civil claims of the properties and targets the benami holdings of the fugitives also without there being any encumbrances.

Sir, these are welcome steps which foretell the political will of this Government that is pressurised by the list of growing fugitives everyday like Vijay Mallya, Lalit Modi, Nirav Modi, Mehul Choksi, Jatin Mehta, Ritesh Jain, etc., etc. With unearthing of every scam, the resultant massive damage to the financial health of our banks is becoming very apparent.

Though the intent of this Government may be good and is in line with the UN Convention against the fugitives and the procedural delays may be remedied, given the past experience, the achievements may not be forthcoming as willed by the Government. Whether the Bill acts as a deterrent, the main import of this Bill is doubtful. Mallya, despite his properties being confiscated

and sale proceeds being undertaken, does not bother but declares that he is heavenly with his residential properties and some other properties in foreign soil registered in the name of his family members that are enough to hold them good.

Sir, he was arrested in UK but was let out on bail. The Extradition Acts of 1870 and 1935 of the British Empire did not apply in the case of foreign states unless Her Majesty so directs by an Order in the Council.

The international track record of punishing and recovering the assets of the fugitives is abysmal. The record of developing countries is worse still. Out of 20 to 40 billion dollars of stolen money every year from the developing countries, in 2010-12, only 1.39 billion dollars could be frozen out of which only 147.2 million dollars was recovered. In this regard, the observation of World Bank merits a reference. The developing countries are to encounter serious obstacles in the recovery. Even if there is political will to pursue stolen assets, limited legal, investigative and judicial capacity hampers the process of jurisdictions where the stolen assets are hidden. Often developed countries may not be responsive to requests for legal assistance, various treaties notwithstanding. So, this Bill is toothless if the assets are outside the country. The World Bank initiative, STAR (Stolen Assets Recovery Programme) is a telling example as to how badly the past efforts have fared. So, the National Financial Reporting Authority (NFRA) to be incorporated under Section 132 of the Companies Act may serve a little purpose only. It is feared that it may end up in a cramp.

This Bill may be in sync with the UN Convention against corruption with regard to punishing offenders without a criminal conviction when the prosecution

is not possible. Here under this Bill along with confiscation, sale proceeds are to be undertaken when the case against the fugitive is still pending and the conviction has not been proclaimed. Further, neither the fugitive nor his accomplice, who has a stake in the property, can file civil suits against him. The Bill itself is apprehensive about these provisions which run counter to Article 21 of our Constitution enforcing the right to life. The Bill interprets this right to include another right to access justice. That mandates a Constitutional Amendment devoid of which, it may be challenged in the court of law by the fugitives. This will pose a serious problem, especially in a country where the right to personal liberty has been placed on a high pedestal.

Further, the Bill is shrouded in ambiguity and uncertainty in its embryonic stage and has to be covered plenty to plug the loopholes.

The matter is further complicated by a rather uncertain judiciary which works, most of the time, at cross purposes. Take the case of Ananda Padmanaban, the Malaysian national linked to the Aircel-Maxis scam. The CBI Special Court called for confiscation of his Indian assets as he was not appearing before it, but finally, he was let out and all the accused were acquitted, including Ananda Padmanaban and Maran brothers.

The previous Acts supposed to be stringent, like SARFAESI, MISA, COFEPOSA have been rendered ineffective. It will be more prudent to tighten up the escape route for the fugitives. In the case of Nirav Modi, enough time was provided to escape even after the CBI filed an FIR against him. His uncle Mehul Choksi could still escape after him. Mallya's case is not different. In the case of

Lalit Modi, this Government was generous enough to suspend the revocation of his passport.

There must be a fresh look at providing massive loans to borrowers without there being a collateral of equal value.

The norms of the banks to lend loans on higher denominations or values should be very stringent and there should be greater accountability in providing loans. The role of CAs is to be reviewed as they do not appear to be doing justice to their jobs. The names of all individuals, who have defaulted, must be made public to make them shameful. There is a proverb in Tamil--“*Thumbaivittu vaalai pidikka koodaathu*”, which alludes that there is no use in tracking the fugitives after allowing them to escape. So, preventive steps may deter the defaulters more than the Bills like the one now under discussion.

The Government has to show its steadfastness and will power in uncompromisingly and sternly dealing with the offenders of NPA. The banks should be empowered to achieve higher recovery and speedy confiscation of the proceeds of crime. The waiver or write off, whichever name is given, should be a thing of the past. Prevention is always better than cure. Thank you, Sir.

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Deputy Speaker, Sir, again I have got the chance to speak when you are in the Chair. Incidentally, it happens and I consider it as a great privilege for me.

Sir, this Bill has been brought for discussion today. In West Bengal there is a proverb, “*Chor palale buddhi bare*”. When the thieves have stolen the property and fled, then the owner of the property has become intelligent. That is the situation of the Central Government. That is the thing.

I request the hon. Finance Minister to clarify one thing. Kindly see the Statement of Objects and Reasons. Under Clause 3 sub-clause (1), the definition of the fugitive economic offender is given as “an individual who has committed a scheduled offence or offences involving an amount of Rs.100 crore or more and has absconded from India or refused to come back to India to avoid or face criminal prosecution in India.” Therefore, for offences of crime, the amount should be Rs.100 crore or more, according to the Statement of Objects and Reasons of the Bill. But I do not find any such figure in the main Bill. No such figure is there. What is the correct position? According to you, who will be the fugitive economic offender, defined under Section 2 sub-section (5)? Fugitive economic offender means any individual against whom a warrant for arrest in relation to scheduled offence has been issued by any court in India, who (i) has left so as to avoid criminal prosecution or (ii) being abroad refuses to return to India to face criminal prosecution. There you have not mentioned the value of the crime as Rs.100 crore or more.

Hon. Finance Minister, I will be happy if you ignore Clause 3, sub-clause (1) as mentioned in the Statement of Objects and Reasons and delete it because if you keep Rs.100 crore and more, then a person, who has committed a crime involving Rs.50 crore, will fly and this Act will not apply. Therefore, would it not be a discrimination between the two persons who are committing the same crime?

If a fraud includes a sum of more than Rs.100 crore, this law would apply and if the sum is less than Rs.100 crore, the law would not apply to it. Is it not a discrimination? If you commit one murder, you will not be treated as a murderer.

But if you commit five murders, then only the Indian Penal Code (IPC) will be applicable. This is a discrimination. Therefore, I would urge the Government to think about this. I would be very happy if you delete this. This Act should equally be applicable to a person who has stolen even one rupee.

Now, I come to another issue which is relating to absconding, that is, fleeing to another country. What are the conditions of absconding and when would this Act apply? When the offences which have been mentioned in the Schedule have been committed and the officers of the Department concerned have initiated a criminal case and the appropriate criminal court has issued a warrant of arrest and despite the warrant of arrest the person is not available in India, in these circumstances this Act would apply. Then, you have to take up the regular criminal proceedings very fast. You cannot avoid the initiation of the regular criminal case. So, what is the speciality of this Act?

If an officer detects an offence and takes steps in time, then only the criminal case would be in motion. Unless a criminal case is in motion and appropriate steps are taken, you cannot reap the benefits of this Act; you cannot apply this Act at all.

Hon. Deputy-Speaker, Sir, a question arises as to why we are doing this. I think we are doing this because we have seen the cases of Lalit Modi, Nirav Modi, that is, the Modi syndicate. We have seen these cases. Now, the question is that these offences have been committed long back and the appropriate authorities must have taken steps against them. I want to know from you as to what steps have been taken up. It must have been filed as a criminal case before the appropriate court. If the case had already been filed, a warrant would

have already been issued; a proclamation would have already been issued. Even order for attachment of properties of the criminal would have already been issued. Even if everything has been done, this Act would not apply to offenders, who have committed crimes up to this day. Sir, no criminal law is implemented with retrospective effect. The law is implemented with only prospective effect. So, what effective steps have you taken against these offenders? This is what the country is asking. Why are Lalit Modi, Nirav Modi and Vijay Mallya not being arrested and why are their properties not attached? They have gone abroad. If it is so, the country wants to know whether it is an appropriate law. So, this is a law which has brought nothing for the country.

Hon. Deputy-Speaker, Sir, it is only an eyewash, although I support the substance of the Act itself. It should be an Act. But, as of today, this country is very sensitive about whatever scams have been committed. The people of this country are suffering from insecurity over keeping their money in banks. These are not the only cases where this Act would not be applicable; even in the Punjab National Bank fraud case, this law would not be applicable.

It would be applicable to future cases. Hon. Deputy Speaker, Sir, now I will just refer to a few things. Clause 4(2)(c) reads:

“A list of properties or the value of such properties believed to be the proceeds of crime, including any such property outside India for which confiscation is sought;”

It mentions ‘outside India’. Then, clause 5(1) reads:

“The Director or any other officer authorised by the Director, not below the rank of Deputy Director, may, with the permission of the Special

Court, attach any property mentioned in the application under section 4 by an order in writing in such manner as may be prescribed.”

Therefore, it is as if you are giving the power to the Indian courts to attach a property which is situated outside of the country. Can any Indian court do it? The Indian courts have jurisdiction within India. Can an Indian court attach a property existing in London? Can an Indian court pass an order of arrest in respect of a person, who is there in London, and bring him before the court within seven days? Can an Indian court do it? The answer is negative. Then, what is the use of writing all these things? If this power is there in the Indian courts, then why have you not taken steps for getting an order from an Indian court to arrest Mr. Lalit Modi, Mr. Nirav Modi, Mr. Vijay Mallya and others? You arrest them and bring them to India. India wants to see their faces; India does not want to hear your lecture.

You have said so many things. You have said that black money would be recovered, black money would be distributed and everyone would get Rs. 15 lakh. Where is that black money? You are making speech only. You are delivering speech only. In substance, people of the country want to see them in the Indian jails. They are eagerly waiting and you are not doing anything.

Let me come to clause 7(1) which reads:

“Notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act, where a Director or any other officer authorised by the Director, on the basis of material in his possession, has reason to believe (the reasons for such belief to be recorded in writing), that an individual may be a fugitive economic offender, he may enter any place-- ”

If you say that he may enter any place, it means that this power can be abused for so many reasons, including the political ones. Today, everybody in India knows that the present Central Government is really vindictive and they are exercising the power for political reason to arrest and harass all the political opposition leaders and workers. That is known to everyone. Therefore, this power is capable to be abused. Without framing any guidelines, without having anything like that, can it be done?

Hon. Deputy Speaker, Sir, you have been the Law Minister of your State. You know the substantive law.

HON. DEPUTY SPEAKER: I was a Minister at the Centre during 1998-99.

SHRI KALYAN BANERJEE : Sir, I am very sorry.

Sir, you know the law. Can any law be made which is capable to be abused? If it is capable to be abused, that violates the constitutional provision itself. Sir, you know this.

Sir, now I come to clause 9. This is very interesting.

We know the basic structure of the CrPC. Section 94 of the CrPC 1973 gives the Government the power to search and seizure. What is the minimum requirement? There must be two independent witnesses. Now, you refer to Section 9 here. It says: "If an authority, authorised in this behalf by the Central Government by general or specific order, has reason to believe (the reason for such belief to be recorded in writing) that any person has secreted about his person or anything under his possession, ownership or control, any record or proceeds of crime which may be useful for or relevant to any proceedings under this Act, he may search that person and seize such record or property which

may be useful for or relevant to any proceedings under this Act.” There is no provision in the Bill itself which makes the presence of independent witnesses mandatory when such a search and seizure takes place. You know that many criminal cases have been quashed only on the ground that at the time of search and seizure no independent witness was there. Indian courts have quashed so many cases and so many persons have been acquitted. What is the utility in bringing such type of Bills? Why should there not be a provision for independent witness? Why have you not made this provision in the statute itself? This is one of the main defects in this Bill.

Please refer to Section 12. Only after exercising the power under Section 12, a person can be declared by the special court as a fugitive economic offender. If that is so, how can I read it with Section 4? He may appear to be a fugitive economic offender. I can understand that. A person may be named in the FIR. He may be accused of several things. But till he is convicted, he cannot be said to be a criminal. So, Section 12 and Section 4 are contradictory. I can appreciate the steps that are sought to be taken. But so many defects are there. I do not want to repeat what the hon. Members from Congress, AIADMK, etc. who spoke before me have said.

Let me come to Section 14 which has been referred to repeatedly. It says: “Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, on a declaration of an individual as a fugitive economic offender, any Court or Tribunal in India, in any civil proceedings before it, may disallow such individual from putting forward or defending any civil claim”. I have very limited knowledge of law. ... (*Interruptions*) This cannot sustain for one simple reason. According to

our Indian law, evidence of a criminal court or a judgement of a criminal court has no bearing at all in a civil proceeding or in a civil case. Can it be made applicable? Have you come across a case where an evidence of a criminal case has been relied upon by the civil court? There is not a single case.

They were very badly drafted. Although there is some desire, but the desire to fulfil for whom I do not know. It is because the persons who have committed the crime are merrily enjoying their life, and the Government will never be able to bring them back.

We want to see an effective Finance Minister, if at all. Mr. Goyal, I do not know as to how long you will be the Finance Minister. Of course, in the morning your colleague, Mr. Nitin Gadkari, has said that : वित्त मंत्री हैं अरुण जेटली जी, उन्होंने आपका नाम नहीं लिया था। I do not know as to how long you will remain here, but if you can bring back -- so long as you remain the Finance Minister, within that specified time -- Lalit Modi, Nirav Modi, Vijay Mallya and others to India, then we can appreciate the steps that you have taken. If you cannot do it, then all of us will say that whatever you are doing is an eye-wash and only for delivering speeches. बात करो, बात करो, काम मत करो। This is your policy and this is your principle, and this will be established.

HON. DEPUTY SPEAKER: He is only in-charge Finance Minister.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Sir, the Government is there.

HON. DEPUTY SPEAKER: Yes, it is there.

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Sir, I am grateful to you for giving me the time. I start by supporting the Government's Fugitive Economic Offenders Bill, 2018 to replace the Ordinance of 2018.

I sometimes start wondering whether the Babus and the Parliamentarians have actually kind of merged together and whether there is any difference in the personalities of both these classes. People in office have probably accepted the fact that they wish to be reduced to mere bystanders to the theatrical spectacle that is being put up by the Government machinery in the garb of legislations.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Mind the words, 'theatrical spectacle'!

SHRI TATHAGATA SATPATHY : I guess that our job is to be agile and not to be taken for a ride by the bureaucracy; to be surgical; and to look into the nitty gritty of Bills that come up in the Parliament. So, while trying to be critical, one need not necessarily be negative.

I completely agree with one of the stalwarts of the BJP, one of the speakers here. I understand very little Hindi, but what little broken Hindi I understood, he said that he went out looking for evil one day in the morning -- probably, after his morning walk -- and he did not find any evil. Then he looked inside himself and there was no one more evil than himself. Hear, hear!

Sir, then he went on to say that he had spoken on this Bill earlier when the previous Government that sits on your left side was in power, and he had warned them that such a Bill will put them in a trap. I agree wholeheartedly with this stalwart speaker of the BJP, and repeat his own words to him.

Of course, after the Nirav Modi, Lalit Modi and I am forgetting the names as there are so many of them, the spectacles, the Government had to prove its

money's worth and it is trying to seize the narrative, which is good because nowadays we find this 'narrative' very popular and everybody wants to seize the narrative.

While, *prima facie*, the Fugitive Economic Offenders Bill looks like a strong Act that will scare people from committing crimes. It will also be a measure towards increasing the accountability of offenders. One simply has to read these Acts with a critical lens and understand that it is far from its intentions.

Everything that the Bill talks about, be it confiscation, attachment or absconding - in many shades, sizes and colours – have all been directly covered under the CrPC, the Money Laundering Bill, the SARFAESI Act and so many other existing Acts. That means, it is not that India lacks in regulations and laws. I would request the hon. Finance Minister, since he has such a big machinery at his disposal, to carry out or give an order to carry out a survey as to what is the per capita law we have in India. We should all know how many laws we have per head – every individual Indian – because all that we are doing is passing laws, which do not get implemented at the ground level.

I don't see why there was a need to bring in a new law instead of tackling the lacunae in the present laws. Even if we did require a new law, where does it empower the Government to dispose these properties? Then why was it brought in through an Ordinance process when we knew – everybody knew – that Parliament Session was about to start? That also is done at your behest. When Parliament sits and when Parliament does not sit is also decided at your behest. So, it was for you to decide and to revert to Ordinances. ... (*Interruptions*) It is

up to them to decide when Parliament should sit. So, reverting or applying an Ordinance is probably one of the most undemocratic acts that a Government can do. Only Pakistan, Bangladesh and India - which was united India earlier – in the world have this Ordinance system. So, we should avoid it.

This Ordinance was brought in, in a similar fashion as Aadhar was brought in through the Money Bill route to divert attention, to hoodwink people. Even if there are admittedly loopholes in the present laws, does this new Bill, this new Act, really plug these loopholes? No, it doesn't. For example, the Bill says that it is retrospective in nature. However, there is no mention of how we are proposing to bring these fugitives back to the country and hold them personally liable. The Bill also bars the offenders or any company associated with him from filing or defending a civil claim. But interestingly, and I am sure, the present Finance Minister, Shri Piyush Goyal, who is a very learned Chartered Accountant and is a very highly educated person, knows that it is absolutely silent and is not piercing the corporate veil. If you really want to implement this Bill, you will have to first go through all the corporate laws. The Government should ensure how individual director, shareholder, employee of a particular company is to be treated when this Bill is implemented against a particular company.

We may very well recover the economic losses but what about the deterrent effect? Is it only that people will be cheating, stealing, running away and the Indian system will be chasing after them or are we proposing to have any deterrent that others see as an example and stop doing those wrong things?

The law should not only address offences but also discourage and prevent others from committing the same crimes.

Another ambiguous aspect or idea of this Act where it is unstated whether to seize properties acquired from the Criminal act. Are you going to seize only those properties acquired after the cut off date mentioned in the Criminal Act? Will you be able to seize the property of a director of a company, who you think has defrauded a bank? Are you going to to seize properties created by his father, by his grandfather inherited property because there are many companies in India today, huge corporates which are not created by the present owners?

They had no contribution. They are only sitting on a huge pile of cash. What will they do? Will they take them back? Will they seize the properties of their fathers, who came on a bicycle and built an empire? That is a question which this Government has to answer.

Now, I would come to the proposed Special Courts. My hon. Colleagues had mentioned about this. First of all, do they have the power to extradite? Secondly, can they actually be considered fast track courts? After this Special Court, they have kept the avenues open for the High Courts, the Supreme Court and the whole process. Let us say, they finish this in three to four months' time. Then the case goes to the High Court. What process are you trying to institute by which the whole process, right up to the end, right up to conviction and reassertion, will be a speedy trial? You have nothing of that sort. Therefore, this Special Court will be like a fast track District or Session's Court.

I have a few objections with the provisions of this Bill. Upon declaration that a person is a fugitive economic offender, her or his property can be

confiscated and vested. The provision of selling the property on mere declaration of a person as a fugitive economic offender, without a proper trial, violates the principle of innocent until guilty. This is a point which the floor Leader of the BJD Shri Bhartruhari Mahtab had raised this while the Bill was being introduced. I am also concerned about the unintentional victims and consequences, that is, parties associated with companies, individuals and employees who may not have been a party to the crime or the offence. One has to find a balance in these nuances and not bulldoze anyone who happens to be in the path. The personality of a Corporation would protect, to a great extent, the shareholders and the Director. So, the Indian corporate law provides to its investors, to its promoters and to its shareholders that protection. If they want to break down that sanctity, then do they think that they are actually helping in the path of their stated claim of 'ease of doing business'? Are they scaring people that if I become a defaulter or if I fail in paying back a certain amount of bank loan, I will be persecuted, not prosecuted by this Government? Who will persecute me? I will be persecuted by a mere Deputy Director, a small officer who will be out to settle vendettas, who will be out to settle scores on behalf of somebody or the other? Are they prepared to create an atmosphere of darkness, threat and fear? Or do they want to actually bring about ease of doing business in an atmosphere where there might be some thieves, there might be some cheats? Instead of strengthening the system, by strengthening and bringing in more power to such Acts, are they creating a better India or are they going to create an India that will scare promoters and entrepreneurs away from

India to neighbouring countries? That is a thought that I leave you with. Thank you, Sir.

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE (KALYAN): Thank you Deputy Speaker, Sir.

In the past few years, the economic offences involving thousands of crores of rupees has come to light and many of the offenders have been able to flee the country. These white-collared, organised crime syndicates have looted the country. Big economic scams have weakened the economy. Our banks and especially the public sector banks are literally bleeding. Therefore, to bring these culprits to justice, the need for such a stringent law was felt and I welcome this Bill.

16 00 hrs

I hope it would reduce the time to deliver justice and deter the offenders from looting thousands of crores hard-earned money of ordinary Indian citizens and flee this country. ऐसे भगोड़े अपराधियों को वापस लाने के लिए एक स्पेशल फोरम बनाने का प्रावधान इस कानून में है, जिसके कारण इकोनॉमिक ऑफेंसेज से संबंधित अन्य कानूनों में खामियाँ हैं, जिनके कारण ऐसे अपराधियों को भारत वापस लाने में देश की एजेंसियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसी समस्याएँ इस कानून में कम हैं।

आज हमारी बैंकिंग व्यवस्था की हालत खस्ता है। बैंक्स के एनपीएज लगातार बढ़ रहे हैं। बैंक्स के पास फण्ड्स नहीं हैं। बढ़ते एनपीएज की वजह से बैंक्स नये लोन देने में हिचकिचा रहे हैं, जिसका असर पूरी इकोनॉमी पर हो रहा है। आज माननीय नितिन गडकरी जी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि रोड प्रोजेक्ट्स के लिए बैंक्स लोन नहीं दे पा रही हैं। इसी तरह से इंडस्ट्रीज का कैपेक्स भी रुका हुआ है। CAPEX growth which was 35 per cent in the last decade has come down to 27 per cent in the last year which is the lowest in the entire decade. अगर कोई व्यक्ति किसी बैंक में दस हजार करोड़ रुपये का घोटाला करता है, तो यह उस बैंक तक ही सीमित नहीं रहता है। यह पूरी इकोनॉमी को प्रभावित करता है। Because of this, we are forced to infuse fresh capital in many banks to the tune of Rs. 2.11 lakh

crore. After all, this is the public money. The health of the economy depends on the strong banking system. Therefore, no one will deny the need for the capital infusion in the banking system. Such infusions must be protected from further loot. There have to be certain safeguards. It is important that culprit be brought to justice and that too in the shortest possible time because 'justice delayed is justice denied'.

This Bill is a welcome step in the right direction. It promises to do away with the time-consuming procedure, declaring the person as a fugitive economic offender and confiscating his or her properties. This may give some relief to the banking system because, now, it will take lesser time to recover their dues. However, there are some issues with some of the provisions of the Bill. Investigating agencies have been given the authority to conduct raid without any search warrant. The only belief of the investigating agency is that declaring the offender as fugitive is enough. This is very subjective and it may lead to harassment. यदि किसी को यह लगे कि एक ऑफेंडर को फ्यूजिटिव डिक्लेयर किया जा सकता है, इसके लिए बिना सर्च वारंट के सर्च करने का अधिकार देना गलत होगा। इस अधिकार का गलत इस्तेमाल हो सकता है। It is not a good idea in a democracy. The Government has to be fair to everyone even to the alleged criminal. That is the main pillar of justice in any functioning democracy and India is not an exception. Therefore, there has to be a provision that any search must be supported by a 'Search Warrant' issued by a designated court or a magistrate.

एक चिन्ता का विषय यह भी है कि जिसे फ्यूजिटिव करार दिया गया है, उस इंसान को किसी और सिविल केस को फाइल करने या उस पर किसी ने ऐसा मुकदमा दाखिल किया है, तो उसे डिफेंड करने की पाबंदी लगा दी जाएगी। If such a person is prohibited from filing a civil

case, that may put extra pressure on him to surrender himself. But prohibiting him from defending any other civil claim other than this would not be appropriate. The right to access justice is upheld by the various courts of this country as an integral part of Article 21. Therefore, denying the opportunity to defend anybody in the court of law may lead to violation of Article 21 of the Constitution.

तीसरी अहम बात यह है कि जो प्रॉपर्टी सरकार जब्त करेगी, उसे वह 90 दिनों के बाद डिस्पोज़ ऑफ कर सकती है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीज़र में यह मोहलत छह महीने की है। जब्त की हुई प्रॉपर्टी को डिस्पोज़ ऑफ करने के बाद जो धनराशि सरकार को मिलेगी, वह किस तरह से इस्तेमाल की जाए, इस संबंध में पूरी तरह से स्पष्टता इस बिल में नहीं है। I think the clarity is needed because, under this Bill, once the property is confiscated, it is perpetual unlike in Criminal Procedure Code where there is a provision of returning the property if the absconder returns within two years. Therefore, how the Government is going to use the sale proceeds has to be mentioned clearly.

Lastly, the present Bill addresses the issue of offenders once they become fugitive.

All the provisions are aimed at bringing the fugitive offender home so that the proceedings against him can be started. However, there has to be stringent provisions which prevent economic offenders from leaving the country from under the nose of investigating agencies or the Government of India. Unfortunately, the present Bill fails to address this issue.

आपके माध्यम से मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि इस बिल में सर्च के अधिकार और सेल प्रोसीजर के इस्तेमाल के बारे में जो-जो खामियाँ हैं, उन्हें दूर किया जाए। कोई भी गुनहगार देश छोड़ के न जा पाए, इसके लिए भी कानून बनाया जाए।

With these words, I extend support to this Bill.

SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY (CHEVELLA): Mr. Deputy Speaker, Sir, in a country where there is malnutrition, farmers' suicides, bad infrastructure, an economic offender is not merely an economic offender, he is indeed a criminal. And definitely we cannot allow these guys to run away with thousands of crores of rupees to different countries.

Let me also reiterate why this is important. The banking industry is in bad shape, we know that. Just a few days ago the Government of India has approved Rs.11,300 crore infusion into five PSU banks. And this is only a part of the Rs.2 lakh odd crore that the Government approved in its recapitalisation plan. This is all taxpayers' money and it can be put to good use in education, for unemployed youth, for farmers, etc.

The Indian NPA problem has been getting worse over the last few years. In December 2017, India ranked fifth on the list of countries with the highest NPAs. As on 31st March, the Indian banks' NPAs stood at a staggering Rs.10.25 lakh crore. That is 11.8 per cent of the total loans given by all the banks to everyone in the country. The Bill is required and we support it. However, we must point out that there are several issues in the Bill, some of which are pointed out by eminent Members here who have already spoken.

I will now speak on the legal validity of the Bill, the conflicts and inconsistencies. Does it conflict with the right of a person to defend himself in civil court? Does it violate article 21? These are technical issues. There are eminent Members on both sides of the House and they need to address these technicalities.

I have two significant points. One of them is the threshold of Rs.100 crore which many other eminent Members who spoke before me pointed out. Why Rs.100 crore? Is it like the star batsman scoring a century? What is it? There is a hit Telugu film now called RX100. This 100 now somehow seems to be a very popular number in India. We can argue that it could be Rs.90 crore or Rs.1000 crore. But my point is, why should there be a threshold at all? What about a small farmer who has taken a loan? What about a housewife putting her money in a chit fund and that guy running away? So, I think there should not be a threshold.

My second significant point is, this Bill is not comprehensive. It covers everything but leaves one big blank at the end. That blank is relating to liquidation, sale proceeds and the creditors. This blank could have been easily filled by the provisions in the Insolvency and Bankruptcy Code. Why did the Government leave this blank? What will it do with the money after it seizes it? Is it a mere oversight? With so many eminent people in the Government, I doubt it is a mere oversight. Or, is it that the Government wants to appropriate and take this money for itself? That is very unlikely, Sir.

Does the Government want to treat all creditors of the economic offences as economic offenders themselves? It does happen sometimes that creditors themselves are in collusion with the economic offenders. But not everyone is like that. There are many trusting and honest creditors. Can we call them criminals too? Are they not due for their fair share of money? Should the Government not look into this? What about hundreds of thousands of employees of these companies for whom salaries are due? Why is the Bill silent on these issues?

Take the example of one king and his employees - a king of good times who is happily fishing in a yacht in England. Let us not forget the plight of the Kingfisher Airlines. Does this Bill address the plight of the employees of the glitter and the gold merchant who is hobnobbing with the glitterati in New York? What about his trusting creditors? The Bill is totally blank on this issue. It takes care of one part which will probably help the bankers. It may not even help the bankers if the Government keeps the money for itself.

In Chapter 2, point 4(1) says that "...where the Director or any other officer not below the rank of Deputy director authorised by the Director for the purpose of this section has reasons to believe that he is an economic offender, he can file an application." At what point of time will he decide that this particular person is an economic offender? Is it when he does the first default, when he repeats the default, when his cheque is bounced or when he has given a collateral which is over-valued and actually it is of small value?

Let us assume that a person has been declared an economic offender. He may simply be a businessman who has defaulted once or twice and he is travelling abroad; he is not running away. In his absence in India, he is declared an economic offender. He comes back to India. Can his properties be sieged? Can he be denied the access to a civil court?

The next point is even worse. Let us assume a person is a true economic offender. The minute he is declared an economic offender, he comes back to India. According to this Bill, the day he comes back to India, he ceases to be an economic offender and he has access to a web of legal cases and civil suits which can run into decades. So, he is well-protected for decades. So, a real

economic offender, if he is a smart guy, should run back to India the minute he is declared an economic offender, file 20 cases and ask his own children and partners to file cases against him. There will be a web of legal cases which will run and protect him for years to come.

Lastly, we need to support our banks in getting the money back. We actually support them but we also request the Minister to look into this. At the same time, I would request the banks to be kind to the small borrowers. While we are trying to help the banks, they should also help the small farmers; they are being very strict on farmers.

In our State, we are giving Rs. 4000 twice a year for every acre of land, putting Rs. 12500 crores into the scheme for covering 58 lakh farmers. About 50 lakh farmer families are covered under life insurance schemes by LIC and everything is paid by the State Government. So, I think these are the things we need to look into. We do support the Bill but there are definitely lacunae in the Bill that need to be covered.

SHRI M. B. RAJESH (PALAKKAD): Hon. Deputy Speaker Sir, at the outset let me make it clear that my party CPI(M) demands strong action against fugitive economic offenders and supports all measures if they are sincere and not a mere eyewash. After wasting four and a half years, this Government has come out with a Bill with many controversial and inconsistent provisions. Many of our colleagues who are senior lawyers and legal experts have already explained the contradictions and controversial provisions in this Bill.

This is an eye wash. It is not sure whether most of the provisions of this Bill would survive a legal scrutiny by a court of law. What is lacking is not a Bill but political will. It is not a question of a Bill but a question of will. This Government clearly lacks a political will to strongly deal with fugitive economic offenders and also to fight corruption and loot of the country.

In the same month of April, when this Ordinance was promulgated three more economic offenders left the country including the promoters of SRS Bank. So, this Government allowed them to flee. The Government announced much earlier that it was going to bring such a Bill and whoever wanted to leave the country could leave immediately.

In 2013, during the campaign in the campaign trail of the Lok Sabha elections, the then Gujarat Chief Minister said that he did not want to be the Prime Minister but rather he wanted to be a *chowkidar*. He got an opportunity to act both as Prime Minister and as *chowkidar*, as he wished, but unfortunately he slept – or pretended so – in the last four and a half years to facilitate the safe passage of 31 economic offenders. It was admitted by the Minister of State in the Ministry of External Affairs in this very same House that 31 economic

offenders had left the country since this Government came to power. What does it mean? It means that this Government facilitated safe passage to economic offenders because most of them are their cronies. The relationship between them and this Government is much deeper than a mere similarity in surnames. It is not a mere similarity of surnames.

The Finance Minister has introduced this Bill. Let him kindly tell us what prevented the Government from recovering the money from these fugitive economic offenders who left the country? What prevented you? It was not lack of a Bill but it was the lack of will. You have not shown a strong will despite boasting of a 56-inch chest.

Shri Vijay Mallya left the country on 2nd March, 2016. The Finance Minister, not Shri Piyush Goyal but Shri Arun Jaitley gave a reply. ...
(Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: He is still the Finance Minister.

... *(Interruptions)*

SHRI M. B. RAJESH : He gave a reply in the Rajya Sabha on the 17th March, 2017 that an amount of Rs. 8,040 crore had been declared as NPA and the amount recovered was a mere Rs. 155 crore. What have you done for recovering the loan amounts? An auction to recover the Mumbai house of Kingfisher failed seven times. Can you imagine this? Can you think that this would happen without any collusion with this Government and with the authorities? Finally, on 19th March, 2018, the consortium of 17 public sector banks halved the reserve price from Rs. 150 crore to Rs. 75 crore. The reserve price was drastically reduced by 50 per cent. Can you imagine why and how this

is happening and whether those who were in power are not responsible for this? I would like to ask the Minister where the will of the Government is.

Again, on 7th February, according to a report of PTI the Finance Ministry replied to an RTI application that it does not have information about loans given to industrialist Vijay Mallya. This was a reply given by the Finance Ministry to an RTI application. I am quoting from a PTI report. The Chief Information Commissioner pulled up the Government for this reply and the CIC said: "The Government's response is vague and not sustainable as per law."

This means that you are giving replies which are vague and not sustainable as per law. Probably that can be the reason why this Government is in a hurry to bring an amendment to dilute the RTI Act. The Government is fed up with this Information Commission.

Provisions of this Bill will be attracted only if the total value of the offence amounts to Rs.100 crore. What does it mean? You can commit an offence which amounts to Rs.99 crore and you can safely leave the country. Is it not? Many transactions or many offences which are just below Rs.100 crore will be omitted from the purview of this Bill. Is it not to help or to leave out a large number of offenders?

This is inconsistent with the Prevention of Money Laundering Acts wherein the threshold is Rs.1 crore. The threshold in that case is Rs.1 crore and here it is Rs.100 crore. By keeping the threshold of Rs.100 crore a large number of offences or transactions will be omitted.

Sir, the economic offenders are the main generators of black money in our country. Everybody knows it. This Government started with huge promises and

talks about the crusade which is going to be started against black money. The black money was the campaign material for the entire previous Lok Sabha elections. You have been in power for the last four-and-a-half years. What have you done to prevent the generation of black money?

The recently released report of the Swiss Bank has revealed that the deposits by Indians in Swiss Bank have increased by 50 per cent in the last one year even after your so-called crusade against black money and demonetisation.

I support all actions against fugitive economic offenders, against looting of the country, against corruption, including this Bill but I would like to challenge the Finance Minister and this Government to show a strong will and not mere eyewash and lip service. With these words I conclude. Thank you.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, I stand on behalf of my Party to participate in this very-very important debate. I would thank the hon. Finance Minister for bringing in this Bill because I think the entire nation is exceptionally anxious. I really thought this debate would have been about what next for India. Personally, I am a little disappointed with the whole speech which came from the Treasury only for the reason that I think there are some legislations where we all have to rise above politics. Nobody can change what has happened but the future that we are leaving for our children, we can definitely change. So, why can we not sit and have a very larger than life approach to some debates, like we had a very good debate on Education yesterday? Everybody agreed on that. So, why cannot we take this opportunity to really bring in the change? It does not matter which regime brings it because eventually my mother, my country is going to benefit from this change.

There has been a lot of speculation about what value this is going to add. India has had a tradition of very-very good legislation but there are always exceptionally bright lawyers in this country and abroad who find ways to punch holes into all these great legislations where so many intelligent minds put things to it.

I would like to bring to the notice of the hon. Finance Minister, if he could kindly explain in his reply, that at Section 14, which seems to be a concern for everybody, it says:

“On a declaration of an individual as a fugitive economic offender, any Court or tribunal in India, in any civil proceeding before it, may, disallow such individual from putting forward or defending any civil claim.”

Sir, now, if this goes into an international court where the fugitive is abroad and if he is going to get a battery of lawyers abroad who are exceptionally good at international laws, does this stand in international law? It is because it is going to be about human rights and civil rights. Then, does this Government guarantee us or explain to us, at length, how will this stand in the international court?

The other issue which is really of concern to me is this. In this entire debate, there has been a talk about confiscation before he is guilty. We are a vibrant democracy and we take pride in our Constitution. Everybody has a right. I will give you a little example with your permission. I will mention here the citizens' rights, that is, Article 14 and Article 20. I am giving you an example. A friend of mine, Shrimati Kanimozhi, was in that 2G scam. It was an allegation. She was in jail for six months. What emotional trauma she must have gone through? I have seen her closely. This is just an isolated example because I know it eventually. There are hundreds of people like this. So, what we really need to also address is see the flip side as to why people are leaving this country and as to why there is a fugitive. Why are we not looking at that also as a picture? Is it because they are scared that they will not get bail? In Kanimozhi's case, she was in for seven months. I have seen the trauma of the entire family, including her little child.

HON. DEPUTY SPEAKER: Do not mention the individual's case here? That case is in appeal. Therefore, do not bring that case.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE : But, there was acquittal after that.

HON. DEPUTY SPEAKER: The matter is in the court of appeal. Do not bring those things. It is not a matter of discussion here.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE : Then, who is accountable for that? Who will be accountable? Suppose today the Government says that somebody is a fugitive and he is proved innocent, then what will happen to his property? The Government has sold his property. What is the Government planning to do? The interest is just not bringing the fugitive back. What about the rights of hundreds and thousands of workers who suffer? Today, Nirav Modi may be sitting wherever in the world he is. But, the point is that there are millions of families who do not have salaries. So, what is the redressal system that we are going to give to protect them? His children may be going to fancy school in New York. But, what about his employees who are all sitting in jail today. Their fees are not getting paid, their parents are going every day to a lawyer and to several courts. What about justice for all them? So, I think, we really need to look at it largely.

We have many legislations. I will give you an example for what this entire Bill has come. We support the Bill. But, my whole point is that the Criminal Procedure Code already provides absconding without distinction of overseas and within India. It provides attachment, sale and confiscation of properties. The hon. Finance Minister could kindly explain to us as to what this Bill is going to do more for us. I am not against legislation. We are very happy if there is a stronger legislation to stop corruption and all these wrong things that are happening. But, what are we doing through this Bill for making sure that this does not happen in

our country? What interventions are we making to improve our banking system that this does not happen again?

To give an example, at length, the Treasury Bench Speaker, Mr. Dubey spoke about Nirav Modi. Now, Sir, look at the thing. It does not matter which regime. Two wrongs do not make a right. So, suppose he has said that there are allegations involving customers. Customer is a king. Nobody knew that Nirav Modi was taking this country for a ride. How can you hold those customers? That is one point.

The second point that I would like to ask is this. He was raided in the year 2015 for the first time. ... (*Interruptions*) That can be objectionable. We are talking about black money. ... (*Interruptions*) You also talk about this. ... (*Interruptions*) In January, 2015, he was raided for the first time. The DRI asked him for 40 crores of amount. He paid Rs. 48 crores. Who pays extra? Sir, it sounds illogical. He was raided for the second time in January, 2017. He left this country in January, 2018. So, what transpired in those 365 days none of us are aware of. The fact is that he was raided in January, 2017. I do not have the exact date. But, that is roughly the period. In that entire 12-month process, what was happening? I brought this up because this came in the Treasury speech. My intention is not about Nirav Modi. My concern is how the banking system is going to improve and that this does not happen again and what happened to those poor people who worked for them and do not get their salaries in time.

Another question which I think, very rightly brought up by you is re-selling of all the assets. So, if the Central Government is going to keep all the assets, how the disbursement will be done? How are they going to sell it? Suppose

there is a land. Land is a State subject. You constantly talk about cooperative federalism. Land is a State subject. So, what is the via-media mechanism that the hon. Finance Minister is going to find that the State and the Government work together in selling all these assets? What is that redressal system for the common man?

Suppose I work for Nirav Modi and he runs away. Now how do I turn to say that my salary of six months has not come. What is the system for that? They are really the people who are suffering and they are looking for help. So it is really critical that today the poor people who are suffering need help because they are completely lost.

I will give you another example which is not about fugitive but it is of my own constituency where Mr. Goyal and me come from. It is about DSK. I must have heard about it. Millions of old people put their money into the scheme for good homes. Now that man has gone bankrupt and he is in jail. Now all the people are suffering because they do not know whom to turn to. It was an incomplete project. All their savings of 40 years were put into this project. What would happen to those people? How do we give them their rights which they are asking for? That is the solution this country is looking for.

I think even what Mr. Premachandran said is so true. Do we really need one more Bill? Why do we not strengthen our external affairs? How many people have we managed to bring back? Deportation is an option. His extradition is one option. So, why are we wasting our energy on bringing one more Bill? If it is flawless, we are very happy and we would support it. It is better if it is flawless. The reply which the Government has given to me on 18th

December, 2015 – which is a little surprising – says that the economic offence cases are reducing in this country. What is even more surprising in the second part of the reply is that the Reserve Bank of India has informed that they do not have any specific information on economic offences. However, RBI collates information on fraud cases of Rs.1 lakh and above reported to the banks. If the RBI is going to take this approach, how is it going to work?

We talk about Rs.100 crore. Rupees one hundred crore is such a big amount. Today, if you go to any small cooperative bank where a poor farmer goes, you do not even pay Rs.2000 to him. He is under such duress. Why are we not doing it? It is not because he wants to not pay back the money. It is because he does not get Minimum Support Price. Then what does the Government do? It is the story of the Government of Maharashtra. They cut electricity. If you cut electricity of a poor farmer who is under distress and who barely has Rs.5000, what is he going to do? Are you going to cut the electricity of Nirav Modi's house? So, it is illogical. You look at the magnitude. Rupees hundred crore is such a big amount for our country. So, why is it kept as Rs.100 crore? Could the hon. Finance Minister explain it?

Then demonetization happened. They talked about bringing back black money. How much black money really came in because of demonetization? Do we have the numbers? The Government says that they are still counting. What was the outcome of doing demonetization? Mr. Dubey even talked about Swiss Bank. He also talked about hundred other things. I am glad that they are bringing them to the table. But how much money has come back? I would like to quote the hon. Prime Minister. He had come to my constituency and made a

speech that he will put Rs.15 lakh in everybody's account. I am also waiting for Rs.15 lakh for the last four and a half years. Then the leader of their Party said that it was a *chunavi jumla*. So are you really committed or not?

These are very serious issues. We are not talking about politics. This is about our country's economy. Is this what we are going to leave to our next generation? Let us check the numbers of our social sector. Do we have enough money to make sure anaemia is eradicated? Do we have enough money to make sure there is no malnourished child in this country? Should that not be aspiration of India? Is this not aspirational India today working hard and trying to change the world? It is because we want to be a G-8 country. We do not want to be a Third World country. But with this kind of intervention, how will we achieve that? So, what are we going to do to improve the situation? Just a legislation is not going to solve the problem or bringing that person back will not solve the problem. I think we really need to be committed to having a fair and a transparent system. Please believe me that nobody is going to object to it.

The GST was unanimously passed. Why was it passed? We had differences. We thought it was brought in a hurry but everybody voted with the Government because it was in the interest of my nation. That is why, every Indian thought it is right.

So, I urge the hon. Finance Minister to please re-think. Do we really need this Bill? Is it flawless? Is it really going to change the future of our children? We need to know this. All these properties that you are going to bring, are you going to get committedly all the amount for that? Is it really justice? A human

being, whichever one, is always innocent till he is proved guilty. So let us not take away the rights of any human being.

We do not need another Chaggan Bhujbal who was again put in court. That is why fear comes in. Shri Bhujbal was put under the PMLA for two and a half years, even when MOCCA and TADA was in force in India which was for six months or five months, but under PMLA for an economic offence which was not even proved. So, there are exceptional cases. We really need to put our minds. There are so many intelligent minds amongst us to have a fair, just system. We have a Judiciary in our country. Let us put systems in place which are fair and just and protect every civil right of every Indian today which the Constitution has given us.

Thank you.

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 'भाग गया, पैसे लेकर भाग गया, हजारों-करोड़ों रुपये लेकर भाग गया, हिन्दुस्तान से भाग गया' और उसके बाद हम क्या करेंगे मैं यहाँ बैठे-बैठे दोनों साइड की बातें सुन रहा हूँ और कंप्यूज हो गया हूँ, क्योंकि जिसके कारण लोग भागे, जिसने पैसा लूटा दिया, हिन्दुस्तान के लोगों का पैसा लूटा दिया, साढ़े पाँच लाख करोड़ रुपये का एन.पी.ए. हुआ, वह लूटा दिया गया। जिनके रिज़िम में यह पैसा लूटा दिया गया, आज वे चिंता कर रहे हैं कि उन गरीबों का क्या होगा।

16 37 hrs

(Shri Hukmdeo Narayan Yadav *in the Chair*)

जो सोने-चाँदी के जेवरात ले गया, उसका क्या होगा? आप नीरव मोदी की दुकान बंद कर देंगे तो उसकी दुकान में आने वाले लोगों का क्या होगा? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम चर्चा किस बात की कर रहे हैं। क्या बैंक में एन.पी.ए. नहीं है, क्या बैंक में विलफुल डिफाल्टर नहीं है, क्या बैंक के पैसे का साइफनिंग नहीं हुआ है, क्या बैंकों की एसेट बाहर नहीं गई है, क्या बेनामी फॉर्जरी पैसा नहीं हुआ है? अगर हुआ है या यह बिल निकम्मा है। यह बिल श्री पीयूष गोयल तथा श्री अरुण जेटली जी को कुछ नहीं समझता है, यह समस्या है या नहीं? मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ बोलने के लिए एक के बाद एक वकील खड़े हो रहे हैं, वकील किसकी वकालत कर रहे हैं? यह बिल मत लाइए; नहीं लाएंगे, फिर क्या लाए? जो भाग गए, उनकी प्रॉपर्टी यहाँ कैसे जब्त करें? सुप्रीम कोर्ट जो चिंता व्यक्त कर रही है, उसको क्या जवाब दें? जो एक के बाद एक भाग गए थे, अगर आप सजेस्ट करती कि सेक्शन 2ए को 3ए बनाकर लिखिए। अगर आप यह कहती कि इसके बदले में इस प्रकार का कानून लाइए, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि समस्या ही नहीं है? मेरी ताई, मुझे क्षमा कीजिए। डी.एस.कुलकर्णी के मामले में एकमात्र डॉ. किरीट सोमैया मैदान में उतरा था तो ये सभी लोग चुप बैठे थे। जब बारह हजार पाँच सौ सीनियर सिटीजन को लेकर डॉ. किरीट सोमैया माननीय वित्त मंत्री जी के पास गए थे तो पुणे जिले के रिप्रजेंटेटिव कहाँ गए थे? तब उनको इन वृद्धों की चिंता नहीं हो रही थी, तब उनकी तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी। सिर्फ एक बार स्टेटमेंट आया था, जब डी.एस.कुलकर्णी का पूरा परिवार जेल में छह महीने के लिए गया था। उनको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट

सभी ने मिलकर जेल भेजा था। उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र के चेयरमैन और अधिकारी को पकड़ा गया, तब स्टेटमेंट आया था।

आज इस प्रकार से लोग भागे जा रहे हैं, लाखों-करोड़ों रुपये लेकर चले गए, तब ये लोग क्या कर रहे थे, तब ये लोग पैसे लूटा रहे थे। वहाँ पर पैसा लूटाने का काम चल रहा था और अब मोदी सरकार कह रही है कि एक-एक को पकड़ कर लाएंगे, एक-एक पैसा वसूल करेंगे।

अब इनको चिंता हो रही है। ये कह रहे हैं कि यह कानून क्यों ला रहे हो? हम दीनदयाल उपाध्याय जी के शिष्य हैं। दीनदयाल जी ने कहा था कि

“जो राह की डर बताकर न चलने की सलाह देते हैं, उनकी मत सुनो,
हमें अपनी राह खुद बनानी होगी, हम जिस ओर चलेंगे, वही रास्ता होगा।”

हम यह भगोड़ा बिल लाएंगे और सिर्फ बिल ही नहीं लाएंगे, बल्कि एक-एक बदमाश जो भाग गए, उनको वापस पकड़कर हिंदुस्तान में लेकर आएंगे। आपने सिर्फ एक ही उपमुख्यमंत्री का नाम लिया। माननीय नरेन्द्र मोदी जी के राज में 6 पूर्व मुख्यमंत्री जेल में गए। क्या उन्हें किरीट सोमैया ने भेजा, पीयूष गोयल ने भेजा, रविशंकर प्रसाद ने भेजा? उन्हें कोर्ट ने जेल भेजा है। मुझे समझ में नहीं आता है कि पार्लियामेंट सर्वोच्च स्थान है और वहां पर एक भ्रष्टाचारी का नाम लेकर पक्ष लेते हैं। वे हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में चार बार गए। कोर्ट ने उनको ढाई साल जेल में रखा। अब पार्लियामेंट में आकर सुप्रीम कोर्ट और जो इनवेस्टिगेशन एजेंसी है, जो आफिसर्स काम कर रहे हैं, उनके ऊपर उंगली रख दी। हां, हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की है। डी.एस.कुलकर्णी जैसे जो भी लोग हैं, उनको जेल में जाना पड़ेगा। सीनियर सिटीजन डिपोजिटर्स का पैसा सुरक्षित करने के लिए कल ही माननीय पीयूष गोयल जी, मोदी सरकार ने जो एंटी पॉन्जी बिल इंट्रोड्यूस किया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ और उनको बधाई देता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, यह बलि क्या है? ऐसे अनेक दृष्टांत हमारे सामने आए हैं कि अपराधी दाण्डिक कार्रवाई के आरम्भ होने के बाद, कभी-कभी ऐसी कार्रवाई के लम्बन दौरान भारतीय न्यायालयों की अधिकारिता से पलायन कर गया। इस प्रकार से जो पलायन करके जाते हैं, उनके बारे में हम नया कानून लाते हैं, तो उस कानून में जो त्रुटियां और कमियां हों, उनके बारे में

आप जरूर कहें। भारत सरकार, मोदी सरकार इसका जरूर स्वागत करेगी। लेकिन चर्चा क्या हो रही है, बिल इल्लीगल है, बिल कोर्ट में स्टैंड नहीं होगा, इसकी एप्लिकेबिलिटी कैसे होगी, पाकिस्तान के सिवाय कोई दूसरा देश इसको लागू ही नहीं करेगा। क्या-क्या चिंतायें व्यक्त हो रही हैं? आप इसकी प्रॉपर्टी कैसे जब्त करोगे, आप प्रॉपर्टी जब्त करोगे तो बेचोगे कैसे, बेचने के बाद जो पैसा आएगा, तो वह जाएगा कहां और पैसा अगर आप दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उस कंपनी में काम करने वाले कामगार का क्या होगा? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। वक्ता यहां से बोलते हैं कि आपका बिल इल्लीगल है। साथ में दूसरी ओर कहते हैं कि आपने सिर्फ 100 करोड़ रुपये क्यों रखे? आप 100 करोड़ से नीचे वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि यह बिल बेकार है, यह बिल गैरकानूनी है, यह बिल चलेगा नहीं और साथ में बोलते हैं कि 100 करोड़ से नीचे वाले पर भी, जो बिजली चुराता है, उस पर भी इसे लागू करिए। इसे हमारे वित्त मंत्री देखेंगे। हम बदला लेने जा रहे हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि is it prosecution or persecution? It is prosecution and persecution also. हम बदला लेने जा रहे हैं, जिन्होंने देश को लूटा है, उनसे हम बदला लेने जा रहे हैं और हम उनसे बदला लेकर रहेंगे। 10 हजार करोड़, 12 हजार करोड़, 25 हजार करोड़ रुपये लूट कर ले गए। अगर वह पैसा बैंक में रहता, तो वह गरीबों के घर के लिए काम में आता, किसानों को देने के लिए काम में आता। यह पैसा अगर हमारे पास रहता, तो वह ग्राम सड़क योजना से लेकर "आयुष्मान भारत" योजना को अच्छी तरह से लागू करने के काम में आता।

मैं सबसे बड़े विरोधी दल के वक्ता का भाषण सुन रहा था। मैंने उनका पूरा भाषण देखा लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि वह क्या भाषण कर रहे हैं। समस्या है, तो है, उनका भाषण यही है कि यह बिल इल्लीगल है। ये लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस प्रकार के लोगों की वकालत करते हैं। मुझे पता है, सारे देश को पता है। अगर यहां उनकी वकालत करेंगे तो कैसे चलेगा?

सभापति महोदय, मैं तीन-चार उदाहरण देना चाहता हूं। हम डरने वाले नहीं हैं। डिमोनिटाइजेशन और जीएसटी के समय भी इसी प्रकार की चिंता लोक सभा और राज्य सभा में दिखाई गई थी। विरोधी पक्षों ने कहा था कि अब देश का जीडीपी तीन प्रतिशत हो जाएगा, चार प्रतिशत हो जाएगा और बेरोजगारी बढ़ जाएगी। ये सारे भाषण यहीं हुए हैं। आज जीडीपी की ग्रोथ क्या

है? वर्ल्ड बैंक ने घोषणा की कि भारत विश्व की छठी लार्जस्ट इकोनॉमी बन गया है। उसी रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि जब देश आजादी की का 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, In 2022, India will be the fifth largest economy of the world and in 2027, India will be the third largest economy of the world. जब देश अपनी आजादी का 100वाँ वर्ष, 2047 मना रहा होगा, उस समय India will be the first largest economy of the world. आप डिमोनिटाइजेशन और जीएसटी के बारे में कह रहे थे। आज जीएसटी का एक्जिक्यूशन हो गया। इसमें सभी राज्य सहभागी हो रहे हैं। 95,000 करोड़ रुपये से ज्यादा रेवेन्यू आया है, कुछ महीने में यह एक लाख करोड़ रुपये क्रॉस कर जाएगा। If there is a will, there is a way. हमारे पास विल है, प्रधान मंत्री जी में हिम्मत है। हम कानून लेकर आए हैं, यदि कुछ त्रुटियाँ हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट सजेशन देगी तो सरकार के मंत्री उस संबंध में सोचेंगे। हम डर से कुछ कदम ही न उठाएँ, तब क्या होगा?

मुझे याद है, पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्ष 1998 में आई। मैं वर्ष 1999 में सदन में था। यूनिट 64, यूएस-64 यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा घोटाला हुआ। उसके पहले भाजपा की सरकार ही नहीं थी। यूएस-64 यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का घोटाला किसने किया था? वर्ष 2004 से 2014 तक दस वर्षों में बैंकों के पैसे लूटा दिए। उसी प्रकार से वर्ष 1989 से 1998 तक इसी प्रकार से यूटीआई के पैसे लूटा दिए थे। उस समय यूएस-64 दस रुपये का था, उसकी मार्केट वैल्यू चौदह रुपये थी, उसका उस समय वैल्यूएशन 5.75 हो गया था। आप भी उस समय सदन में थे। If there is a will, there is a way. यूटीआई डूब गई।

माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिम्मत के साथ निर्णय लिया कि हम यूटीआई को डूबने नहीं देंगे। भारत सरकार ने एक स्कीम बनाई, शांता कुमार जी उस समय में थे। सरकार ने स्कीम बनाई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को पैसे दिए। सभी यूनिटधारकों को दस रुपये जो उसकी मूल वैल्यू थी, उसे देने का निर्णय लिया। जो पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया, वह छह-सात सालों के बाद वापस मिल गया। उस समय की सरकार ने यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को लूटा दिया था, हमने उसे वापस सक्षम किया। वर्ष 2004 से 2014 तक बैंकों को लूटा दिया, बैंकों को सक्षम करने का

काम माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी की सरकार कर रही है, हमें उसका अभिमान है। मैं एक-दो उदाहरण देना चाहूंगा।

मैं आपके सामने दो उदाहरण रखना चाहता हूँ why such type of act is needed? अभी मेरे सामने एक कंपनी का उदाहरण आया, व्हिसल ब्लोअर ने सूचना भेजी है, I passed it on to the Ministry. 11,000 करोड़ रुपए का एनपीए है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने थाईलैण्ड में अपनी एक सब्सिडरी ओपन की और उस कंपनी में यहां का जितना भी बिजनेस था, उस सब्सिडरी में ट्रांसफर कर दिया। यहां जो प्रमोटर है, उसकी वहां भी शेयर होल्डिंग है। यहां के एसेट्स इटली की दो कंपनियों में ट्रांसफर कर दिए, वह भी इन्होंने ही खोली, पैरलल कंपनियां खोलीं। आज इस कंपनी का 8,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर 1,500 करोड़ रुपए से नीचे चला गया, बैंकों के पास एक दमड़ी वापस नहीं आ रही है। इस तरह के अनेक गैमन इंडिया जैसे उदाहरण होंगे।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, कुछ एक्सपर्ट्स मेरे ध्यान में एक बात लाए हैं कि इसके साथ एक और बिल लाना पड़ेगा। यहां से सब्सिडरी वहां बना देते हैं, वहां एसेट्स ट्रांसफर हो जाए, क्या इसके लिए मिनिस्ट्री कुछ होमवर्क कर रही है? इस पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा।

अंत में, मैं इतना ही कहूंगा कि इस सरकार में हिम्मत है। सरकार ने प्रयास किया है और एफआरडीआई बिल लाई है। यह सरकार जन भावनाओं की कद्र कर रही है। हम पैसा इन लोगों से वसूल करेंगे जो भाग गए हैं। सीनियर सिटिजन का भी डिपोजिट है, जिन लोगों के मन में डर पैदा हुआ है, सरकार उस पर भी पुनर्विचार कर रही है। यह सरकार पोंजी के खिलाफ बिल लाई है।

मैं माननीय मंत्री से कहना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है। आप आगे बढ़िए, इन सबको पकड़कर वापस लाइए और पैसा जमा करके जनता की सेवा में पैसा हाजिर करिए।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I rise to deal with the legislation preceded by the ordinance under the nomenclature 'Fugitive Economic Offenders Bill'. माननीय किरीट जी बहुत अच्छा भाषण दे रहे थे। मेरे पुराने साथी हैं। मैं उनकी बात बहुत गौर से, ध्यान से सुन रहा था। हमें मोदी सरकार से बेतहाशा उम्मीद थी कि बाहर से कालाधन हिंदुस्तान में वापस आएगा और हिंदुस्तान के आम, गरीब लोगों में कालाधन बांटा जाएगा। एक-एक व्यक्ति को 15 लाख रुपए मिलेंगे, यह मैं नहीं बल्कि आपकी सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी का खुद का बयान था। उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों के सामने अपनी बात रखी थी, वह प्रतिबद्ध थे। हमें चार साल बाद क्या देखने को मिला? 15 लाख के बजाय अगर 15 पैसे या चवन्नी मिलती तो भी मैं समझता कि कुछ तो हुआ है, लेकिन कुछ नहीं हुआ, सिर्फ भाषण ही भाषण रह गया और राशन की झोली खाली रह गई। आपकी हर कवायद पर हम शंका जताते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हम विरोध करते हैं। यहां फ्यूजीटिव ओफेंडर बिल लाया गया है, हम इसका प्रिंसीपली विरोध नहीं करते हैं, इसके इंटेंट पर विरोध नहीं है। इसे और दुरस्त करने के लिए सिर्फ नसीहत देते हैं, सलाह देते हैं, हमें लगता है कि इस तरह की कमियां रहेंगी तो बिल में दम नहीं रहेगा। लेजिसलेशन का जो असली दम होता है, उसमें खामियां रह जाएंगी। वर्ष 2017-18 में इकोनामिक ओफेंडर्स लेजिसलेशन को प्रपोज किया गया था। अब एक साल बाद क्यों आर्डिनेंस लाना पड़ा? इतनी जल्दबाजी क्यों है? Why are you going in a haste? बैकग्राउंड यह है कि कुछ ट्रिगर है, वह क्या है, ट्रिगर है नीरव मोदी और मेहुल चौकसी का पलायन। आप इसे नहीं मानेंगे, आपको सत्य स्वीकार करना होगा। आप सत्य को नहीं मानेंगे तो अलग बात है।

लेकिन ट्रिगर यही है, क्योंकि आप देखते थे कि पूरे देश में माहौल गरमा गया है। जिस तरीके से एक के बाद एक, विजय माल्या से लेकर ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी आदि सभी लोग एक के बाद एक पलायन कर रहे हैं, यह किसके जमाने में हुआ है? यह आपके जमाने में हुआ है। क्या आप इसे नकार सकते हैं? हां को हां कहिए और न को न कहिए। किसी की पुरानी गलती हो सकती है, मैं इसे नहीं नकारता हूँ, लेकिन एक के बाद एक जिस तरीके से हिन्दुस्तान से इन लोगों का पलायन हुआ है, वे सभी क्यों भाग रहे हैं? किरीट सोमैया जी, अब आप भी सदन से पलायन कर रहे

हैं...(व्यवधान) एक के बाद एक जिस तरीके से यहां से पलायन हुए हैं, उसके बाद आम लोगों के अंदर एक एजिटेशन और खौफ पैदा हुआ था। उसके ऊपर पानी फेंकने के लिए यह आर्डिनेंस लाया गया और यह फ्युजिटिव ऑफेंडर्स बिल लाया गया। मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूँ। It is a deflective strategy to hoodwink the common people in order to display the greed and gumption of the present Government that they are strict enough to enforce some sorts of stringent measures in order to restrict the escape of those fraudulent billionaire people of our country.

This was the trigger; and the escape of Nirav Modi and Mehul Choksi from this country had compelled them to do something in order to mollify the grievance of the common people. मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि समय कम है। मैं सिर्फ एक बात गोयल जी से कहना चाहता हूँ। बंगाल में एक कहावत है कि चोर भागने के बाद दिमाग खुलता है। ...(व्यवधान) In English, it means that 'you are just going to close the stable door after the horse has bolted.' हमारे गांव में एक चिड़िया है, उसका नाम है कोयला। उस कोयल को मैंने पिजड़े में रखा। वह कोयल एक दिन पिजड़े से भाग गई तो जब कोयल भागी, तब गोयल जी जागे। यह बात ऐसी ही हुई कि कोयल भागी और गोयल जी जागे। अभी गोयल जी के सिर पर बैठकर यह सरकार एक कानूनी कार्रवाई करना चाहती है और दिखाना चाहती है कि देखो, इन सभी को पकड़ने के लिए यह सरकार कितना स्ट्रिक्ट कानून लाई है।

अभी किरीट सोमैया जी बोल रहे थे कि हम वर्ल्ड में सिक्स्थ पोजीशन में आ गए हैं। हम दुनिया में सिक्स्थ लार्जस्ट इकोनोमी बन गए हैं। मुझे भी गर्व होता है। यह सही बात है कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि हम सिक्स्थ लार्जस्ट इकोनोमी बन चुके हैं। हम सिक्स्थ लार्जस्ट इकोनोमी फ्रांस की जगह ले रहे हैं। यह बड़ी अच्छी बात है, मैं इससे गर्व महसूस करता हूँ। लेकिन फ्रांस की आबादी की तुलना में हमारी आबादी 19 टाइम्स ज्यादा है। हमारी आबादी फ्रांस से 19 टाइम्स ज्यादा है। आज हमारी सेहत के लिए यह सरकार मात्र 1.02 प्रतिशत खर्च करती है। हमारे यहां पर-कैपिटा रोजगार क्या है? हमारे यहां पर-कैपिटा रोजगार पूरे साउथ-ईस्ट एशिया में सबसे कम है। हमारा एक्सपोर्ट घट

रहा है, हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है और हमारे फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट में कमी हो रही है। मैं गोयल साहब से यह पूछना चाहता हूँ कि वर्ष 2014 से वर्ष 2018 तक, इन चार सालों में एनपीए में कितनी बढ़ोत्तरी हुई है और वह कितनी राशि को लाने में कामयाब हुए हैं? इसके बारे में जानकारी दें। पूर्वजों ने क्या किया, इसका बहाना देकर आप अपनी खामियों को नजरअंदाज करने की कोशिश न करें। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि दो-चार चीजें बड़ी आपत्तिजनक हैं, जैसे हमारा आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14, राइट टू इक्वैलिटी, राइट टू लाइफ और राइट टू एक्सेस टू जूडिशियरी आदि बड़ी फण्डामेंटल चीजें हैं।

हमारे यहां पर-कैपिटा रोजगार पूरे साउथ-ईस्ट एशिया में सबसे कम है। हमारा एक्सपोर्ट घट रहा है, हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है और हमारे फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट में कमी हो रही है। मैं गोयल साहब से यह पूछना चाहता हूँ कि वर्ष 2014 से वर्ष 2018 तक, इन चार सालों में एनपीए में कितनी बढ़ोत्तरी हुई है और वह कितनी राशि को लाने में कामयाब हुए हैं? इसके बारे में जानकारी दें। पूर्वजों ने क्या किया, इसका बहाना देकर आप अपनी खामियों को नजरअंदाज करने की कोशिश न करें। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि दो-चार चीजें बड़ी आपत्तिजनक हैं, जैसे हमारा आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14, राइट टू इक्वैलिटी, राइट टू लाइफ और राइट टू एक्सेस टू जूडिशियरी आदि बड़ी फण्डामेंटल चीजें हैं।

17 00 hrs

जो इस बिल में सुधार करने की जरूरत है। मैं यह पार्लियमेंटेरियन होने के नाते नहीं कहता हूँ। हिन्दुस्तान में जो लीगल ल्यूमनरीज हैं, वे कह रहे हैं कि इस बिल को और चुस्त-दुरुस्त करना चाहिए। इसमें एक थ्रेशोल्ड कर दिया गया। इकोनॉमिक ऑफेंस का एक आर्बिट्रेरी थ्रेशोल्ड है – 100 करोड़ रुपये, तो सवाल जरूर उठेगा, क्योंकि हमारे हिन्दुस्तान में there is no dearth of any stringent law in our country. हम एक के बाद एक कानून बनाते जा रहे हैं, लेकिन हम फिर भी उन्हें रोक नहीं सकते हैं। किसी के फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं लेकिन आप किसी के फंडामेंटल राइट्स को खत्म नहीं कर सकते हैं। You cannot extinguish the fundamental rights of a citizen, you can restrict the fundamental rights. Here lies the lacuna.

आप बिल में कह रहे हैं कि कोर्ट में कोई नहीं जा सकेंगे। इसमें कॉस्टीट्यूशनली डेफिशिएंसी आ रही है। अगर आप इसे चुस्त-दुरुस्त नहीं करेंगे तो बाद में समस्या खड़ी होगी।

माननीय सभापति: अब आप अपनी बात समाप्त करें। आपको ज्यादा समय मिल गया है।

श्री अधीर रंजन चौधरी: गोयल साहब दोनों कंधों पर भारी बोझ उठा रहे हैं, हम उनकी सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं।

माननीय सभापति : आप विद्वान हैं, उनको पत्र लिख दीजिए।

जयप्रकाश नारायण यादव जी।

श्री अधीर रंजन चौधरी: वह बिल को और चुस्त-दुरुस्त बनाएं तथा इसमें जो खामियां हैं, उनको दूर करें। धन्यवाद।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका): सभापति महोदय, भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018 सदन में पेश किया गया है। आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने की अनुमति दी है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज बैंक बड़े पैमाने पर लूटे जा रहे हैं। दिन के उजाले में बैंक लूटे जा रहे हैं। यह सबसे बड़ा अपराध है। संपत्ति जब्त करना, नोटबंदी हुई, लेकिन नोटबंदी होने के बाद ऐसा लगता है कि उद्योगपतियों को माफ किया गया और गरीबों को साफ किया गया। इसकी साफ-साफ झलक मिलती है कि हम एक तरफ कहते हैं कि गंगा की सफाई होनी चाहिए, लेकिन दिन-दहाड़े नीरव मोदी बैंक को साफ करके चला जाता है और उसको देखने वाला कोई चौकीदार नहीं है। जो चले जाते हैं, वे चले जाते हैं, उनको लाने के लिए कानून बन रहा है लेकिन उनको नहीं जाने देने का कानून था। यह कहा जाता है कि देश ने 70 साल में कुछ नहीं किया गया, लेकिन यह भी कहा जा सकता था कि 70 सालों में अगर जहाज नहीं बनता तो नीरव मोदी नहीं जाता, माल्या नहीं जाता, जतिन मेहता नहीं जाता, चौकसी बाहर नहीं जाता। एक तरफ किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसान कर्ज लेते हैं। बैंकों के सामने रोते-रोते मरते हैं। उन पर बंदिशें लगाई जाती हैं कि जेल चलो, क्योंकि वे भाग नहीं सकते हैं। इसी देश की मिट्टी से किसान हमें अन्न उपजा कर खिलाते हैं। किसान गरीब हैं, मजदूर हैं, उन पर बंदिशें लगाई जाती हैं लेकिन नीरव मोदी भाग जाता है। वे कहते हैं कि हम यहां नहीं आएंगे तो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। 500 उद्योगपति साढ़े चार सालों में यहां से भाग गए हैं। उनका लेखा-जोखा कौन देगा? बैंक नहीं लूटा गया है बल्कि देश लूटा गया है। देश की संपत्ति लूटी गई है। हीरे की चोरी हुई और कोयले पर छापा दिया जा रहा है। आपने 100 करोड़ रुपये का कैप लगाया है। हम 99 करोड़ 99 लाख, 99 हजार, 999 रुपये की चोरी करेंगे और एक रुपया छोड़ देंगे तो हम बच जाएंगे। यह कैसा कानून है? अगर कानून बनता है तो वह अंधा कानून नहीं होता है। अब चुनाव का समय आ रहा है तो ऐसा कुछ करें कि हम भी कुछ करने वाले हैं। आज भ्रष्टाचार का समुद्र लहरा रहा है। अच्छे दिन नहीं आए, लोगों को 15 लाख रुपये नहीं मिले और यह कहा गया कि स्विस् बैंक से काले धन को लाएंगे। अब वे कहते हैं कि स्विस् बैंक में व्हाइट मनी चला गया। काला धन नहीं, अब 50 प्रतिशत उजला धन हो गया है। अब कहा जाता है कि स्विस् बैंक का स्विच

ऑफ हो गया। उसे ऑन करने पर ऑन नहीं होता है। आप सुन लीजिए कि वर्ष 2019 में आप लोगों का भी स्विच ऑफ हो जाएगा यहां ऑन होने वाला नहीं है।

आज देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और देश तबाही की तरफ जा रहा है। हमारी दौलत लूटी जा रही है। दौलत, दुनिया, खजाना सभी चीजें लूट कर कई लोग बड़े पैमाने पर आर्थिक अपराध कर रहे हैं। ऐसे लोग जो भगोड़े हैं, उन्हें देश में वापस लाने में यह सरकार पिछले चार सालों में असफल रही है। देश की सरकार ने ऐसे लोगों को पनाह देने का काम किया है। यह कानून लाया जा रहा है, यह बहुत अच्छी बात है, इससे भी ज्यादा कठोर कानून बनना चाहिए। गोयल साहब इस कानून को लाए हैं, उन्हें और भी ज्यादा कठोर कानून लाना चाहिए था। मैं इसी बात को दोहराता हूँ कि आज हमारा किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है, लेकिन देश का धन लूट कर ले जाने वाले ऐसे भगोड़े लंदन, सिंगापुर आदि जगहों पर हवाई जहाज के माध्यम से यात्रा करते रहते हैं। किसान के घर पुलिस चली जाती है, वह ऋण न देने की वजह से आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है। नीरव मोदी, ललित मोदी जैसे भगोड़े लोगों को जल्द से जल्द देश में वापस लाओ। इसी मांग के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): सभापति महोदय, मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आज 19 जुलाई है। यह बिल ऐसे लोगों के लिए लाया गया है जो देश के गरीब लोगों द्वारा जमा किए गए धन को अपने उद्योगों को चलाने की खातिर विदेश में लेकर भाग गए हैं। वे बड़े व्यापारी हैं, वे बैंक के कर्जदार भी हैं और देश से फरार भी हैं। यह विधेयक 19 जुलाई को हमारे मंत्री श्री गोयल जी पास कर रहे हैं, तो आजादी के पहले के दिन मुझे याद आए हैं। आज के दिन ही भारत की आजादी के नायक शहीद मंगल पांडे का जन्म दिवस भी है। मैं उन्हें विनम्रता के साथ सदन में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज विधेयक के पास होने के दिन श्रद्धांजलि अर्पित करने का महत्व इसलिए ज्यादा हो जाता है क्योंकि उन्हें भी ऐसी ही पीड़ा देश के प्रति थी, जो आज हमारी सरकार के वर्तमान मुखिया श्री नरेन्द्र भाई मोदी और वित्त मंत्री जी को है। इस देश को कैसे खुशहाल बनाया जाए, कैसे शक्तिशाली बनाया जाए, कैसे सोने की चिड़िया के रूप में स्थापित किया जाए, इस बात की चिंता शहीद मंगल पांडे ने भी की थी। बलिया की मिट्टी के हमारे एक सपूत श्री भरत सिंह जी भी मेरे साथ सदन में उपस्थित हैं। आज पुनः इसी विषय से संबंधित कानून पास हो रहा है, इसलिए उनकी भी याद आ जाती है। यह बात सही है कि आजादी के बाद जिनकी सरकार थी, उस सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। 'माना अंधेरा बहुत ही घना था, लेकिन दीपक जलाना कहां मना था? आर्टिकल 21 की बात है, जो जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है। जीवन जीने की शुरुआत बैंकों के माध्यम से बहुत सारी योजनाओं के आधार पर होती है। आज प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी के नेतृत्व में बैंकों द्वारा बहुत सारी योजनाएं संचालित हो रही हैं, उन योजनाओं के माध्यम से लोगों को जीवन जीने का अधिकार मिल रहा है। यदि प्रधान मंत्री जी किसी को आवास मुहैया करा रहे हैं, तो क्या जीवन के अधिकार के कर्तव्य का वहन बैंकों के माध्यम से नहीं हो रहा है? उज्ज्वला योजना में एलपीजी गैस का कनेक्शन बैंकों के माध्यम से देना, क्या जीवन जीने के अधिकार का निर्वहन बैंकों के माध्यम से नहीं हो रहा है? मुद्रा बैंक द्वारा गरीब और छोटे लोगों को पूंजी दी जा रही है और उन्हें रोजगार दिया जा रहा है, क्या जीवन जीने के अधिकार का समर्थन नहीं है? जन-धन खाता, अटल पेंशन जैसी 153 योजनाएं संचालित हो रही हैं, जिनमें बैंकों की बहुत बड़ी सहभागिता है।

बैंक्स के माध्यम से इस देश के दबे, पिछड़े-कुचले लोगों के लिए जो योजनाएँ संचालित हो रही हैं, यदि योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम किया जा रहा है, तो यह अपने आप में इस विधेयक से परिलक्षित होता है। उसके बाद भी न जाने क्यों किसी को आपत्ति हो रही है कि आर्टिकल 21 का इसमें हनन किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। इस बिल में ऐसी बहुत-सी बातें हैं, जिनको मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ।

इसमें एक विषय यह भी है कि जो लोग भी 50 करोड़ रुपये ऋण के लिए आवेदन करेंगे, उनके पासपोर्ट की भी विधिवत जाँच होगी। वह किस-किस देश में गए हैं, कैसे गए हैं, उनके ऋण लेने का तरीका क्या-क्या रहा है, आदि बातों की जाँच की जाएगी। ऋण लेकर वह भविष्य में कहीं भाग तो नहीं जाएंगे। हमें विरासत में लगभग 10 लाख करोड़ रुपये का एनपीए मिला था। उस पर रोक लगाने के लिए आज हमारी सरकार इस विधेयक को इस सदन में लेकर आयी है। इसलिए उसमें 50 करोड़ रुपये से 100 करोड़ रुपये तक के ऋण लेने वालों के लिए एक प्राधिकरण के गठन का निर्णय लिया गया है। उसके माध्यम से 90 दिनों के भीतर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जो इस प्रकार के भगोड़े हैं, उनकी यहाँ पर जो भी सम्पत्तियाँ हैं, उनकी देनदारियों के परिप्रेक्ष्य में उनकी सम्पत्तियों का निस्तारण कैसे किया जाए।

हमारी सरकार वैसे लोगों के घावों पर मरहम लगाने के लिए यह विधेयक लेकर आयी है, जो आना-पाई जोड़कर कुछ पैसे जमा करते हैं। सभापति जी, आप भी गाँव से आते हैं और मैं भी गाँव से आता हूँ। गाँव में बहुत-से लोग बैंक्स को आधार मानते हैं। वे किसी प्रकार से बचत करके बैंक में अपने पैसे इस विश्वास से जमा करते हैं कि वहाँ पैसा सुरक्षित है। लेकिन आर्थिक भगोड़ों के कारण क्या वे पैसे सुरक्षित हैं? यदि लोगों को एक साथ पैसे की आवश्यकता पड़ जाए, तो बैंक्स अपने हाथ खड़े कर देंगे क्योंकि उनके जमा किये गये पैसे को इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि ऐसे भगोड़े आज आर्थिक अपराधी के रूप में पैसे लेकर इस देश से बाहर चले गये। इसमें किन लोगों का हाथ था, इसको पूरा देश भलीभाँति जानता है। इस पर रोक लगाने के लिए इस कड़े कानून की आवश्यकता पड़ी। यह विधेयक जब कानून का रूप ले लेगा, तो यह मील का पत्थर साबित होगा। आने वाले समय में, ऐसे भगोड़े नैतिक रूप से देश-विदेश में चिह्नित किये जा सकेंगे। ऐसे लोगों पर इस विधेयक के

माध्यम से नकेल कसी जाएगी। गाँव, गरीब किसान, महिलाओं का सम्मान, मजदूरों के कल्याण के लिए, रोजगार के लिए, उद्योगों के लिए जब बैंकों को बकाया पैसे मिलेंगे, तो रोजगार सृजन के अवसर मिलेंगे, जिसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है।

*SHRI BHAGWANT MANN (SANGRUR) : I thank you Hon. Chairman, Sir, for giving me the opportunity to speak on the “Fugitive Economic Offenders Bill, 2018”.

Sir, as per the Bill, if an economic offender runs away with the money of the bank after the passing of this bill, the offender will be prosecuted as per the provisions of this bill. However, what action will be taken against those fugitives who have already misappropriated thousands of crores of the banks? We have a long list of such fugitives like Nirav Modi, Vijay Mallya and Lalit Modi. People have lost faith in the banks. Banks are no longer safe for depositing money. Day in and day out, new Nirav Modis, Vijaya Mallyas and Choksis are on the prowl to misappropriate the hard – earned money of common people lying in the banks. Banks conveniently wash their hands off the whole affair. The common man is the sufferer due to this loot and plunder by the fugitive economic offenders.

Sir, the hapless poor farmer is neck-deep in debt. He has to marry off his daughter, cultivate the land, build or renovate his dilapidated house. Therefore, he needs a loan from the bank. But, the vicious cycle of compound interest on the loan amount goes on increasing. When the farmer fails to pay the exorbitant interest, he is declared an offender and his photograph is pasted in the bank in the public domain. Thus, the poor, hapless farmer is defamed in public. Several farmers have committed suicide due to the social ignominy that follows such an action by the banks. But, these farmers have self respect.

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi

However, scams worth 80,000 crores, 50,000 crores have burnt a big hole in the state exchequer. The economic offenders merrily flee the country after indulging in such gargantuan scams. Where is the law of the land? Who is responsible for this loot and plunder? The poor people find themselves at the receiving end. Hon. Prime Minister has claimed that Rs.15 lakhs will be transferred into the account of every poor and needy.

Sir, instead of getting the promised amount, the poor people had to part with a few thousand rupees lying in their homes due to the flawed policy of demonetization. Who were the people who were short-changed and cheated by the banks? They were the poor, the workers, the Dalits, the under-privileged who faced the music.

Sir, the NPAs of banks have risen by leaps and bounds and have crossed the 10,000 crore mark. Innocent people are being persecuted wrongly whereas the economic criminals are having a field day. Moreover, chit-fund companies have also indulged in massive scams. The Pearl Group gobbled up crores of rupees of the common man. People were swindled and became bankrupt when their money was gone. The Government claims that the owner of the Pearl Group has been put behind bars. However, what about the money bungled by him? The Government did not have the guts to sell all his property and get back the money swindled by him from the common man. People want their hard-earned money back. When will this happen?

Sir, freedom-fighters like Bhagat Singh were genuinely concerned about the quality of people who will be ruling this country after the White British occupiers leave. This was a bonafide and genuine concern, as the incidents

since India's independence have proven their fears right. In 200 years, the British occupiers could not swindle the amount that has been looted in scams in the last 65-70 years by our own 'Black Britishers' since independence.

Sir, the hard-earned money of our common people is being stashed illegally in foreign banks. Our present day rulers want our educated unemployed to 'fry pakoras' and earn their livelihood! What a cruel joke! It is so convenient to indulge in scams and flee the country with thousands of crores of rupees. This is a matter of shame for this country. Tall claims had been made that the Black Money lying in the foreign banks would be brought back to India in 100 days. These were hollow claims. In the last 4 years, more scams have taken place and thousands of crores of rupees more have been stashed in the Swiss banks. This is our hard-earned money. It is the tax-payer's money.

Sir, the poor people are finding it difficult to make both ends meet. The common man is leading a miserable life. He does not have the basic needs of food, clothing and shelter his children have no educational facilities. The exorbitant fees of the private schools is beyond his reach. The education provided by Government schools leaves much to be desired.

Sir, I urge upon the Government to think about the welfare of the poor, the Dalits, the farmers, the small traders. This bill should become an act and be implemented strictly. Fugitive economic offenders must be incarcerated and prosecuted. Laws have always been there. We fail to implement them properly.

I urge upon the Hon. Finance Minister and the Central Government to implement the law in letter and spirit. Fugitive economic offenders must be brought to the book to set a precedence. Only then will the faith of people be resorted in the banks and the Government. Thank you.

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : सभापति महोदय, The Fugitive Economic Offenders Ordinance, 2018 को यह सरकार बिल बनाकर लाई है। आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं इस कदम का स्वागत करता हूँ। सरकार एक ऐसा कानून लेकर आई है, जिसके तहत आने वाले भविष्य में जो लोग इस देश के कमाऊ वर्ग के पैसे को लूटकर विदेशों में जाकर पनाह लेने का काम करेंगे, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और इस ओर उचित कदम उठाए जाएंगे।

माननीय मंत्री जी ने इस बिल में यह आँकड़ा रखा है कि 100 करोड़ रुपये से ज्यादा पैसा लेकर जो भागेगा, उस पर ही यह कानून लागू होगा। मैं मंत्री जी से सिर्फ यही निवेदन करूँगा कि यदि कोई इस देश का एक रुपया भी लेकर भागता है, तो उसके लिए भी यही कानून होना चाहिए। कानून सब के लिए बराबर होना चाहिए। जब कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल-14 राइट टू इक्वैलिटी के बारे में कहता है, तो हम यहाँ क्यों इनइक्वैलिटी कर रहे हैं? इस बिल के अनुसार हम 99 करोड़ रुपये लेकर भागने वाले को इस बिल के अंडर में नहीं लाएंगे और 100 करोड़ रुपये से ज्यादा लेकर भागने वाले को इसमें लाने का काम करेंगे। इस पर मंत्री जी अपना स्टेटमेंट जरूर दें।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही इस बिल के माध्यम से सरकार यह कहती है कि एक डायरेक्टर लेवल का अफसर इनक्वायरी कर के सर्च एंड सीज़र के आदेश दे सकता है। आज इस देश में बहुत सी एजेंसीज़ हैं, चाहे वह एन.आई.ए. हो, सी.बी.आई. हो या ई.डी. हो।

17 20 hrs

(Hon. Deputy Speaker in the Chair.)

क्या हम उस तरह की एक नई एजेंसी इस देश में बनाने का काम कर रहे हैं, जो आने वाले समय में कहीं न कहीं गवर्नमेंट को ही ओवरपावर करने का काम करेगी? इस बिल के अंदर सरकार द्वारा एक चीज स्पष्ट नहीं की गयी है कि किन-किन देशों से हमारी संधि है? किन-किन देशों से हम ऐसे ऑफेंडर्स को वापस लाने का काम करेंगे? माननीय मंत्री जी देश को बताने का काम करें कि ऐसी कितनी स्टेट्स हैं, जिनके साथ गवर्नमेंट की बायलेट्रल ट्रीटीज़ हैं, जहाँ से ऐसे भगौड़ों को वापस देश में लाने का हम काम करेंगे। हम यह जो कानून बना रहे हैं, इसके अंदर हम कहीं न कहीं पावर दे रहे हैं कि जब मामला कोर्ट में जाएगा तो हमारे कोर्ट्स उन कंट्रीज़ के कोर्ट्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि उन

भगौड़ों को वापस भेजो। आने वाले समय में हम ऐसे और भी केसिस देखेंगे। तीन केसिस तो एनडीए के शासनकाल में आए हैं। ललित मोदी हो, नीरव मोदी हो या विजय माल्या हो या कोई और व्यक्ति हो, जो इस देश का हजारों-करोड़ों रुपये लेकर चला गया है, उन देशों को कोर्ट्स ने अभी तक उनको डिपोर्ट करने के लिए प्रोसेस नहीं किया है या उनके ऊपर कोई कानूनी एक्शन नहीं लिया है। इस कानून में बहुत बड़ी खामी देखने को मिल रही है कि यह प्रस्पैक्टिव नेचर का है। आने वाले समय में जो कोई अपराध करेगा, उस पर यह कानून लागू होगा। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सरकार कोई भी कानून लेकर आती है तो उसके लिए जरूर एक डेडलाइन तय करती है कि इस डेट के बाद अगर अपराध होगा तो उस अपराध के अंदर सभी व्यक्तियों को लाने का हम काम करेंगे। अगर सरकार इतनी साफ नीयत से इस कानून को इस सदन में लेकर आ रही है, इस देश के अंदर एक कानून के तौर पर लाना चाह रही है तो क्यों नहीं उस दिन, जिस दिन प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने शपथ लेने का काम किया था, उसी दिन से इस बिल को लागू करें कि उस दिन के बाद से कोई भी व्यक्ति जो इस देश से पैसा लेकर भागा है, उस हर व्यक्ति के ऊपर हम कार्रवाई करने का काम करेंगे।

महोदय, इस बिल के माध्यम से कहीं न कहीं आर्टिकल 21, जो राइट टू जस्टिस है, उसके अंदर भी हम सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। इस पर सरकार जरूर विचार करने का काम करेगी। सबसे बड़ी बात, सरकार कहती है कि कोई भी व्यक्ति जो पैसा लेकर विदेश भाग जाता है, उसकी प्रोपर्टी को सीज़ किया जाएगा और छः महीने में उस प्रोपर्टी को बेचकर लोगों को पैसा लौटाया जाएगा। माननीय मंत्री जी भी जानते हैं कि अनेक ऐसी कम्पनीज़ हैं, जिनकी प्रोपर्टी को सेबी ने अटैच कर रखा है। मेरे से पूर्व भगवंत मान जी भी इस बात को कह रहे थे और मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी बहुत से लोग मेरे पास आए कि पीएसीएल नामक ग्रुप ने करोड़ों रुपये जब्त कर रखे हैं। आज तक एक रुपया वापस नहीं आया है। क्या आप इस सदन से लोगों को यह विश्वास दिला सकते हैं कि जो लोग पांच सालों से लोगों का पैसा नहीं लौटा पाए हैं, उनकी प्रोपर्टी को बेचकर उन लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे? इस बिल के आने से कानून जरूर बन जाएगा, लेकिन उस कानून के द्वारा कड़े एक्शन लेने की जिम्मेदारी इस सदन की है, इस सरकार की है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ

लेकिन माननीय मंत्री जी जरूर इस देश को विश्वास दिलाएं कि अगर कोई भी एक पैसा भी इस देश का लेकर भागता है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार द्वारा की जाएगी।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे भगौड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018 पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

महोदय, देश में प्रायः सभी बैंक आज दीवालिया होते जा रहे हैं। कुछ आर्थिक अपराधी बैंक से किसी न किसी प्रकार से लोन लेते हैं और लचीलापन देखकर फायदा उठाते हैं। विजय माल्या, जतिन मेहता, संजय भंडारी या ऐसे लोग जो पैसा लेकर बाहर भाग जाते हैं, उसके लिए माननीय मंत्री जी जो बिल लेकर आए हैं, वह स्वागत योग्य है। हम लोग कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं। मेरा एक सुझाव है कि इस कानून के तहत सौ करोड़ रुपये से अधिक कर्ज अदा न करने वाले पर अपराधी को शामिल किया जा रहा है। मेरा मानना है कि इसमें भी सुधार करने की जरूरत है। चाहे एक करोड़ रुपये हो या सौ करोड़ रुपये हो या एक हजार करोड़ रुपये हो, कानून सभी के लिए बराबर होता है। दूसरा, मेरा सुझाव है कि सम्पत्ति के बारे में स्पष्ट कानून होना चाहिए कि अगर बकाए कर्ज से अधिक राशि की सम्पत्ति है तो उससे अधिक प्राप्त धन का क्या होगा?

उसी प्रकार से सम्पत्ति बेचने से अगर कम धन प्राप्त होता है तो बकाया कर्ज का क्या प्रावधान होगा। मेरा मानना है कि इस कानून के बनने से बैंकों को फायदा होगा तथा उनके डूबे हुए कर्ज वापस आएंगे। साथ ही साथ कोई भी कर्जदार विदेश भागने से पहले यह जरूर विचार करेगा कि अगर हम बाहर जाएंगे तो जो हमारा परिवार और संबंधी हैं, उन पर एक्शन होगा, वह उनके बारे में जरूर सोचेगा।

अंत में इस बिल का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से सिर्फ इतना ही कहना है कि आपकी इंटेंशन पर कोई सवाल नहीं है, आपकी इंटेंशन सही है, लेकिन वे ऑफ वर्किंग कैसा हो। जब 15 हजार करोड़ से लेकर एक लाख करोड़ रुपये तक का चुनाव होगा और चुनाव में खर्चा पूंजीपति और उद्योगपति करेंगे तो क्या वे कानून को लागू करने देंगे। कानून लागू कौन कराता है, आज देश कौन चला रहा है, सरकार को पूंजीपति और उद्योगपति चलाता है। इन्होंने नीरव मोदी या अन्य व्यक्तियों का नाम लिया है। विजय माल्या सौ, दौ सौ करोड़ रुपये पर राज्य सभा चुनाव जीतकर आया, उसने किस-किस एम.एल.ए, और एम.पी. को पैसा दिया, किस-किस राजनीतिक व्यक्ति को पैसा दिया, किस-किस राजनीतिक दल को पैसा दिया, यह सवाल खड़ा क्यों नहीं होता है? जो बड़े-बड़े पूंजीपति हैं, इन्होंने किनको पैसा दिया, इस पर चर्चा क्यों नहीं होती? स्विस् बैंक में पैसा डबल हो गया, लेकिन वह पैसा वापस नहीं आया, वह भारत का पैसा है। आप अभी कह रहे थे, मुझे आश्चर्य हुआ कि सीबीआई ने कहा है कि हिंदुस्तान में एक नेता को तीन महीने पहले हमने चार्जशीट के लिए कहा है, लेकिन हम चार्जशीट नहीं कर पाए। मंत्री जी, आप यहां पर एक ऐसा कानून क्यों नहीं लाते हैं, जैसे आप सीलिंग पर कानून लाए हो, ऐसे ही आप वैल्यू पर कानून क्यों नहीं लाते हैं कि 20 करोड़, 25 करोड़ या 50 करोड़ रुपये से ज्यादा सम्पत्ति रखने का अधिकार हिंदुस्तान में किसी को नहीं होगा। यदि आप ऐसा कानून लेकर आएंगे तो आपको यह कानून लाने की जरूरत ही नहीं होगी। आप उसी तरह से कानून लाइए, जिस तरह से आप हिंदुस्तान के किसानों के लिए कानून लाए हैं।

मेरा दूसरा सवाल यह है कि आपने डायरेक्टर को पावर दे दी, वह डायरेक्टर रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद तो नहीं होंगे। स्व-विवेक से काम करने वाला व्यक्ति क्या इस बात से प्रभावित नहीं होगा? आप कोई कानून बनाते हैं तो उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। क्या अन्य डायरेक्टर नहीं हैं, सी.बी.आई.में डायरेक्टर नहीं हैं? मेरा आपसे सिर्फ यही कहना है कि मैं कानून के समर्थन में हूँ, लेकिन नीयत का क्या होगा।

इसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में बाबाओं के पास जो सम्पत्ति है, मठों के पास सम्पत्ति है, पूंजीपतियों के पास सम्पत्ति है, लेकिन ये पोलिटीशियन और पोलिटिकल पार्टिज जिनके पास एक रुपया नहीं होता है, अचानक वे एक लाख करोड़ रुपये के मालिक हो जाते हैं,

उनका क्या होगा, आप इस पर कभी चर्चा नहीं करते हैं और बाहर से पैसा वापस लाना तो दूर की बात है। देश नरेन्द्र मोदी जी पर गर्व कर रहा था, लेकिन अभी जो सवाल सामने है, यह चिंता का विषय है, एक व्यक्ति, जिसे पूरे देश ने समर्थन दिया। स्विस् बैंक में पैसा डबल हो गया, आप वहां से एक रुपया तक वापस देश में नहीं ला पाए, फिर आगे क्या आशा करें।

इसके अलावा आपने कहा कि हम दुनिया में पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए हैं, लेकिन आप यह नहीं बताते हैं, अभी हिंदुस्तान के एक अर्थशास्त्री ने कहा कि एजूकेशन और हैल्थ सैक्टर में पिछले चार सालों से काम नहीं हुआ। वह अर्थशास्त्री कौन है, आपको इसका पता है। किसानों पर काम नहीं हुआ, हैल्थ पर काम नहीं हुआ। आप एक तरफ जीडीपी के लिए अपनी सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं और हिंदुस्तान का निर्माण करने वाले जो लोग हैं, वे रसातल में जा रहे हैं।

इसके अलावा मेरा आपसे आग्रह है कि आज हिंदुस्तान के आम नागरिक जेलों में जा रहे हैं और पूंजीपति, उद्योगपति और माफिया हमारे ऊपर चीजों को लागू करते हैं।

अंत में मेरा कहना है कि प्रथम आपकी नीयत साफ हो और दूसरा काम करने के तरीके साफ हों। धन्यवाद।

श्री राम कुमार शर्मा (सीतामढ़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण बिल पर मुझे बोलने का मौका दिया है। सदन में भगोड़ा आर्थिक अपराध बिल, 2018 प्रस्तुत करने के लिए मैं प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। यह बिल वही ला सकता है, जिसका वास्तव में 56 इंच का सीना होगा। आज जो देश में आर्थिक पहल, सुधार का जो भी नियम, वर्तमान सरकार आदरणीय नरेन्द्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने लाने का काम किया जैसे नोटबंदी, जीएसटी और भगोड़ा आर्थिक अपराध बिल, यह वही व्यक्ति ला सकता है, जिसका 56 इंच का सीना होगा। यह वास्तव में प्रमाणिकता के साथ दर्शाता है कि नरेन्द्र मोदी ही एकमात्र ऐसे नेता हैं, इस देश के प्रधान मंत्री हैं, जो वास्तव में ऐसा बिल ला सकते हैं। कोई भी भगोड़ा, जो बैंक को लूट कर भागा हो या किसी भी वित्तीय संस्थान को लूट कर के भागा हो या वास्तव में देश का लुटेरा है, वह आकाश में हो या पाताल में, देश में हो या विदेश में, उसको पकड़ कर लाया जाएगा और निश्चित रूप से एक-एक पाई वसूल कर के गरीबों, किसानों और को देश की खुशहाली के लिए खर्च किया जाएगा।

महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 65 वर्षों से जो हजारों-हजार करोड़ रुपये लूट कर जैसे विजय माल्या हो या नीरव मोदी, ललित मोदी हो या भण्डारी, जो लूट कर भाग गए, उसका कारण वर्तमान वित्तीय कानून व्यवस्था की कमी थी, जिसके कारण वे भाग गए हैं। आज सुधार का जो बिल लाया गया है, उससे वास्तव में सभी भगोड़े पकड़े जाएंगे और देश की खुशहाली के लिए वह काम आएगा। इसलिए मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की ओर से इस बिल का हृदय से समर्थन करता हूँ। मैं प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार का सुधारक बिल लाने का काम किया है।

धन्यवाद।

रेल मंत्री, कोयला मंत्री, वित्त मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस बिल पर काफी सार्थक चर्चा हुई है। 19 माननीय सांसदों ने इस विधेयक पर चर्चा की है। अलग-अलग प्रकार से कई माननीय सांसदों ने खुले दिल से इसको समर्थन दिया है। कुछ माननीय सांसदों ने दबी जुबान से इसक समर्थन किया है। लेकिन यह अच्छी बात है कि किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कि लगभग सभी सांसदों को चिंता है कि इस विषय में कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। इस कार्यवाही के तहत इन सभी भगोड़ों को देश में वापस लाया जाए, उनकी संपत्ति जब्त की जाए, कार्यवाही की जाए। खास तौर पर इसमें जो आर्थिक मामले जुड़े हुए हैं, जैसे बैंकों के लोन हैं या किसी ने किसी के साथ धोखाधड़ी की है, इन सब पर उचित कार्यवाही कर के यह पैसा जल्द से जल्द देश को वापस मिले। उन लोगों को सजा मिले और कार्यवाही हो, यह सभी माननीय सांसदों की इच्छा है, जो आज प्रकट हुई है। इसीलिए यह बिल बहुत जरूरी है। आखिर यह सभी की मनोकामना है कि इसमें दोषियों पर कार्यवाही हो, तो स्वाभाविक है कि कुछ न कुछ कड़े कानून की भी जरूरत है। हमने इतने वर्षों में देखा है कि कानून तो हैं, लेकिन वह जो ड्यू प्रोसेस में समय लगता है, जिस स्पीड से लोगों के ऊपर कार्यवाही होती है, उससे हम सभी चिंतित हैं। हम सभी की इच्छा है कि कार्यवाही कड़ी और सख्त हो, तेज़ गति से हो। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि United Nations Convention Against corruption में पहली बार इस बात पर एक इंटरनैशनल कंसेंसस, यानी आम सहमति पूरे विश्व में बनी है कि जो लोग ऐसे भाग जाते हैं, भगोड़े बन जाते हैं या एक देश में कानूनी कार्यवाही चल रही है तो दूसरे देश में जाकर पनाह ले लेते हैं, इसके बारे में कुछ न कुछ मज़बूत कदम उठाए जाएं और जल्द से जल्द यह जो इल्लिगल वैल्थ होती है, जो गैरकानूनी संपत्ति होती है, इसके ऊपर कार्यवाही हो और यह संपत्ति वापस देश को मिले। UNCAC ने आर्टिकल-54 में इसके बारे में काफी महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। सन् 2011 में यूएनसीएसी को भारत ने स्वीकार किया है। मैं समझता हूँ कि सबसे पहला प्रश्न तो यह उठता है कि सन् 2011 से 2014 के बीच ऐसा कानून क्यों नहीं लाया गया? ... (व्यवधान)

इस पर कोई कार्यवाही भी शुरू नहीं हुई थी। अगर कोई कार्यवाही शुरू हुई होती तो शायद हमारे ध्यान में भी यह जल्दी आता। अगर यूएनसीएसी के ऊपर कोई आधी-अधूरी कार्यवाही भी हुई

होती तो हम उसे आगे बढ़ाकर जल्द ले आते। वित्त मंत्री जी ने बजट 2017-18 में इसकी जानकारी दी कि इस विषय में सरकार गहराई से अध्ययन करके उचित कदम उठायेगी और जरूरत पड़े तो नया कानून लायेगी। उसी के तहत पिछले सत्र में यह कानून लाया गया। दुर्भाग्यवश कई कारणों से पिछला सत्र चलने नहीं दिया गया। बजट सत्र के दूसरे पार्ट के लगभग पूरा वाश आउट होने के कारण यह बिल पास नहीं हो पाया।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : वह सत्र आपकी वजह से वाश आउट हुआ था।

श्री पीयूष गोयल : खड़गे जी, आपकी क्या मंशा थी, वह तो आप ही ज्यादा जानते हैं। भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए चाहती है कि सदन चले और सदन आर्गनाइज्ड वे में चले। मैं समझता हूँ कि जो व्यवहार आपकी तरफ से, आपके माननीय सदस्यों की तरफ से किया गया, हमने माननीया स्पीकर मैडम का जो अपमान देखा, वह शायद ही भारत के इतिहास में कभी किसी सदन ने देखा होगा...(व्यवधान) सरकार बहुत सीरियस थी कि इसके ऊपर कार्यवाही हो और इसीलिए सदन न चलने देने के बावजूद, कानून न पास होने देने के बावजूद हमारी सरकार इसे एक ऑर्डिनेंस के रूप में लायी।

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: He should not blame the Opposition. इन्होंने हाउस को चलने नहीं दिया। अपने पार्टनर्स को बोलकर यहाँ पर ले आते थे और सदन दो मिनट में बंद हो जाता था। आज एक-एक घंटा यहाँ पर बात हुई, लेकिन सदन बंद नहीं हुआ...(व्यवधान) इन सबने मिल-जुलकर सदन का सत्र वाश आउट किया था...(व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल : मैं समझता हूँ कि यह ऑर्डिनेंस लाना इसलिए जरूरी था कि यह कार्रवाई रुके नहीं, यह मैसेज जाये कि भारत सरकार इस पर गंभीर है और यह नई सरकार काले धन के ऊपर प्रहार कर रही है। सीरीज ऑफ मेजर्स में यह एक मेजर लिया गया कि ऐसे जो भी केसेज हैं, जहाँ अफेन्डर्स भारत की सीमाओं को छोड़कर चले जाते हैं, इनकी सम्पत्ति को जब्त करने का कानून लाया जाये। इसलिए हमने इसको ऑर्डिनेंस के रूप में पास किया और आज उसको रिप्लेस करके बिल सदन के समक्ष है। यह कहा गया कि इसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन्स और बिल में मेल नहीं है। माननीय कल्याण जी जो एक बहुत वरिष्ठ वकील हैं ने बड़े हम्बल वे में यह कहा कि यह

बिल बैडली ड्राफ्टेड है। मैं उनको बताना चाहूँगा कि यह जो 100 करोड़ रुपये की सीमा ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस में लिखी हुई है, वही सीमा सैक्शन 2(1)एम के द्वारा बिल में भी लिखी गई है। अगर आप सैक्शन 2(1)एम को सैक्शन 2(1)एफ के साथ जोड़कर पढ़ें तो सैक्शन 2(1)एम में बहुत ही स्पष्ट रूप से यह लिखा गया है। आपको आसानी हो, आपको कुछ तकलीफ न हो, अगर आप और सदन चाहे तो मैं इसे पढ़ भी सकता हूँ। कई वरिष्ठ सांसदों ने इस विषय का जिक्र किया है। सैक्शन 2(1)एम यह कहता है कि 'Scheduled offence' means an offence specified in the Schedule where the total value involved in such an offence or offences is Rs.100 crore or more. ... (Interruptions) इसके बारे में भी कई माननीय सांसदों ने विषय उठाया है। मैं समझता हूँ कि उनको इतनी एलीमेन्टरी नॉलेज समझ नहीं आयी कि आज के दिन ये सब कैसेज अलग-अलग कानून के तहत कोर्ट्स में चल रहे हैं। कोर्ट्स में उन पर एक्शन हो रहा है और स्वाभाविक है कि एक्शन अपने अंतिम मुकाम तक जायेगा। जो बड़े अपेन्डर्स हैं, जिनकी सम्पत्ति बड़े रूप में उनके पास है, उनको पहले टैकल किया जाये और स्पेशल कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स आदि को क्लॉक नहीं करें।

उनके पास अगर हर एक केस को ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो फिर वही बात होगी कि जस्टिस डिलेड होगा। इसके बारे में भी बहुत चर्चा होती है कि *Delayed justice means justice denied*. हमने सोचा कि जो लोग बड़े कानूनी अपराध करते हैं, 100 करोड़ रुपये से अधिक के अपराध करते हैं, पहले उन्हें इस कानून के तहत लिया जाए। उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनकी सम्पत्ति जब्त की जाए। इससे एक डेटरेंस होगा। कोई भागेगा नहीं और जो भागा है, उसकी सम्पत्ति जब्त होते देख कर शायद वह लौट कर वापस आए और कानून के कंसीक्वेंसेज को फेस करे। इस 100 करोड़ रुपये की सीमा के विषय को थरूर जी, चौटाला जी और अन्य कई माननीय सदस्यों ने उठाया है। लेकिन, सरकार की स्पष्ट रूप से यह मंशा है कि बड़े अपराधी पहले पकड़े जाएं, उनके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन हो और इस नई व्यवस्था के तहत कोर्ट्स में इतने केस न ले जाएं कि फिर बड़े और छोटे अपराधियों के बीच फर्क न होने के कारण बड़े लोग छूट कर बाहर रह जाएं और उनकी सम्पत्ति हम जब्त न कर सकें। उसे फास्ट ट्रैक करने के हिसाब से इन कैसेज को इस कानून के तहत लाया गया। बाकी कैसेज पर कार्रवाई अभी जौ मौजूदा कानून है,

उसके तहत चल रही है। यह आगे भी चलेगी। अगर नए केसेज पर कार्रवाई होगी तो कोई भी भाग कर नहीं जा सकेगा, सब पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

कुछ माननीय सांसदों ने शायद माननीय कल्याण जी ने यह विषय उठाया कि सर्च एण्ड सीजर में कोई प्रोटेक्शन नहीं है। इसमें कोई भी व्यक्ति जाकर सर्च एण्ड सीजर कर सकता है...(व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी : मैंने वह नहीं कहा...(व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल: मैं समझता हूँ कि यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसमें वही बात है कि लोग ठीक से पढ़ते नहीं हैं। अगर वे इसे ठीक से पढ़ कर और सही मायने में कानून को समझ कर आते तो अच्छा होता...(व्यवधान)

कल्याण जी ने कहा कि सर्च एण्ड सीजर का कानून ड्रैकोनियन है। जो वर्ष 2002 के मनी लांड्रिंग एक्ट में था, वही कानून इस में भी लिया गया है। इसमें कोई फर्क नहीं है। यह जो बात कही गयी कि दूसरे कानून में विटनेस होते हैं तो मैं सदन को यह अवगत करा दूँ कि इसमें भी सर्च एण्ड सीजर में सेक्शन-9(ई) में यह प्रोवाइड किया गया है। सेक्शन-9(ई) के तहत दो या दो से अधिक विटनेस का प्रावधान रखा गया है। कल्याण जी को ऐसा न लगे कि यह कानून बड़ा ड्रैकोनियन है, शायद उन्हें किसी मित्र की चिंता हो रही होगी कि उनके ऊपर ड्रैकोनियन सर्च एण्ड सीजर हो जाएगा...(व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी: आपने अपने मित्रों को तो छोड़ दिया न?...(व्यवधान) आपके जो मित्र हैं अहमदाबाद में, उन्हें आपने छोड़ दिया...(व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल: इसमें सेक्शन-9(ई) में लिखा है -

“Before making the search under clause (a) or clause (d), the authority shall call upon two or more persons to attend and witness the search and the search shall be made in the presence of such persons;”

मैं समझता हूँ कि यह कानून बहुत स्पष्ट रूप से बहुत सोच-समझ कर बनाया गया बहुत सुलझा हुआ कानून है। हर प्रकार से यह कानून वैध है। कंस्टीट्यूशनली और सभी प्रकार से चिंता करते हुए इस कानून को लाया गया है।

श्री भर्तृहरि महताब और कुछ अन्य सांसदों ने यह कहा कि आप जब्त तो कर लेंगे, लेकिन उसके बाद आप इसे किस प्रकार से डिस्पोज करेंगे, इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है। दुर्भाग्य से फिर वही बात है कि कानून को शायद गहराई से अध्ययन नहीं किया गया। सेक्शन-15(3) बहुत स्पष्ट रूप से यह बताता है कि जब कंफिस्केशन या अटैचमेंट होगा, तो उसका डिस्पोजल कैसे होगा। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया जाएगा, जो कोर्ट के डायरेक्शंस के अन्डर प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा...(व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE: Sir, he is misleading. I have spoken in respect of Section 7 and not Section 9. If you are really honest, give answer in respect to Section 7. ... (*Interruptions*)

श्री पीयूष गोयल: सेक्शन-15(3) में यह बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है-

“The Administrator shall also take such measures, as the Central Government may direct, to dispose of the property which is vested in the Central Government under section 12:”

सेक्शन-12 के तहत जिस प्रॉपर्टी को कंफिस्केट किया जाएगा, उसे डिस्पोज करने का भी प्रावधान है। पहली बात तो यह है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इसे एडमिनिस्ट्रेटर को बताए और वह उसको डिस्पोज-ऑफ करे। इसके लिए भी एक सेफगार्ड रखा गया है।

“Provided that the Central Government or the Administrator shall not dispose of any property for a period of ninety days from the date of the order under sub-section (2) of section 12.”

यह कहता है कि इसका डिक्लेरेशन एक स्पेशल कोर्ट ऑर्डर करे। बड़े केसेज पर फोकस करने के लिए इसमें एक स्पेशल कोर्ट नियुक्त होगा। जब कोई प्रॉपर्टी कंफिस्केट होती है, वह सेन्ट्रल

गवर्नमेंट के तहत होती है। इसमें दो टाइप के होंगे। एक तो प्रोसीड्स-ऑफ-क्राइम, चाहे वह प्रॉपर्टी भारत में हो, विदेश में हो और चाहे वह प्रॉपर्टी फ्यूजिटीव ऑफेंडर के नाम पर हो या उसकी बेनामी सम्पत्ति हो।

“Any other property or benami property in India or abroad owned by the fugitive economic offender.” इन दोनों को जब्त करने का प्रावधान रखा गया है, बेनामी भी और खुद के नाम की भी। उनको 6 सप्ताह का समय इसलिए दिया गया है कि अगर वे वापिस आते हैं and he submits himself to the process of law तो हम समझते हैं कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होगा, और हाईकोर्ट में अपील भी हो सकेगी। मैं यह मानता हूँ कि विपक्ष तथा रूलिंग पार्टी के किसी भी सदस्य का यह मानना नहीं हो सकता है कि कोई आदमी देश छोड़कर भाग जाए, क्राइम करे, इकोनॉमिक ऑफेंस करे और पैसे लेकर भाग जाए। He does not submit himself to the process of law और आज के दिन जो कानून है, उसमें व्यक्ति जब तक कोर्ट के सामने पेश नहीं होता है, तब तक उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। वह स्टॉल हो जाती है, डिले हो जाती है; इस डिले को रोकने की मंशा पूरे सदन की होगी, ऐसा मैं समझता हूँ। If he comes with clean hands, जो सुप्रिया ताई को चिंता है कि किसी गलत आदमी के ऊपर प्रहार न हो जाए या he is innocent until proven guilty. If he is innocent, why did he run away in the first place? He should submit himself to the law. भारत की कानून-व्यवस्था पर हम सभी को अटूट विश्वास है। हम किसी केस का जिक्र करें तो मैं समझता हूँ कि वह कोर्ट का कंटेम्प्ट होगा और कोर्ट के ऊपर एक प्रकार से प्रश्न-चिह्न उठाए जा रहे हैं। हम कोर्ट के प्रोसेस के ऊपर कैसे प्रश्न-चिह्न उठा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि “disentitlement is draconian”. श्री थरूर साहब भी बोलकर गए थे। मैं समझता हूँ कि कोर्ट मेरिट्स के ऊपर फास्ट ट्रैक एक्शन करेगी। If the person's hands are clean, he should come and submit himself to the court, तो जब्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

साथ ही साथ एक अन्य विषय भी श्री थरूर जी ने कहा, सीआर.पी.सी. में प्रावधान है कि उसमें भी अटैचमेंट हो सकता है। यह तो स्वाभाविक ही है और ऐसा है। Courts are clogged with

thousands and lakhs of cases. अगर प्रॉपर्टी अलग-अलग स्टेट में है तो वहाँ अलग-अलग प्रॉसिक्यूशन करना पड़ता है। देश भर में अटैचमेंट के लिए इतने सारे केसेस अलग-अलग चलाने पड़ते हैं। इस cumbersome प्रोसेस को फास्ट ट्रेक करने के लिए यह कानून लाया गया है।

श्री थरूर साहब ने एक अन्य टिप्पणी भी की थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद आजकल वह बहुत बिजी हैं और उनका जो ऐक्सेंट है, वह थोड़ा विदेशी-सा ऐक्सेंट है मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था। अगर इंडियन ऐक्सेंट होता तो हम समझ सकते थे। लेकिन हम तो हिन्दी भाषी लोग हैं, और हिन्दी भाषी ही रहेंगे। लेकिन उनकी जो समझ है कि सरकार मनमर्जी से जब चाहे Schedule of Offences बदल सकती है। शायद उनको यह ध्यान नहीं है कि जब सरकार कभी शेड्यूल बदलना चाहे तो we have to lay the change before both the Houses of Parliament. अगर कोई भी माननीय सदस्य उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन उठाए तो उस पर चर्चा हो सकती है। मैं समझता हूँ कि अगर वह क्लॉज 20 पढ़ लें तो शायद उनको इस बात का ध्यान आएगा।

कई माननीय सदस्यों ने कहा कि अब तो आप यह कानून लेकर आए हैं, परंतु पुराने अपराधियों का क्या होगा। क्रिमिनल लॉ हमेशा प्रॉस्पेक्टिव होता है। agree with you. प्रॉस्पेक्टिव लॉ लाकर कैसे अपराधियों के ऊपर प्रहार कर सके, उनको कानून के दायरे में कैसे ला सके, यह सरकार भलीभांति समझती है। मैं समझता हूँ कि अगर आप क्लॉज 3 पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदन अप्रूव करे तो मैं पढ़कर सुना दूँ। खासतौर पर, श्री कल्याण बनर्जी जी ने भी इसका जिक्र किया था। वह बड़े विख्यात वकील हैं। “The provisions of this Act shall apply to any individual who is or becomes a fugitive economic offender...” मैं इसे एक बार फिर पढ़ लेता हूँ, शायद उनको समझ में आ जाएगा। Section 3 says, “The provisions of this Act shall apply to any individual who is or becomes, अभी है या आगे बन जाए, a fugitive economic offender on or after the date of coming into force of this Act.”

आज अगर कोई भगोड़ा है और बाहर रहता है, तो he is already a fugitive. He is running away from Indian law. वह भी सैक्शन 3 के द्वारा इस कानून में कवर हो जाता है। ... (व्यवधान) मैं समझता हूँ कि आज जाकर फिर से वह कानून पढ़ेंगे, तो अच्छा रहेगा।

माननीय कल्याण जी ने इस बारे में कहा था और मेरे मित्र सत्पथी जी ने भी इस विषय को उठाया कि इंडियन कोर्ट का आर्डर आप फारेन लैंड पर कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? इसका बड़ा ही सिंपल आंसर है। सभी जानते हैं कि भारत सरकार और विदेशी सरकारें आपस में ट्रीटीज करती हैं। इस सरकार ने अलग-अलग देशों के साथ ट्रीटीज बदलीं और ऑटोमैटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फोर्मेशन का प्रावधान लाई। ... (व्यवधान) जो वे लोग छिपाया करते थे, हमने वह सब डेटा लाने की कोशिश की। ... (व्यवधान) आज भारत की 39 कंट्रीज के साथ ट्रीटी है। हम इसे आगे और देशों के साथ करेंगे। इससे हम एक्शन ले सकेंगे। ... (व्यवधान)

कल्याण जी ने कहा कि सैक्शन 4 और 12 में कंट्राडिक्शन है। मैं समझता हूँ कि कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। एप्लीकेशन फॉर डिक्लेयरेशन है। यह डिक्लेयरेशन कोर्ट डिसाइड करता है। सुप्रिया जी, कोई डिनायल ऑफ ह्यूमन राइट्स नहीं होगा। कोर्ट और ट्रिब्यूनल पर हम सबका अटूट विश्वास है। अगर ऑफेंडर कानून का मिसयूज करता है, तो उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। यह सदन और सरकार की मंशा है। I request the hon. Members of the House to support the Bill and pass it.

HON. DEPUTY SPEAKER: Mr. Premachandran, you have already taken your time. Please be brief. We have only ten minutes left.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Mr. Deputy-Speaker, Sir, it is unfortunate that the hon. Minister made some observations regarding some Members who have spoken on the Bill.

He said that promulgation of the Ordinance was necessitated because the House was not in order during the last Session. He also said that the biggest office of the House, the Hon. Speaker, had been humiliated by the Opposition. It is unfortunate on the part of the hon. Minister to have said this. He should not have used the Office of the Speaker like this. The Opposition never humiliated Madam Speaker or the Office of the Speaker. Never! ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Come to the point.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : In the last Session, the House was disrupted not because of the Opposition. Everybody knows that very well. ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: You come to the point.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Sir, I categorically stated during the course of discussion that we fully support the spirit of the Bill and we absolutely support the point that stringent action has to be taken. But the main point lies in Clause 14 of the Bill and the hon. Minister has not referred to it. The right of access to justice is a fundamental right. We expressed our apprehension during the course of discussion that that principle is being violated. The Minister has satisfactorily answered all other questions. I fully agree that prospective effect is there. He has answered all questions including on seizure.

We expressed our apprehension on the legal validity of the Bill. Hon. Member Kirit Somaiya asked why the hon. Members of the House are

discussing the legality of the Bill. I would say that this is the right and proper forum to discuss the legal validity of the Bill and legislative competence. Whether the Bill will survive legal scrutiny or not has to be considered by this forum and not by any other forum. We are making this law when all these persons have fled the country and are sheltering in safe havens. Whether this law will survive the legal scrutiny, is a pertinent question which we have raised. The July 2016 judgment of the Supreme Court is there. Whether this will pass judicial scrutiny, that question has not been answered.

The hon. Minister made an observation regarding Mr. Shashi Tharoor's accent. ... (*Interruptions*) It is not a fair observation to make by Minister Piyush Goyalji.

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): Hon. Deputy Speaker Sir, Shri N.K. Premachandran is a very seasoned politician. He has to speak on the Resolution only. He cannot make another speech about all other issues. ... (*Interruptions*)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : If the hon. Minister is making an observation, definitely I also have the right to defend the Members from our side.... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Are you moving the Resolution?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Sir, I am moving the Resolution.... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Now we will take up the Bill for consideration and also the Resolution by Shri N.K. Premachandran. Since it is five minutes to 1800 hours, if the hon. Members agree, the House can be extended till the time the Bill is passed.

SEVERAL HON. MEMBERS: We agree.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That this House disapproves of the Fugitive Economic Offenders Ordinance, 2018 (No. 1 of 2018) promulgated by the President on 21st April, 2018.”

The motion was negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That the Bill to provide for measures to deter fugitive economic offenders from evading the process of law in India by staying outside the jurisdiction of Indian Courts, to preserve the sanctity of the rule of law in India and for matters connected thereto or incidental thereto, be taken into consideration.”

The motion was adopted.

HON. DEPUTY SPEAKER: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

Clause 2

Definitions

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri N.K. Premachandran to move Amendment Nos. 12 to 19 to Clause 2.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I am moving Amendments No. 12 to 19 to Clause 2. I beg to move:

Page 2, line 14,-
for "individual"
substitute "person". (12)

Page 2, *after* line 18 *insert*,-
"(iii) committed a scheduled offence or offences involving an amount of rupees fifty crores or more." (13)

Page 2, line 25,-
after "Undivided Family"
insert "or an individual who is incharge of the management and affairs of the property of the family". (14)

Page 2, line 26,-
after "company"
insert "or Chairman or CEO or Managing Director or an individual who is in the top most position of the management or affairs of the company". (15)

Page 2, line 27,-
after "trust"
insert "or an individual who is the head or top most in the management and affairs of the trust". (16)

Page 2, line 28,-
after "partnership".
insert "or an individual who is the head or top most in the management and affairs of the partnership firm". (17)

Page 2, line 29,-
after "liability partnership".
insert "or an individual who is the head or top most in the management and affairs of the partnership". (18)

Page 2, line 31,-

after "or not".

insert "or an individual who is the head or top most in the affairs and management of such body". (19)

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put amendments No. 12 to 19 to Clause 2 moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3 Application of Ordinance

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri N.K. Premachandran to move Amendment No. 20 to Clause 3.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Sir, I am not moving Amendment No. 20 to Clause 3.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That clause 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 4

Application for declaration of fugitive economic offender and procedure therefor

Amendments made:

Page 3, line 14,-

for "sub-section (2)"

substitute "sub-section (1)" (2)

Page 3, line 20,-

for "or benami property".

Substitute "or benami properties". (3)

(Shri Piyush Goyal)

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Adhir Ranjan Chowdhury to move Amendment No. 21 to Clause 4.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): I am moving Amendment No. 21 to Clause 4. I beg to move:

Page 3, line 9,-

after "this section"

insert "on a request from Reserve Bank of India, any scheduled Bank, the Securities and Exchange Board or India or otherwise".

(21)

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put amendment No. 21 to Clause 4 moved by Shri Adhir Ranjan Chowdhury to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri N.K. Premachandran to move Amendment Nos. 22 to 25 to Clause 4.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Sir, I am not moving Amendment Nos. 22 to 25 to Clause 4.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That clause 4, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 4, as amended, was added to the Bill.

Clause 5 Attachment of Property

Amendment made:

Page 3, line 35,-

for "or is a property".

substitute "or is a property or benami property".

(4)

(Shri Piyush Goyal)

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri N.K. Premachandran to move Amendment No. 26 to Clause 5.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Sir, I am not moving Amendment Nos. 26 to Clause 5.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That clause 5, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 5 as amended was added to the Bill.

Clauses 6 to 8 were added to the Bill.

Clause 9 Search of persons

Amendments moved:

Page 5, line 36,-

for "sub-section".

substitute "clause".

(5)

Page 6, line 3,-

for "clause (e)".

substitute "clause (d)".

(6)

(Shri Piyush Goyal)

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That clause 9, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 9, as amended, was added to the Bill.

18 00 hrs

Clause 10

Notice

Amendment made:

Page 6, line 27, --

for “Act, 2016;”.

substitute “Act, 2016; or”. (7)

(Shri Piyush Goyal)

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That clause 10, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 10, as amended, was added to the Bill.

Clauses 11 and 12 were added to the Bill.

Clause 13

Supplementary Application

Amendment made:

Page 7, line 40, --

for “owned by the”,

substitute “or benami property owned by the individual in

India or abroad, who is a”. (8)

(Shri Piyush Goyal)

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That clause 13, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 13, as amended, was added to the Bill.

Clauses 14 and 15 were added to the Bill.

Clause 16 Rules of evidence

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving amendments No. 27 and 28?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Sir, I am not moving them.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That clause 16 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clauses 16 was added to the Bill.

Clauses 17 to 19 were added to the Bill.

**Clause 20 Power of Central Government
to amend schedule**

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving amendment No. 29?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Sir, I am moving the amendment. I beg to move:

Page 9, lines 10 and 11, --

for, “or as the case may be, omit from the First
Schedule any offences specified therein”.

substitute “the First Schedule any offence with
prospective effect”. (29)

I would like to make a brief submission. This clause is giving discretionary right to the Government to exclude any offence from the Schedule. It is all right to add any offence but my amendment is to ensure that any offence is not omitted since this is giving discretionary power to the Government. It is for Parliament and Legislature to decide which offence should come under the

purview of this Act, not for the Executive. So, my amendment is not to omit any offence from the Schedule.

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put amendment No. 29 moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That clause 20 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 20 was added to the Bill.

Clauses 21 and 22 were added to the Bill.

Clause 23 Power to make rules

Amendment made:

Page 9, *after* line 24, *insert*, --

“(ca) the procedure for conducting search and seizure under section 8;” (9)

(Shri Piyush Goyal)

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That clause 23, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 23, as amended, was added to the Bill.

Clause 24 was added to the Bill.

Clause 25 Power to remove difficulties

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving amendment No. 30?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Sir, I beg to move:

Page 9, line 45, --

for "five years".

substitute "two years". (30)

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put amendment No. 30 moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That clause 25 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 25 was added to the Bill.

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i)

THE MINISTER OF RAILWAYS, MINISTER OF COAL, MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI PIYUSH GOYAL): Sir, I beg to move:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to Government amendment No. 10 to the Fugitive Economic Offenders Bill, 2018 and that this amendment may be allowed to be moved.”

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to Government amendment No. 10 to the Fugitive Economic Offenders Bill, 2018 and that this amendment may be allowed to be moved.”

The motion was adopted.

New Clause 26**Repeal and saving**

Amendment made:

Page 9, *after* line 48, insert –

26. (1) The Fugitive Economic Offenders Ordinance, 2018, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under this Act.”.

(10)

(Shri Piyush Goyal)

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That new clause 26 be added to the Bill.”

The motion was adopted.

New clause 26 was added to the Bill.

The Schedule was added to the Bill.

Clause 1 Short title, extent and commencement

Amendment made:

Page1, *for* lines 6 to 10,-

substitute “(3) It shall be deemed to have come into force on the 21st Day of April, 2018.”. (1)

(Shri Piyush Goyal)

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That clause 1, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

The Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

HON. DEPUTY SPEAKER: The Minister may now move that the Bill, as amended, be passed.

SHRI PIYUSH GOYAL: I beg to move:

“That the Bill, as amended, be passed”.

The motion was adopted.

The Bill, as amended, was passed.

HON. DEPUTY SPEAKER: The House stands adjourned to meet on Friday, the 20th July, 2018 at 11.00 a.m.

18 06 hrs

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock
on Friday, July 20, 2018/Ashadha 29, 1940 (Saka).*
